uxj ifj"kn pEck] ftyk pEck fgekpy in'k d y[kk dk vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu

vof/k 04@2007 l 03@2010

Hkkx&,d

ijk 1 ¼d½ ikjfEHkd %&

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिषों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संषोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेष सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन(एल0ए0)खण्ड–IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेषक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद चम्बा, जिला चम्बा के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

vd{k.kk/khu vof/k d nkjku fuEuof.kr i/kku o dk;dkjh vf/kdkjh uxj ifj"kn pEck e rSukr Fk %&

i/kku %&

Øe l[;k	i/kku dk uke	rSukrh dh vof/k
1	श्रीमति कुसुम देवी	01.04.2007 से 31.03.2010

dk;dkjh vf/kdkjh %&

1	श्री करतार सिंह	01.04.2007 से 19.03.2009
2	श्री देष राज चौधरी	20.03.2009 से 08.02.2010
3	श्री अमर सिंह वर्मा	22.02.2010 से 03.03.2010

¼[k½ uxj ifj"kn pEck] ftyk pEck fgekpy izns'k dh ys[kk vof/k 04@07 ls 03@2010 rd vads{k.k esa ikbZ xbZ vfu;ferrkvksa dk lf{kIr lkjA

iSjk la[;k	vfu;ferrkvksa dk lf{kIr lkj	jkf'k ¼yk[kksa esa½
7	किराएदारों से किराए की वसूली न करना	27.10
7.1	किराए के कम आंकलन से हुई हानि	5.45
7.2	लीजधारकों से किराए की वसूली न करना	4.55
7.3	किराया/परिषद कर/घरोहर राषि न लिए जाने के फलस्वरूप आय की राषि की हानि	6.98
8	गृहकर की राषि की मांग व वसूली न करना	0.72
8.2	गृहकर की राषि के कम निर्धारण के कारण परिषद की आय में हानि	1.28
9.3	गृहकर के अनाधिकृत छूट की वसूली	0.75
9.4	दिनांक 31.03.10 तक गृहकर की वसूली	34.92
9.6	रोकड़ बही में कम जमा करने बारे	7.25
9.7	गृहकर की कम वसूली बारे	1.07
9.8	विभिन्न अग्रिमों के समायोजन से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना	150.00
10	IDSMT खाते से परिषद खाते में हस्तांतरण न करना	15.00
12	ठेकेदारों को प्रतिभूति की राषि की देनदारियों बारे	47.53
13.1	अनुबन्ध कर्मचारियों को अनुचित भुगतान	7.18
13.8	श्रीमति निर्मला–1, सफाई सेविका को अधिक भुगतान	0.82
14, 14.1	सुलभ शौचालय इन्टरनैषनल चण्डीगढ़ को अनुचित भुगतान	2.11 तथा 10.80
14.11	रैड–क्रॉस मेले की राषि की वसूली न करने बारे	1.00
14.19	हिमाचल प्रदेष विघुत बोर्ड को अनुचित भुगतान	41.93
14.20	बिना प्राक्कलन बिजली के सामान की खरीद बारे	4.60
14.29	एस्मीमेंट बनवाने हेतु अनुचित भुगतान	0.52
14.31	SJSRY खाते से ए0के0 इण्डस्ट्री चम्बा को अनुचित भुगतान	0.68
14.38	परिषद की मन्जूरी के बिना वकीलों की फीस का अनुचित भुगतान	0.88

14.39	वास्तविक रसीदें प्राप्त न करने बारे	0.85
15	बिना प्राक्कलन तैयार किए राषि का भुगतान	53.64
15.2	सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना कार्यों के निष्पादन हेतु भुगतान करना	1.12
15.3	बिना औपचारिकताएं पूर्ण किए भुगतान बारे	0.62
15.6	बिना प्राक्कलन तैयार किए खुली मार्किट से किए गए सामान की खरीद हेतु भुगतान करना	33.87
15.8	बिना प्राक्कलन तैयार किए विभिन्न कार्यों को करवाने हेतु किया गया अनुचित भुगतान	2.02
15.10	अपेक्षित रिकॉर्ड के उपलब्ध करवाए बिना भुगतान करने बारे	5.45
15.11	आर0के0 स्टील इण्डस्ट्री चम्बा को अनुचित भुगतान बारे	1.96
15.14	विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु तकनीकी स्वीकृति किए बिना अनुचित भुगतान	6.54
15.15	रिटेनिंग वॉल के निर्माण हेतु संविदाकार को अवैध भुगतान करना	2.14
16	वाहनों की मुरम्मत हेतु बिना औपचारिकताएं पूर्ण किए भुगतान करना	3.51

¼x½ xr vads{k.k ifronu ½&

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट 'अ'' पर दर्षाई गई है। यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः नगर परिषद इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विषेष अभियान/कार्यवाही सुनिष्चित करे व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करे ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

Hkkx&nks

2 orZeku vads{k.k %&

नगर परिषद चम्बा के लेखाओं अवधि 01.04.07 से 31.03.10 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण जय गोपाल शर्मा, उप नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) द्वारा दिनांक 06.01.2010 से 27.08.2011 तक नगर परिषद चम्बा में किया गया विस्तृत जाँच हेतु लेखाओं मास 03/08, 03/09, 03/10 का चयन किया गया। जिसके परिणामों का उल्लेख अनुवर्ती पैरों में समाविष्ट है, आगामी पैराग्राफों में दर्षाए गए अभिलेख के अतिरिक्त समस्त अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत किया गया।

यहां पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण कार्यकारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख व सूचनाओं के आधार पर किया गया है। लेखा परीक्षा विभाग, कार्यकारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई गलत सूचना/सूचना उपलब्ध न करवाने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित मासों तक ही सीमित है।

3 vads{k.k 'kqYd %&

नगर परिषद चम्बा के अवधि 01.04.07 से 31.03.2010 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण करने का अंकेक्षण शुल्क ₹87,600 बनता हैं कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद चम्बा को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 106/Audit-MC-2011-12, dated 27-08-2011 द्वारा उक्त राषि का भुगतान निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग षिमला को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा करने का अनुरोध किया गया।

4 foRrh; fLFkfr %&

नगर परिषद चम्बा के लेखाओं अवधि 04/07 से 03/10 तक की वित्तीय स्थिति का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट ''ञ'' में दिया गया है।

4-1 fuos'k %&

नगर परिषद चम्बा द्वारा दिनांक 31.03.2010 को पंजाब नैषनल बैंक चम्बा व अर्बन को–आप्रेटिव बैक चम्बा के सावधि जमा खातों में ₹43,30,549.00 का निवेष किया गया था जिसका पूर्ण विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट ''ध'' में दर्षाया गया हैं निवेष की गई राषि को परिपक्वता निधि को उचित वर्णित ब्याज सहित लेखांकण करना सुनिष्चित किया जाए।

4-2 jkdM cgh dk j[k&j[kko ckjs %&

रोकड़ बही की प्रत्येक प्रविष्टि कार्यकारी अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं की थी। जब की नगर पालिका लेखा संहिता 1975 के नियम–19 के अर्न्तगत रोकड़ बही की प्रत्येक मद की जाँच कार्यकारी अधिकारी के द्वारा की जानी अपेक्षित थी नियम के अर्न्तगत कार्य न किए जाने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए। इसके अतिरिक्त समान्य रोकड़ बही के अतिरिक्त एक अन्य रोकड़ बही तैयार की गई थी जिसके बारे पिछले अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी टिप्पणी की गई थी इसके बावजूद इस ओर कार्यकारी अधिकारी के द्वारा कोई विषेष कार्यवाही नहीं की गई थी। भविष्य में एक ही रोकड़ बही में खाता संचालित किया जाए।

4-3 jkdM cgh esa ₹2]796-00 dk u n'kkZ, tkus ckjs %&

नगर परिषद के खाता 5343/21 में ₹2,796, अवधि 18.11.1997 से पड़ा था इस राषि को वर्तमान में किसी भी रोकड़ बही में इन्द्राज नहीं दर्षाया गया है कार्यकारी अधिकारी यह स्पष्ट करें कि इस राषि को वर्ष 11/97 से 31.03.2010 तक नगर परिषद की रोकड़ बही में क्यों नहीं किया गया। इस राषि को तुरन्त रोकड़ बही में दर्ज करके कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4-4 funs'kd] 'kgjh fodkl foHkkx }kjk tkjh fd, x, LFkkbZ vkns'kksa dk u ekuus ckjs %&

लेखा परीक्षण में पाया गया कि निदेषक, शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेष द्वारा जारी किए गए आदेष संख्याः यू0डी0(एच)(सी)(17)–3/2001–4971–5099, दिनांक 29.04.2001 द्वारा चैक पर हस्ताक्षर करने के सम्बन्ध में तथा पत्र संख्याः 1–63/06–यू0डी0 (आडिट) खण्ड–1–12812–12861, दिनांक 15.11.2006 द्वारा सभी स्थानीय निकायों को जारी किए गए थे परन्तु नगर परिषद चम्बा में इन आदेषों को लागू नहीं किया गया था जो कि बहुत ही गम्भीर अनियमिता है। उपरोक्त आदेषों के अनुसार नगर परिषद लेखों का लेखाकरण नहीं किया गया था निदेषक, शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेष के आदेषों के अनुसार कार्यकारी अधिकारी व प्रधान नगर परिषद के द्वारा चैकों पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए थे जबकि समानयता कार्यकारी अधिकारी तथा उप–प्रधान नगर परिषद के द्वारा चैकों पर हस्ताक्षर किए जाते थे जो नियमाधीन ठीक नहीं था। प्रधान के कभी–कभी चैकों पर हस्ताक्षर करवाए जाते थे जो कि निदेषक, शहरी विकास के आदेषों की उल्लंघना है। उप–प्रधान द्वारा चैकों पर हस्ताक्षर करना अनुचित ही नहीं बल्कि बहुत ही आपत्तिजनक है तथा इस स्थिति में नगर परिषद निधि की दुरूपयोग होने की भरपूर सम्भावना रहती है तथा निदेषक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेष द्वारा जारी किए गए निर्देषों का कोई औचित्य

नहीं रह जाता है। उपरोक्त गम्भीर स्थिति को आवष्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारी के सक्षम लाया जाता है भविष्य में उप–प्रधान के हस्ताक्षर करवाने से परिहार किया जाए।

5 ljdkjh vuqnku %&

नगर परिषद चम्बा द्वारा अवधि 04/07 से 03/10 तक प्राप्त अनुदान राषियों का विवरण निम्न प्रकार है :–

(क) निदेषक, शहरी विकास षिमला से चुंगी के बदले प्राप्त अनुदान राषियों का विवरण परिषिष्ट ''क'' में दर्षाया गया है।

(ख) निदेषक, शहरी विकास हिमाचल षिमला से यू0एल0 रोड के अर्न्तगत प्राप्त अनुदान राषियों का विवरण परिषिष्ट ''ख'' में दिया गया है।

(ग) निदेषक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेष षिमला से आपदा कोष के अर्न्तगत प्राप्त अनुदान राषियों का विवरण परिषिष्ट ''ग'' में दिया गया है।

(घ) निदेषक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेष षिमला से ई0आई0यू0एस0/एन0एस0डी0पी0 के अर्न्तगत प्राप्त अनुदान राषियों का विवरण परिषिष्ट ''घ'' में दिया गया है।

(ङ) जिलाधीष चम्बा से विकास कार्यों के अर्न्तगत प्राप्त अनुदान राषियों का विवरण परिषिष्ट ''ङ'' में दर्षाया गया है।

(च) जिलाधीष चम्बा से बी0आर0जी0एफ0 के अर्न्तगत प्राप्त अनुदान राषियों का विवरण परिषिष्ट ''च'' में दर्षाया गया है।

(छ) निदेषक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेष षिमला से आई0डी0एस0एम0टी0 के अर्न्तगत प्राप्त अनुदान राषियों का विवरण परिषिष्ट ''छ'' में दर्षाया गया है।

(ज) निदेषक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेष षिमला से एस0जे0एस0आर0वाय0 के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान राषि का विवरण परिषिष्ट ''ज'' में दर्षाया गया है।

6 Hk.Mkj o LVkWd ifU=dkvksa dk j[k&j[kko Bhd izdkj ls ugha djuk %&

भण्डार से जो वस्तुएं जारी की जाती थी की पावतियां प्राप्त नहीं की गई। वस्तुओं के शेष सामान की प्रविष्टियां भी ठीक प्रकार से नहीं की गई । भण्डार व स्टॉक रजिस्टरों की प्रविष्टियां सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित व सत्यापित नहीं की गई थी इसके अतिरिक्त निम्न पन्जिकाओं का रख–रखाव ठीक प्रकार से नहीं किया गया था। जिसका रख–रखाव नियमानुसार अति आवष्यक था।

1. पानी के बिलों के भुगतान हेतु पंजिका
2. अनुदान पन्जिका जी–6
3. यात्रा भत्ता जाँच पंजिका जी–19
4. चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे की पन्जिका
5. जिलाधीष से नगर अभियन्ता के नाम प्राप्त अनुदान राषि पन्जिका

नगर परिषद की चल–अचल सम्पत्ति पन्जिका का सत्यापन तीन वर्ष में एक बार सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाना अपेक्षित था जो नहीं किया गया था। नगर परिषद परामर्ष दिया जाता है कि इस और विषेष ध्यान दिया जाए तथा भविष्य में चल और अचल सम्पत्तियों का सत्यापना करना सुनिष्चित किया जाए।

vk;

7 fdjk;k %&

परिषद द्वारा किरायदारों से 03/10 तक ₹27,10,040.00 की वसूली करनी शेष थी जिसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट ''ठ'' में दिया गया है इस परिषिष्ट को कार्यकारी अधिकारी द्वारा जारी किया गया था जब किराए के डिमाण्ड/कॉलेक्षन पंजिका से 31.03.10 के बकाया किराए की सूचि बनाई गई तो दुकानदारों से लिए जाने वाला किराया ₹29,84,773.00 बनता था। अतः कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों व वास्तविक आंकड़ों में राषि 2,74,733 का अन्तर पाया गया। अन्तर को स्पष्ट करते हुए शेष राषि की वसूली करने हेतु उचित कार्यवाही अमल में लाई जाए।

7-1 fdjk, dks de vkdyu ls ₹5]45]650 dh {kfr ckjs %&

परिषद द्वारा राजीव गान्धी शापिंग कम्पलैक्स में एक ही मन्जिल में दो किराएदारों को अलग–अलग दर से किराए पर हॉल देने से ₹5,45,650 की आय की हानि हुई हैं परिषद द्वारा 795 वर्ग फुट क्षेत्र एक होटल को ₹8,000 प्रति मास पर दिया था जबकि उसी मन्जिल में 674 वर्ग फुट क्षेत्रफल का हॉल बैंकों को ₹20,000 प्रति मास पर दिया था। बैंक को ₹29.67 प्रति वर्ग फुट की दर से किराया वसूल किया जा रहा था जबकि रैस्टोरेन्ट से ₹10.06 प्रति वर्ग किराया लिया जा रहा था जो किराया बैंक से लिया जा रहा था उसी दर से किराया रैस्टोरेन्ट से ₹29.67 प्रति फुट के हिसाब से 795 वर्ग फुट का ₹23,590 लिया जाना अपेक्षित था। इस बारे अधियाचना संख्याः 24, दिनांक 06.04.2001 जारी की गई थी परन्तु कार्यकारी अधिकारी द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।

परिषद को 05/07 से 03/10 तक रैस्टोरैन्ट से ₹15,590 प्रति मास की दर से 35 मास का ₹5,45,650 की हानि हुई है। इस राषि का सम्बन्धित रैस्टोरैन्ट मालिक से वसूला जाए अन्यथा उत्तरदायित्व निर्धारित करके दोषी कर्मचारी जिसके द्वारा रैस्टोरैन्ट का कम किराए का आंकलन किया था से वसूली की जाए।

7-2 ₹4]55]645 dh olwyh u fd, tkus ckjs %&

नगर परिषद द्वारा राजीव गान्धी शापिंग कम्पलैक्स में दुकानों की अलाटमैन्ट करने वाले इष्तिहार (सूचना) की क्रम संख्याः 13 में साफ अंकित किया था कि नगर परिषद के द्वारा लगाए गए टैक्स/सैस/रेट लीज धारक को अलग देने होंगे। वर्तमान में नगर परिषद द्वारा 12.5 % गृह कर लगाया है व लीज धारकों से इष्तिहार की मद 13 अनुसार सम्बन्धित टैक्स लीज धारकों से लिया जाना अपेक्षित था जो परिषद द्वारा नहीं लिया गया था जिससे परिषद को 05/07 से 03/10 तक ₹4,55,645 का नुकसान हुआ परिषद को निम्न अनुसार लीजधारकों से किराया के साथ कर भी लिया जाना चाहिए था जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

Ø0 l0	dqy nqdkusa	izfr nqdku dk fdjk;k izfr ekl	fdjk, ij VSDl izfr ekl	tek fy;k x;k izfr ekl	05@07 ls 03@10 olwyh ;ksX; jkf'k
1	9	2500	313	2500	98,595.00
2	19	2000	250	2000	1,66,250.00
3	10	1500	188	1500	65,800.00
4	4	1000	125	1000	17,500.00
5	1	8000	1000	8000	35,000.00
6	1	20000	2500	20000	72,500.00
				dqy ;ksx	₹4]55]645-00

7-3 fdjk;k@ifj"kn dj@/kjkgj jkf'k u fy, tkus ds QyLo:i vk; dh jkf'k ₹6]98]490 dh gkfu %&

नगर परिषद द्वारा जंजघर 10/06 में M/s डी0के0 एण्ड कम्पनी को ₹3,25,000 पर वार्षिक किराए पर दिया था जिसमें पहली व दूसरी मन्जिल तथा धरातल में एक कमरा रिसेपषन हेतु था।

लीज की शर्तों के अनुसार प्रति वर्ष किराए में 5% बढ़ौतरी की जानी अपेक्षित थी। परिषद कर लगाने का भी प्रावधान था यदि किराए नियत समय के 10 दिनों के भीतर अदा नहीं किया जाता है तो 10% जुर्माना लगाने का भी प्रावधान था। लीज की शर्तों के अनुसार जाँच की तो पाया कि M/s डी0के0 एण्ड कम्पनी चम्बा के द्वारा न तो समय पर किराया दिया और न ही धरोहर राषि जो ₹25,000 बोली के तुरन्त बाद जमा करवानी अवष्यक थी को परिषद लेखे में जमा नहीं करवाई। बिना धरोहर राषि जमा किए जंजघर में कब्जा कर लिया। कार्यकारी अधिकारी द्वारा धरोहर राषि लेने बारे कोई विषेष पग नहीं उठाया जो अनियमित ही नहीं अपितु गम्भीर मामला भी था। परिषद ने 10/06 से 31.03.10 तक सम्बन्धित लीज धारक से ₹17,40,968 की राषि लेनी थी परन्तु परिषद के केवल 31.03.2010 तक ₹10,42,478 ही प्राप्त हुए जो ₹6,98,490 कम थे जो राषि M/s डी0के0 एण्ड कम्पनी से ली जानी अपेक्षित थी उसका विवरण निम्न प्रकार है :–

अक्तूबर 06 से 09/07 का किराया		3,25,000
10/07 से 09/08 का किराया	5% की बढ़ौतरी	3,41,250
10/08 से 09/09 का किराया	5% की बढ़ौतरी	3,58,313
10/09 से 09/10 का किराया	5% की बढ़ौतरी	3,76,228
ifj"kn dj 12.5%		
10/06 से 09/07 तक		40,625
10/07 से 09/08 तक		42,656
10/08 से 09/09 तक		44,789
10/09 से 09/10 तक		47,029
		₹15]75]890

M/s Mh0d0 ,.M dEiuh ls ikIr jkf'k dk fooj.k

jkf'k	ikIr fuf/k	Due Date
3,25,000	11.10.2006	01.10.2006
3,41,250	16.06.2008	10.10.2007

2,76,228	12.03.2010	10.10.2008
1,00,000	27.03.2010	10.10.2009
dqy ;ksx ₹10]42]478		

M;w frfFk esa jkf'k tek u djus dk QyLo:i tqekZuk

o"kZ	tek frfFk	fu;r frfFk	tqekZuk jkf'k **10%**
10 / 2006 से 09 / 2007	11.10.2006	01.10.2006	32,500
10 / 2007 से 09 / 2008	16.06.2008	10.10.2007	34,125
10 / 2008 से 09 / 2009	12.03.2010	10.10.2008	35,831
10 / 2009 से 10 / 2009	27.03.2010	10.10.2008	37,622
			₹1]40]078

tks jkf'k **M/s** MhO dsO ,.M dEiuh us nh		tks yh tkuh Fkh	vUrj
1042478		17,15,968	6,73,490
	धरोहर राषि	25,000	25,000
		17]40]968	₹6]98]490

उक्त सारणी अनुसार ₹6,98,490 की राषि 10.10.2009 से पूर्व ली जानी अपेक्षित थी इस राषि को वसूल न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाए।

8 x`gdj dh jkf'k ₹0-72 yk[k dh ekax o olwyh u djuk ¼&

परिषद के गृहकर पन्जिका की छानबीन दौरान यह पाया गया कि चम्बा चौगान बाजार में श्री के0के0 महाजन के मकान में पंजाब नैषनल बैंक का कार्यालय है व पंजाब नैषनल बैंक के0के0 महाजन मकान मालिक को ₹16,000 का किराए के रूप में भुगतान करता आ रहा है। किराए से के0के0 महाजन को वार्षिक आय ₹1,92,000 प्राप्त हो रही थी इस राषि में 12.5 % वार्षिक गृहकर

₹24000 बनता था जो न तो परिषद ने लिया और न ही के0के0 महाजन मकान मालिक के द्वारा दिया गया जिसके फलस्वरूप 04/07 से 03/10 तक का गृहकर ₹72,000 बनता था की वसूली अपेक्षित थी इस सन्दर्भ में कार्याकारी अधिकारी को अधियाचना संख्याः 3, दिनांक 19.01.11 जारी की थी उसके बावजूद राषि की वसूली नहीं की गई। कार्यकारी अधिकारी को परामर्ष दिया जाता है कि ₹72,000 की वसूली करके परिषद कोष में जमा करवाए।

8-1 xgdj fu/kkj.k u djus d QyLo:i yk[kk #i;k dh gkfu %&

परिषद के गृहकर लेखों की छानबीन के दौरान पाया गया कि परिषद क्षेत्र में स्थित विद्युत परिषद बोर्ड भवन, नीजि षिक्षण संस्थान व अर्ध सरकारी भवनों से गृहकर की वसूली की जानी थी। परिषद द्वारा न तो गृहकर निर्धारित किया था और न ही गृहकर वसूला गया था। कार्यकारी अधिकारी को परामर्ष दिया जाता है कि वह उन सभी भवनों का गृहकर निर्धारण करे जिसका गृहकर निर्धारण नहीं किया है। इस समय परिषद क्षेत्र में अर्ध सरकारी भवनों के इलावा भी 50% नीजी भवनों का गृहकर निर्धारित नहीं किया है जिससे भी परिषद को लाखों रुपयों की हानि हो रही है।

8-2 xgdj jkf'k d de fu/kkj.k d dkj.k ifj"kn dh vk; e jkf'k ₹1-28 yk[k dh gkfu %&

श्री कुलदीप कुमार गुप्ता पुत्र श्री हेम लाल गुप्ता, निवासी चौतड़ा मुहल्ला द्वारा 1640 वर्ग मीटर (चार मन्जिला मकान) का निर्माण किया गया था। जिससे परिषद द्वारा वर्ष 2007–08 में ₹400 गृहकर आंका गया था जबकि गृहकर ₹41,700 बनता था जिसका आंकलन निम्न प्रकार किया जाना चाहिए था।

xgdj fu/kkj.k dk fu;e	{k=Qy
1. चार मन्जिला मकान	1640 वर्ग मीटर
2. किराए दार	
(क) यू0के0 बैंक	
(ख) चाय की दुकान	
(ग) प्राईवेट संस्थान	
3. नगर परिषद अधिनियम 1994 की धारा 2 की उपधारा (1) के अनुसार गृहकर का निर्धारण किराए के भवन के क्षेत्रफल को छोड़कर	1380
	(–) 100

		1280 वर्गमीटर
4. गृहकर योग्य राषि	1280 x 1500 / 2	9,60,000
5. वार्षिक मान	10% ₹9,60,000	96,000
किराए की राषि		
(क) बैंक द्वारा	15000 per month	1,80,000
(ख) चाय स्टॉल का किराया	2000 per month	24,000
(ग) संस्थान का किराया	5000 per month	60,000
		;kx ₹2]64]000
	10% rebate	₹26]400
		dqy ;kx ₹2]37]600
6. गृहकर लगाने योग्य राषि		₹3]33]600
7. गृहकर	**12.5%**	₹41]700

कार्यकारी अधिकारी द्वारा ₹41,700 के स्थान पर ₹400 का गृहकर का आंकलन करके परिषद को प्रतिवर्ष ₹41,300 का नुकसान पहुंचाया है। श्री कुलदीप कुमार गुप्ता मकान मालिक से 04/07 से 03/10 का गृहकर ₹1,25,100 की वसूली करके परिषद कोष में जमा करवाएं तथा की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाएं।

8-2-1 श्रीमति तृप्ता खन्ना, निवासी सुलतानपुर वार्ड द्वारा दो मन्जीला मकान 296 वर्ग मीटर का निर्माण किया था उससे 2007–2008 वर्ष में गृहकर ₹400 आंका गया था और उक्त भवन मालकीन से गृहकर 20% की छूट दे कर ₹320 लिया गया था जबकि नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी के द्वारा गलत गृहकर निर्धारण करके परिषद को ₹1,438 प्रति वर्ष कम गृहकर आंकलन से राषि ₹2,836 की हानि हुई है।

xgdj fu/kkj.k		{k=Qy
1. दो मन्जिला मकान		296 वर्गमीटर
2. कीमत जो प्रति मीटर आंकी गई थी		₹1500 प्रति वर्ग मीटर
3 नगर परिषद अधिनियम 1994 की धार–2 की उपधारा (1) के अनुसार जो गृहकर निर्धारण किया जाना था	छूट योग्य क्षेत्रफल था	296 वर्ग मीटर (–) 100 वर्ग मीटर 196 वर्ग मीटर

4. जो गृहकर लगने योग्य राषि	196 x 1500 / 2	1,47,000
5. वार्षिक मान	10%	₹1,47,000 का ₹14,700
6. गृहकर 12.5%	= 14700 x 125 / 10	**=1837.50 or 1838**
		Total ₹1838/-

9 rgctkjh jkf'k ₹5]480 dh olwyh u fd, tkus ckjs %&

परिषद द्वारा श्री गुरचरण सिंह निवासी चम्बा को ₹5.00 प्रति दिन के हिसाब से वर्ष 2006 में रेहड़ी लगाने हेतु तहबजारी तय की थी और श्री गुरचरण सिंह ने 04/07 से 03/10 तक आईस क्रीम की रेहड़ी लगाता रहा परन्तु परिषद द्वारा 04/07 से 03/10 का तहबजारी किराया ₹5,480 की वसूली नहीं किया जिससे परिषद को ₹5,480 की हानि का सामना करना पड़ा इस बारे अधियाचना दिनांक 27.06.2011 जारी की गई थी जिसका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ परिषद द्वारा उक्त दुकानदार को बिजली का कोनेक्षन का एन0ओ0सी0 भी दिया गया था जिससे प्रतीत होता है कि रेहड़ी लगाने के बावजूद तहबजारी वसूल नहीं की गई थी। राषि की वसूली करके परिषद कोष में जमा करवाएं।

9-1 jsgMh lkbZt ds rgctkjh olwy djus ckjs %&

नगर परिषद द्वारा वर्ष 2007 से पूर्व 94 नम्बर रेहड़ी बालों को विभिन्न व्यापारिक कार्य के लिए चलती फिरती रेहड़ी के लिए मन्जूरी दी थी परिषद ने रेहड़ी का साईज़ 4’ x 5’ or 3’ x 4’ रखा गया था वर्तमान में परिषद क्षेत्र में कोई भी रेहड़ी चलती फिरती (Moving) रूप में कार्य नहीं कर रही थी सभी रेहड़ीयों को एक ही स्थान पर खड़ी करके व्यापार किया जा रहा था व रेहड़ी का साईज भी 4’ x 6’व इससे भी अधिक स्थान के घेरे में था। परिषद द्वारा कभी रेहड़ी का साईज की और ध्यान नही दियां प्रति माह केवल ₹150 की प्रति रेहड़ी तहबजारी लेती रही जबकि जो रेहड़ी का साईज़ परिषद द्वारा मन्जूर साईज से अधिक था से निर्धारित दर पर देय तहबजारी राषि की मांग व वसूली नहीं की थी। कार्यकारी अधिकारी को परामर्ष दिया जाता है कि वह अपने कर्मचारियों से वास्तविक रेहड़ी के साईज़ व जगह की पैमाईष करवा करके 04/07 से 03/10 तक की तहबजारी वसूल करें व भविष्य में वास्तविक रेहड़ी साईज़ से जो परिषद के द्वारा मन्जूर है कि तहबजारी ली जानी सुनिष्चित करें।

9-2 ifj"kn }kjk ckjkr ?kj ds gkWy ¼/kjkry efUty½ dh vk; u ysus ckjs %&

परिषद के जंजघर के घरातल मन्जिल में बने हॉल को परिषद ने विवाह शादी व दूसरे समारोहों के लिए रखा है जो परिषद की आय का मुख्य साधन है इस हॉल में समय–समय पर विवाह आदि व दूसरे समारोह होत रहते हैं लेकिन परिषद द्वारा कोई किराया नहीं लिया गया था 04/07 से 03/10 तक परिषद को रोजाना लगभग ₹500 से ₹1000 का नुकसान उड़ाना पड़ रहा है गाड़ी के रात्री ठहराव का प्रतिदिन प्रति गाड़ी का ₹50 बनता है। इस हॉल का अधिकतम प्रयोग इससे उपर दिए गए बारात घर के ठेकेदार डी0के0 एण्ड कम्पनी चम्बा के द्वारा किया जाता हैं जो लोग रात्री ठहराव बारात घर में करते है। उनकी गाड़ीयां भी इसी हॉल में रात को खड़ी रहती हैं कार्यकारी अधिकारी को परामर्ष दिया जाता है कि वह इस हॉल की पार्किंग इत्यादि के लिए नीलामी करवाए ताकि परिषद को आय प्राप्त हो और हॉल का रख–रखाव भी ठीक प्रकार से हो सके। 04/07 से 03/10 तक हॉल में लोगों के द्वारा गाड़ियों को खड़ी करने का किराया वसूल न करने का कारण स्पष्ट किया जाए।

9-3 ₹0-75 yk[k ds x`gdj esa vukf/kd`r NwV dh olwyh ckjs %&

परिषद द्वारा गृहकर दाताओं को वास्तविक गृहकर पर 20% छूट देकर गृह कर वसूला गया था जबकि परिषद द्वारा 20% छूट देने का कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं किया था कार्यकारी अधिकारी द्वारा परिषद की मन्जूरी के बिना 20% गृहकर छूट देनी उचित नहीं थीं वर्ष 2007–2008 में परिषद ने गृहकर दाताओं को ₹75,415 की छूट दी थी जो अनियमित थी। इसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट ''प'' में दिया गया हैं इस राषि की वसूली करके नगर परिषद कोष में जमा करवाए तथा वर्ष 2008–2009 मे दी गई 20% छूट की सूचि बना कर राषि की वसूली करनी सुनिष्चित करें।

9-4 fnukad 31-03-10 rd jkf'k ₹34-92 yk[k ds x`gdj dh olwyh 'ks"k %&

नगर परिषद द्वारा 31.03.2010 तक गृहकर की शेष राषि ₹34,92,379 की वसूल की जानी थी जिसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट ''फ'' में दिया गया है। कार्यकारी अधिकारी को परामष्र दिया जाता है कि गृहकर की वूसली करने की और पग उठाएं ताकि परिषद के विकास कार्य में बाधा न आए। गृहकर की डिमाण्ड/कोलेक्षन पंन्जिका की छानबीन की तो पाया गया कि गृहकर दाताओं से ₹36,20,841 लिया जाना शेष बनता है इस तरह कार्यकारी अधिकारी के द्वारा

जारी की गई सूचि व वास्तविक शेष में ₹1,28,462 का अन्तर पाया गया। कार्यकारी अधिकारी को परामर्ष दिया जाता है कि वह वास्तविक स्थिति की जाँच करके वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाएं। दोनों सूचियां संलग्न परिषिष्ट ''फ'' में विद्यमान है।

9-5 ₹0-41 yk[k dh olwyh ckjs %&

वर्ष 2007 से पूर्व से रैहन बसेरा यात्रियों के ठहराव के लिए प्रयोग किया जा रहा था व कार्यकारी अधिकारी द्वारा रैहन बसेरा में यात्री के लिए ₹25 शुल्क के साथ ठहराव की सुविधा प्रदान की थी। रैहन बसेरा की यात्री पन्जिका की छानबीन दौरान यह पाया गया कि प्रभारी द्वारा शुल्क ₹25 के स्थान पर ₹15 लिए गए थे व यात्री के ठहराव के विरूद्ध कम राषि प्राप्त की थी जिससे परिषद को वित्तीय हानि का सामना करना पड़ा कार्यकारी अधिकारी द्वारा रैहन बसेरा की यात्री पन्जिका का कभी भी निरीक्षण नहीं किया गया और न ही कभी यह देखा कि यात्रीयों से राषि पूरी ली जा रही है या नहीं रैहन बसेरा की किराया राषि जो कम प्राप्त की है का विवरण इस अकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट ''म'' में दिया गया है। इस राषि की वसूली करके परिषद कोष में जमा करवाएं इसके अतिरिक्त यदि अन्य मासों में वसूली योग्य राषि बनती है तो उसकी गणना कार्यालय स्तर पर स्वयं करने के उपरान्त राषि की भी वसूली करें

9-6 jkf'k ₹7]25]625 dk jkdM+ cgh esa tek u djus ckjs %&

जिलाधीष चम्बा द्वारा मिन्जर मेले के आयोजन के लिए 04/07 से 03/10 अवधि में ₹7,25,625 कार्यकारी अधिकारी को दिए गए थे। रिकॉर्ड की छानबीन के दौरान जिलाधीष चम्बा से प्राप्त राषि का इन्द्राज रोकड़ बही में नहीं पाया गया इस सन्दर्भ में कार्यकारी अधिकारी को अधियाचना संख्याः 63, दिनांक 07.08.2011 द्वारा पूछा गया था परन्तु जिलाधीष से प्राप्त राषि के बारे कार्यकारी अधिकारी के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। जिसके अभाव में ₹7,25,625 की राषि के दुरूपयोग से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। कार्यकारी अधिकारी इस राषि को रोकड़ बही में दर्ज नहीं करने बारे स्थिति स्पष्ट करें। राषि प्राप्ति का विवरण निम्न प्रकार से था :–

o"kZ	jkf'k
07@07	2]15]000
07@08	2]33]625
07@09	2]77]000
;ksx	₹7]25]625

9-7 jkf'k 1-07 yk[k dh xgdj dh olwyh ckjs %&

परिषद द्वारा गृहकर दाताओं से कम गृहकर लिया गया था इन गृहकर दाताओं के भवन में बैंक का कार्यालय मौजूद था व बैंक के किराए के आधार पर गृहकर नहीं लिया गया था जिससे परिषद को 04/07 से 03/10 तक ₹1,06,625 की हानि का सामना करना पड़ा। गृहकर दाताओं व उनसे देय कर का विवरण निम्न प्रकार से है :—

कुलदीप हाण्डा द्वारा दिनांक 02.12.2008 से अपना मकान यूको बैंक को ₹13,000 प्रति मास की दर से किराए पर दिया था जिसका 02.12.2008 से 03/2010 तक कुल किराया ₹2,08,000 बनता हैं इस राषि पर 12.5% दर से गृहकर ₹26,000 बनता है। सुरिन्द्र कुमार ढल, द्वारा पर्वतीय ग्रामीण बैंक को ₹43,000 पर 01.01.2009 से 03/10 तक कुल किराया ₹6,45,000 प्राप्त हुआ जिस पर 12.5% दर से गृहकर ₹80,625 आंका गया। उक्त दोनों बैंको का गृहकर ₹1,06,625 (₹80,625 + ₹26,000) बना जिसकी वसूली 03/10 तक नहीं की गई थी। ₹1,06,625 की तुरन्त वसूली करके परिषद कोष में जमा करवाएं

9-8 jkf'k ₹150 yk[k dk vfxzek dk lek;kstu ls lEcfU/kr vfHkys[k izLrqr u djuk %&

जिलाधीष चम्बा से विभिन्न विकास कार्यों के लिए प्राप्त अनुदान राषि की रोकड़ बही के अवलोकन से पाया गया कि 04/90 से 03/07 तक नगर अभियन्ता के द्वारा ₹1,50,00,000 अग्रिम विभिन्न कार्यों के निष्पादन आदि के लिए नगर परिषद कर्मचारियों व ठेकेदारों और सप्लायरों को दिए थे इस राषि के समायोजन के कोई अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए इस सन्दर्भ में कार्यकारी अधिकारी को अधियाचना संख्याः 35 अवधि 07.05.2011 को जारी की थी जिसके बावजूद रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया। इस निधि को नगर अभियन्ता के इलावा नगर परिषद के कर्मचारी भी देख—रेख करते रहे। नगर अभियन्ता स्वयं ही वितरण एवं आहरण अधिकारी की शक्ति का प्रयोग करते रहे। नगर अभियन्ता के द्वारा स्वयं ही कार्य बिलों का भुगतान बिना तकनीकी/प्रषासनिक मन्जूरी के करते रहे जो अनियमित ही नहीं बल्कि एक गम्भीर मामला भी था। परिषद को इस निधि को नगर अभियन्ता द्वारा संचालित करने बारे कोई नियम/शर्तें जिलाधीष/परिषद ने नहीं बनाई थी बिना नियम के यह निधि अनाधिकृत थी व राषि के दुरूपयोग से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। 1990 से पूर्व से लेकर 03/07 तक इस राषि में तीन करोड़ की राषि जिलाधीष से प्राप्त हुई व नगर अभियन्ता द्वारा खर्च की गई। कार्यकारी अधिकारी/सचिव नगर परिषद चम्बा द्वारा इस निधि की रोकड़ बही को लिखने व देख—रेख के लिए लिपिक की तैनाती क्यों की इस बारे स्थिति स्पष्ट करें कि जो लिपिक इस निधि की देख—रेख कर रहा था उसे वेतन उस निधि से क्यों नहीं दिया गया। यह भी स्पष्ट करें कि 04/90 से 03/07 तक ₹1.5

करोड़ के दिए गए अग्रिम का समायोजन हुआ है या नहीं। यदि हुआ है तो उसके अभिलेख वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत क्यों नहीं किए गए। अतः परिषद जिलाधीष चम्बा से प्राप्त अनुदानों की राषियों को परिषद निधि में जमा करवाएं तथा नियमानुसार ही सक्षम अधिकारी की स्वीकृति उपरान्त ही इन अनुदान राषियों का व्यय किया जाए।

9-9 dqÙkk dj ¼**Dog Tax**½ %&

नगर परिषद चम्बा में पालतू कुत्ता कर 01.04.2007 से 03/10 तक की कोई भी वसूली नहीं की गई थी जबकि सरकार के निर्देषों के अनुसार ₹50.00 प्रति कुत्ता की दर से कर वसूल किया जाना अपेक्षित था। इस समय चम्बा परिषद क्षेत्र में लगभग 400 कुत्तों से उपर नीजि मकान मालिकों ने पाल रखे हैं परन्तु किसी भी कुत्ता धारक के द्वारा परिषद से कुत्ता कर की रसीद काटी नहीं गई थी इस सन्दर्भ में पिछले अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी आपत्ति दर्षाई गई थी उसके बावजूद परिषद द्वारा कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। अतः परिषद सरकारी आदेषों की पालना न करने के कारणों को स्पष्ट करें। भविष्य में सरकारी आदेषों का पालन अक्षरक्ष किया जाना सुनिष्चित करें।

10 jkf'k ₹15-00 yk[k dk vkbZ0Mh0,l0,e0Vh0 [kkrs ls ifj"kn [kkrs esa gLrkUrj.k djuk %&

वाऊचर संख्याः 1, अवधि 05/09 द्वारा आई0डी0एस0एम0टी0 खाते से ₹15,00,000 (15 लाख) का हस्तान्तरण नगर परिषद खाते में कर्मचारियों के वेतन के लिए किया गया। आई0डी0एस0एम0टी0 खाते से वेतन इत्यादि का भुगतान नहीं किया जा सकता था। 08/11 तक ₹15.00 लाख की राषि आई0डी0एस0एम0टी0 खाते में परिषद निधि से हस्तांतरित नहीं की गई थी जोकि एक गम्भीर अनियमितता है उक्त राषि को तुरन्त परिषद निधि से हस्तान्तरित करके आई0डी0एस0एम0टी0 खाते में जमा करवाया जाए। भविष्य में इस प्रकार के हस्तांतरण से परिहार किया जाए।

11 nqdkuksa dk vkoaVu Bhd u fd, tkus ds QyLo:i fdjk, esa gqbZ gkfu ckjs %&

परिषद द्वारा चौगान नम्बर 2 के बाहर बनी दुकानों की अलाटमैंट प्रति दुकानदार को 6' x 8' साईज की दुकान के हिसाब से की थी व उसी आधार पर किराया भी फिक्स किया था परन्तु जब दुकानदारों के द्वारा दुकानों का निर्माण किया गया तो कुछ दुकानदारों को छोड़कर शेष द्वारा दुकानों का साईज़ 8' x 6' न रखकर इससे अधिक साईज की दुकानों का निर्माण करवा दिया जो न केवल अनियमित था परन्तु दुकानों के किए गए अलाटमैन्ट के नियमों की अनदेखी की गई।

जिन दुकानदारों ने आबंटित दुकान साईज 8’ x 6’ से अधिक क्षेत्र में अपनी दुकान का निर्माण करवाया था। उनसे भी वही किराया लिया जा रहा है व जिन दुकानदारों ने 8’ x 6’ की दुकानों का निर्माण किया है उनसे भी वही किराया लिया जा रहा था जिससे परिषद को दुकानों के निर्माण समय ही से आर्थिक हानि का सामना करना पड़ रहा है व 3/10 तक परिषद को लाखों रुपयों की हानि हुई है। कार्यकारी अधिकारी को परामर्ष दिया जाता है कि वह चौगान नम्बर 2 में बनी सभी दुकानों के आकार की छानबीन करवाए तथा जिनके पास 8’ x 6’ के क्षेत्र से अधिक क्षेत्रफल की दुकानें हैं से मार्किट दर से अतिरिक्त किराए का आंकलन करके वसूलने की और पग उठाएं ताकि परिषद को हुई वित्तीय हानि से बचा जा सके।

12 jkf’k ₹47-53 dh nsunkfj;k cdk;k ¼&

नगर परिषद की प्रतिभूति पन्जिका के अवलोकन में यह पाया गया कि समय–समय पर परिषद के निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय ठेकेदारों से 10% प्रतिभूति राषि की वसूली की गई थी। अवधि 31.03.2010 को परिषद के इस खाते में ₹47,52,914 की राषि शेष पड़ी थी जो ठेकेदारों को दी जानी थी। ठेकेदारों को प्रतिभूति राषि के भुगतान न किए जाने का क्या कारण था इसका कोई उल्लेख कार्यालय के द्वारा सम्बन्धित अभिलेख में अंकित नहीं किया था परिषद द्वारा अपने वार्षिक बजट में भी ₹47,52,914 देने का कोई ज़िक्र नही किया था। यदि ठेकेदारों को प्रतिभूति राषि का भुगतान किया जाता है तो परिषद निधि के शुन्य होने से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। ₹47,52,914 की राषि का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट ''ड'' में दर्षाया गया है। उक्त राषि यदि नियमाधीन लैप्स हो चुकी हो तो राषि को नियम के आधीन परिषद आय में जमा करवाने की और पग उठाएं तथा की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को सुचित करें।

13 LFkkiuk

jkf'k ₹0-37 yk[k osru o HkÙkk dk vf/kd Hkxrku djuk ¼&

समय–समय पर स्वास्थ्य निरीक्षक द्वारा सफाई सेवकों की गैर हाज़री लगाई गई थी परन्तु स्थापना शाखा के द्वारा हाज़री पन्जिका के निरीक्षण के बिना ही निम्न सफाई कर्मचारियों को पूरा वेतन दिया गया था जिसके फलस्वरूप चयनित मासों के दौरान यह पाया गया कि ₹37,287 का अधिक भुगतान गैर हाजिर कर्मचारियों को कर दिया गया था जो किया नहीं जा सकता था। ₹37,287 की वूसली करके राषि को नगर परिषद कोष में जमा करवाएं तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में बताई जाए।

ekl	deZpkjh dk uke	ftl ekl esa xSj gkftj Fkk	ns; ekl	ftruh xSj gkftjh Fkh	okf"kZd osru	xSj gkftjh dh dVkSrh
03/08	डेनियन, सफाई सेवक	02/08	03/08	3	5160	1188
	धर्म पाल, सफाई सेवक	02/08	03/08	4	4850	1564
	सुनील, सफाई सेवक	02/08	03/08	5	4550	1753
	सरीष्ठा, सफाई सेवक	02/08	03/08	6	4550	2104
	प्रवेज, सफाई सेवक	02/08	03/08	8	4020	2485
	रमेष, सफाई सेवक	02/08	03/08	3	3900	902
	अमर चन्द, सफाई सेवक	02/08	03/08	3	3020	703
	आषा, सफाई सेवक	02/08	03/08	3	3220	799
	संजय, सफाई सेवक	02/08	03/08	1	3220	249
	संजीव, सफाई सेवक	02/08	03/08	2	3220	498
	विजय, सफाई सेवक	02/08	03/08	7	3220	1743
	दीपू, सफाई सेवक	02/08	03/08	1	2620	202
	इन्द्रियास, सफाई सेवक	02/09	03/09	11	6600	6612
	धर्मपाल, सफाई सेवक	02/09	03/09	10	4850	4446
	राकेष, सफाई सेवक	02/09	03/09	2	4850	890
	रमेष, सफाई सेवक	02/09	03/09	10	4140	3712
	आषा, सफाई सेवक	02/09	03/09	4	3330	1236
	विजय, सफाई सेवक	02/09	03/09	1	3330	308
	अजय, हाण्डा विष्टी	02/09	03/09	19	2620	4667

पवन, सफाई सेवक	02/09	03/09	2	2620	491
रन्जीत, सफाई सेवक	02/09	03/09	3	2620	735

13-1 vucU/k depkfj;k dk jkf'k ₹7-18 yk[k dk vufpr Hkxrku ckj %&

कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद द्वारा अवधि 04/07 से 03/10 के मध्य सक्षम अधिकारी की मन्जूरी बिना ठेके पर सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की थी जिसके लिए रोजगार कार्यालय या विज्ञापन जारी किए बिना तैनाती की गई थी। इसके लिए कार्यालय के द्वारा कोई औपचारिकताएं भी पूरी नहीं की गई। नगर परिषद के पास अंकेक्षण अवधि के दौरान लगभग पूरा स्टॉफ सफाई व्यवस्था के लिए था। कार्यकारी अधिकारी द्वारा ठेके पर तैनात निम्न कर्मचारियों पर किए गए व्यय को निम्न आपत्तियों के कारण उचित नहीं माना जा सकता।

(क) ठेके पर रखे गए सफाई कर्मचारियों के कोई अनुबन्ध पत्र नहीं बनाए गए थे बिना अनुबन्ध प्रपत्र के नियुक्ति उचित नहीं मानी जा सकती।

(ख) ठेके पर रखे गए कर्मचारियों की दैनिक हाजरी स्वास्थ्य निरीक्षण द्वारा नहीं लगाई गई थी बिना दैनिक हाजरी के वेतन के भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(ग) किस–किस क्षेत्र में इस ठेके पर रखे कर्मचारियों के द्वारा सफाई करवाई गई के बारे पूर्ण विवरण अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

ठेके पर रखे कर्मचारियों पर 04/07 से 03/10 के दौरान ₹7,18,355 का भुगतान किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है। अतः उक्त आपत्तियों के कारण इस भुगतान को अंकेक्षण में उचित नहीं माना जा सकता। अतः राषि के भुगतान का नियमितीकरण सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से करें अन्यथा राषि की वूसली सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से करनी सुनिष्चित करें।

Øe l[;k	depkjh dk uke	04@07 l 03@10 dk Hkxrku jkf'k
1	नन्दिनी	61,500
2	करण	25,800
3	मोनिका	61,433

4	कॉजल	1,48,765
5	कविता	59,329
6	संगीता	61,320
7	शालिनी	41,530
8	रवि	1,14,405
9	राधीका	49,142
10	सुनिता	57,767
11	जितेन्द्र	4,250
12	शकीला	16,000
13	कंचन	17,114
		dqy ;ksx ₹7]18]355

13-2 Vad.k ijh{kk ikl fd, fcuk osru of) fn, tkus dk QyLo:i vuko';d foÙkh; ykHk fn, tkus ckjs %&

परिषद द्वारा श्रीमति पूनम मल्होत्रा व श्री विवके कुमार को करूणामूलक आधार पर लिपिक के पद पर नियुक्त किया गया था। इन कर्मचारियों की सेवा पंजिका की जाँच करने पर पाया गया कि इन्हें नियुक्ति की तिथि से 31.03.2010 तक देय वेतन वृद्धियों का लाभ प्रदान किया गया जबकि इन दोनों कर्मचारियों द्वारा टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की गई थी। हिमाचल प्रदेष सरकार के पत्र संख्याः Pen(AP-II)CP(A)-3/84, dated 24-11-98 के अनुसार ऐसे कर्मचारियों को टंकण परीक्षा उर्त्तीण करने के उपरान्त ही देय वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत की जानी अपेक्षित थी। अतः इन कर्मचारियों को वेतन वृद्धियों के अनियमित भुगतान की गणना परिषद अपने स्तर पर करने के उपरान्त राषि की वसूली सूनिष्चित करें

13-3 tUe frfFk izek.k i= izLrqr u djus ckjs %&

परिषद के कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं की छानबीन दौरान यह पाया गया कि श्रीमति छीमा, सफाई सेविका की सेवा पुस्तिका में जो उसकी जन्त तिथि 10.03.1948 दर्षाई थी वह उसके हल्फी ब्यान अनुसार दर्ज की गई थी। श्रीमति छीमा का जन्म प्रमाण पत्र किसी संस्थान के द्वारा जारी नहीं किया गया था जिसके अभाव में उसके द्वारा दी गई जन्म तिथि को उचित नहीं माना

जा सकता। परिषद द्वारा उसके हल्फन ब्यान को उचित मानते हुए उसे ही जन्म तिथि माना व श्रीमति छीमा को 31.03.2008 से सेवा निवृत किया गया। इस बारे कार्यकारी अधिकारी को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 13, दिनांक 01.03.2011 द्वारा पूछा गया परन्तु कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। अतः परिषद उक्त प्रकरण की छानबीन करे तथा वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाए।

13-4 jkf'k ₹0-35 yk[k dh olwyh ckjs %&

वाऊचर संख्याः शून्य अवधि 12/08 द्वारा श्रीमति छीमा, सफाई कर्मचारी नगर परिषद को लीव इन्कैषमैन्ट की राषि ₹38,912 का भुगतान किया था। श्रीमति छीमा, सफाई सेविका को 137 दिन के अवकाष के खाते के विरूद्ध ₹38,912 का भुगतान किया गया कर्मचारी की सेवा पुस्तिका की जाँच की तो पाया कि श्रीमति छीमा, सफाई सेविका के खाते में केवल 12 दिन ही अवकाष बचे थे स्थापना शाखा प्रभारी द्वारा स्वस्थ्य निरीक्षक के द्वारा जारी की गई मासिक अवकाष विवरणी अनुसार अवकाष को सेवा पुस्तिका में इन्द्राज न करने के फलस्वरूप श्रीमति छीमा को 125 दिन का अधिक भुगतान किया गया। श्रीमति छीमा, सफाई कर्मचारी को केवल ₹3,648 का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। श्रीमति छीमा, सफाई कर्मचारी को ₹2,35,267 (₹39,912 – ₹3,648) का अधिक भुगतान किया गया था। ₹35,294 की वसूली श्रीमति छीमा, सफाई सेविका से करके परिषद कोष में जमा करवाएं।

13-5 परिषद के कर्मचारियों के सेवा पुस्तिका की छानबीन दौरान यह पाया गया कि कुछ सफाई कर्मचारियों की स्वस्थ्य निरीक्षक के द्वारा हाजरी पंजिका में गैरहाजरी लगाई गई थी उस गैरहाजरी पर कार्याकारी अधिकारी के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई और न ही उन गैर हाजरी का वेतन काटा गया जिससे सम्बन्धित सफाई कर्मचारियों के अतिरिक्त वेतन का भुगतान किया गया था इन लगी गैरहाजरी के उपर कार्यवाही न करके तथा भुगतान किए जाने की स्थिति को स्पष्ट किया जाए तथा इसकी वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। सफाई कर्मचारियों की लगी गैर हाजरी का विवरण निम्न प्रकार है :–

uke deZpkjh	ftl ekl esa xSj gkftjh yxh	fnukad tc deZpkjh xSj gkftj Fkk
धर्मपाल	02/08	06 से 09.02.08
सरेष्टा	02/08	17.02.08

रमेष	06/07	02.06.07
	11/09	26.11.09
आषा	10/07	04 से 09.10.2007
	12/09	17, 18, 19, 26.12.09
अजय हाण्डा	01/10	2, 3 से 09.01.2010
संजय	12/08	23 से 30.12.2008

उपरोक्त अवधि से पूर्व 01/03 से 03/07 के मध्य भी कई सफाई कर्मचारियों की गैरहाजरी लगी थी उनके बारे में भी स्थिति स्पष्ट करें कि क्या उनका इन्द्राज सेवा पुस्तिका में दर्षाया गया था या नहीं। अतः परिषद अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाना सुनिष्चित करें।

13-6 vftlr vodk’k dk lsok iqfLrdk esa bUnzkt u fd, tkus ckjs %&

नगर परिषद में कार्यरत सफाई सेवकों की सेवा पन्जिका की छानबीन दौरान पाया गया कि अर्जित अवकाषों का इन्द्राज सेवा पुस्तिकाओं में नहीं किया गया था। कुछ सफाई कर्मचारियों के हाजरी पन्जिका में मुताबिक जो अवकाष की सूचि तैयार की है का विवरण निम्न प्रकार है। अतः परिषद इन अवकाषों की प्रविष्टियों को सेवा पन्जिका में दर्ज करना सुनिष्चित करें।

uke deZpkjh	ekl	vodk’k dh fnu
श्री इन्द्रियास	11/08	29 एवं 30
	12/08	1 से 6
	03/09	6 से 16
	05/09	4 से 10
	06/09	28 से 30
	10/09	10 से 30
	11/09	1 से 2
श्री धर्मपाल	04/07	5 से 7 एवं 11 से 13
	05/07	17 से 24
	08/07	19 से 27

	09／07	10 से 12
	10／07	8 से 19
	11／07	16 से 23
	04／08	4, 6 से 10, 13, 16 से 18
	05／08	3 से 6
	06／08	4, 13, 28
	07／08	4 से 25
	08／08	3 से 31
	09／08	1 से 15, 23 से 26
	12／08	7 से 28, 30, 31
	01／09	1 से 4, 8 से 10, 14 से 17, 22 से 31
	02／09	1, 2, 4 से 9, 11 से 28
	03／09	1 से 16
	04／09	5 से 9, 11
	05／09	5, 7, 11 से 31
	06／09	1 से 14, 21 से 24
	07／09	9, 11 से 19, 28, 30
	08／09	1 से 11, 30 से 31
	09／09	1 से 8, 11,13
	10／09	3 से 7, 10, 14, 28 से 31
	11／09	1 से 30
	12／09	1 से 31
	01／10	1 से 31
	02／10	1 से 28
	03／10	1 से 31
श्री डेनियल	04／07	1 से 4

	05／07	2 से 7, 13 से 21
	06／07	3, 7 से 12
	09／07	11, 14 से 16
	11／07	8 से 15
	12／07	2 से 12
	01／08	1 से 13
	02／08	16 से 18
	03／08	1 से 11, 22, 23, 26 से 31
	04／08	18, 20, 24, 25
	05／08	26, 27
	06／08	2 से 6, 9 से 11, 13 से 30
श्रीमति शीला	04／07	15 से 24
	10／07	22 से 31
	07／08	20, 21
	09／09	16 से 30
श्रीमति लीला	06／07	1 से 10
	12／07	25 से 31
	01／08	1 से 8
	06／08	11, 17 से 30
	07／08	1 से 7, 22 से 28
श्रीमति निर्मल–1	05／07	23, 24, 29 से 31
	08／07	5, 6, 9 से 31
	11／07	17 से 20
	02／08	12 से 27
	03／08	2 से 6, 11
	05／08	27 से 31

	06／08	1 से 9, 19, 20
	07／08	3, 5, 8
	08／08	5, 7, 12, 12, 15 से 17, 25 से 29
	09／08	4, 10, 16, 18, 23, 26, 30, 31
	11／08	11 से 13, 15, 21, 25, 28
	12／08	2, 4, 6, 8, 18, 26, 27, 29
	01／09	5, 6, 13 से 17, 24
	04／09	5 से 9, 11
श्रीमति निर्मल–2	06／07	8 से 24
	09／07	6 से 22
	10／07	14 से 18
	11／07	12 से 21
	06／08	27, 29
	07／08	5, 21, 22, 25
	02／09	6 से 20
	06／09	13 से 18, 24, 29
	07／09	11 से 14, 21
	09／09	6 से 14
	01／10	5 से 16
	03／10	28, 29
श्री मोहिन्द्र	05／08	24 से 30
	07／08	08 से 17
	05／09	29 से 31
श्री प्रवेज	04／07	4, 6 से 17, 23 से 26
	05／07	3 से 19, 23, 26
	06／07	13, 18 से 24

07／07	3 से 8
10／07	21 से 31
12／07	9 से 27
01／08	14 से 16
02／08	2, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 25
03／08	5, 6, 8
04／08	13 से 22, 26
05／08	3 से 5, 15, 29
06／08	3 से 5, 11, 12, 17, 28, 29
07／08	3, 4, 14, 23, 24
08／08	6 से 11, 17 से 24, 30,31
09／08	3 से 8
10／08	3 से 7, 11, 18, 21, 23, 25, 27 से 31
11／08	11, 14, 15, 18
12／08	6 से 8, 12 से 16
02／09	3, 10, 12
03／09	3 से 22, 30
04／09	1, 2, 7, 10, 11, 17, 29
05／09	2, 5 से 19
06／09	5 से 11
07／09	8, 11, 27
08／09	4, 7, 18, 19, 27, 28
09／09	10 से 21, 29
10／09	1 से 3, 14, 23
12／09	1 से 3, 10 से 20, 23, 25 से 27
01／10	21 से 23

	02／10	4, 5, 19 से 28
	03／10	1 से 25
श्रीमति छमो	08／07	22 से 31
	09／07	1 से 10
	11／09	28 से 30
	02／10	3, 5
श्री नर्गिस	08／07	20 से 26
	10／07	11 से 17
	12／07	24 से 31
	02／09	12 से 28
	03／09	1 से 3
	10／09	1 से 4
	12／09	17 से 24
श्रीमति वीना	08／07	24 से 31
	09／07	1 से 15, 23 से 30
	01／08	15 से 25
	04／08	21 से 30
	05／08	24 से 30
	06／08	08 से 13
	07／08	14 से 16
	08／08	12 से 14
	11／08	5 से 15, 21 से 30
	12／08	6 से 31
	03／09	16 से 23
	06／09	10 से 17
	07／09	18 से 31

	08／09	1, 15 से 31
	09／09	1 से 30
	10／09	1 से 20
	11／09	13 से 20
	02／10	23 से 28
	03／10	1 से 3
श्री अनील	04／07	10 से 30
	11／07	12 से 21
	04／08	11 से 25
	04／09	9 से 29
	06／09	14, 24, 29
	07／09	5, 11, 12, 22
	09／09	2 से 6, 19 से 27
	11／09	13 से 20
श्री राकेष	08／08	29 से 31
	09／08	1 से 30
	03／09	23 से 31
	05／09	1 से 31
	06／09	1 से 30
	07／09	1 से 31
	08／09	1 से 31
	09／09	1 से 30
	10／09	1 से 31
	11／09	1 से 30
	12／09	1 से 31
	01／10	1 से 31

	02／10	1 से 28
	03／10	1 से 31
श्री सुरिन्द्र	05／07	9 से 15
	02／08	18 से 24
	04／08	12 से 18
	10／08	10 से 12
	11／08	4 से 13
श्री सुनील	04／07	1, 2, 7, 26 से 28
	05／07	21 से 23
	09／07	13, 17 से 20
	04／08	27 से 30
	07／08	1 से 7
	12／08	7 से 10, 26
	09／09	3 से 9
श्रीमति सरेष्टा	07／07	22 से 31
	08／07	1, 24 से 31
	09／07	1, 2, 23 से 27
	10／07	15 से 17
	12／07	25 से 31
	02／08	8 से 10, 13, 14
	05／08	25 से 25
	07／08	1 से 22
	10／08	24 से 30
	05／09	1 से 3
	06／09	3 से 11
	08／09	28 से 31

	09／09	1 से 4
	11／09	4 से 28
	01／10	21 से 23
श्री रमेष	06／07	8 से 12, 28 से 30
	07／07	2 से 8, 22 से 24
	08／07	4 से 31
	09／07	1 से 30
	10／07	1 से 31
	11／07	1 से 30
	12／07	1 से 31
	02／08	12 से 14
	03／08	1 से 9, 21 से 30
	04／08	1 से 10, 19, 25, 28 से 30
	05／08	1 से 9, 19, 25, 30
	06／08	4, 5, 27, 28
	08／08	2 से 5, 8 से 14, 24
	09／08	7, 14 से 18, 26 से 29
	11／08	2 से 5, 10, 14 से 26, 28
	12／08	4, 15 से 17, 24
	01／09	8 से 11,15
	02／09	1, 2, 4, 7, 14 से 21, 25, 26
	03／09	1 से 4, 9 से 12, 18
	04／09	1, 2, 4, 8 से 11, 16 से 19, 23 से 27
	07／09	3, 4, 8, 16, 17, 22, 25, 26, 31
	08／09	3 से 16, 20, 29, 30
	09／09	7, 8, 14, 15, 27, 29, 30

	10／09	1 से 29
	11／09	2, 4, 6 से 10, 21, 28 से 30
	12／09	1, 2, 10, 12 से 15
	01／10	2, 5, 7, 8, 14, 15, 28
	02／10	2 से 4, 7, 8, 10, 26 से 30
	03／10	3, 4, 5, 10, 17 से 31
श्रीमति सरोज	10／07	10 से 24
	04／09	25 से 30
	06／09	18 से 30
	08／09	10 से 18
	12／09	27 से 31
	01／10	1 से 5
श्री सुरेष	05／07	11 से 25
	09／07	1 से 12
	12／07	5 से 11
	11／09	16 से 20
श्री अमर चन्द	04／07	1 से 4, 6 से 8, 10 से 12, 14 से 16, 21, 23, 24
	05／07	3, 7, 9, 10, 15, 20, 22 से 27
	06／07	2, 5, 10 से 12, 17, 25
	07／07	5, 8, 12, 22 से 25
	08／07	3, 8, 26 से 31
	09／07	10 से 14, 22 से 30
	10／07	1, 13, 14, 16, 30
	11／07	1 से 16, 24, 28, 29
	12／07	10, 17, 24 से 26

	01/08	1 से 6, 8 से 10, 14, 15, 24 से 27, 30
	02/08	3,11, 18
	03/08	7, 12, 14 से 16, 22, 23
	06/08	4, 5, 8, 12, 16 से 18
	08/08	1 से 3, 5 से 7, 11, 19, 20
	10/08	4 से 6, 12, 14, 28 से 30
	11/08	2, 4, 7, 9, 10, 16, 18, 21 से 28
	12/08	1, 3, 6 से 9, 14 से 20
	11/09	13 से 19
श्री अजय हाण्डा	04/07	14 से 18
	08/07	5 से 13
	09/07	6 से 9, 11, 13 से 15, 17, 20 से 22
	04/08	1 से 30
	08/08	6 से 8, 13 से 19, 23, 24
	09/08	1 से 5, 7 से 12
	10/08	23 से 25
	12/08	8 से 12
	01/09	1 से 3, 14 से 17
	02/09	4 से 6, 17, 21 से 28
	03/09	1 से 19
	04/09	2 से 30
	09/09	2 से 13, 26 से 30
	10/09	1 से 31
	11/09	2 से 9
	12/09	2 से 17
	01/10	10 से 24

	03/10	3 से 9, 30, 31
श्री संजय	05/07	1 से 3, 17 से 22
	09/07	5 से 10
	07/08	5, 10, 13 से 28
	11/08	1 से 5, 25
	01/09	1 से 6
	11/09	3 से 5, 20, 21, 23
	12/09	15 से 17
	01/10	6 से 8
	02/10	21, 22, 26
	03/10	15, 22
श्री संजीव	05/07	15, 16, 20 से 22
	08/07	1 से 10
	09/07	2, 9, 17, से 20, 23
	10/07	13 से 16
	11/07	24 से 27
	04/08	20 से 26
	07/08	6, 9 से 18
	11/08	3 से 9
	04/09	20 से 27
	05/09	5, 8, 10 से 14
	08/09	22 से 28
	11/09	3 से 6
	12/09	3 से 29
श्री सलीम	03/08	26 से 29
	11/08	10 से 14

	12/08	7, 8
श्री विजय	11/07	14, 15
	01/08	24, 27, 28
	02/08	14, 17 से 20, 22, 25
	03/08	2, 4, 17, 23
	09/08	1, 14, 15, 22 से 30
श्री पवन	09/07	1 से 6
	11/07	27 से 29
	10/08	5 से 22
	11/08	2 से 7, 23, 24, 28 से 30
	03/09	24, 25
	04/09	3 से 5, 10 से 30
	05/09	13 से 16, 19 से 30
	06/09	1 से 6, 9 से 27
	09/09	4, 5
	03/10	14, 15
श्री दीपू	12/08	24 से 26
	01/10	5 से 9
	02/10	3, 8, 18
	03/10	12, 13, 15 से 23
श्री राजू	12/08	1 से 17
	12/09	9 से 23
श्री राजेष	11/08	1 से 17
	01/09	13, 14, 19
	02/09	4, 5, 20
	03/09	4, 21

	07/09	3 से 24
	08/09	2 से 4, 17 से 19, 28
	09/09	1, 2, 8, 11 से 14, 18 से 20
	11/09	3, 5, 9 से 11, 18, 19, 23
	12/09	6, 7, 11, 25 से 27
	01/10	4, 10 से 17, 24
	02/10	3, 15 से 23
	03/10	3 से 10, 17, 20, 29, 31
श्री रणजीत	05/09	5, 6, 12 से 31
	06/09	1 से 10, 13
	07/09	4 से 6, 11 से 13, 28 से 31
	08/09	1 से 31
	09/09	10 से 15, 19 से 22
	02/10	7, 8, 12 से 14, 21 से 28
	03/10	1 से 4, 17, 18, 20, 22, 31

13-7 jkf’k ₹20]048 dk vukf/kd`r Hkqxrku ckjs %&

वाऊचर संख्याः शुन्य अवधि 05/08 द्वारा ₹20,048 का भुगतान सेवा निवृत नगर अभियन्ता श्री जय राम ठाकुर को ऐरियर बिल के रूप में किया गया था इस बिल के छानबीन के दौरान यह पाया गया कि इन्हें यह भुगतान उच्च वेतन मान 3000–4500 में वेतन निर्धारण के फलस्वरूप किया गया। इस भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख को अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः परिषद सम्बन्धित अभिलेख को आगामी अंकेक्षण के समय प्रस्तुत करें

13-8 jkf’k ₹81]818 dk Jhefr fuey&1 lQkbZ lsfodk dk vf/kd Hkqxrku %&

परिषद द्वारा श्रीमति निर्मल–1 सफाई सेविका के 31.12.2008 को सेवा निवृति पर 157 दिन के अवकाष का भुगतान वाऊचर संख्या5 9, अवधि 03/10 द्वारा राषि ₹81,818 के लिए किया गया। श्रीमति निर्मल–1 सफाई सेविका के अवकाषों की जाँच की गई तो पाया कि श्रीमति निर्मल–1 के खातें में 31.12.2008 को अर्जित अवकाष शुन्य था। स्थापना प्रभारी के द्वारा बिना सेवा

पुस्तिका की जाँच करके 157 दिनों का भुगतान ₹81,818 श्रीमति निर्मल–1 सफाई सेविका को कर दिया जो गलत था इस बारे कार्यकारी अधिकारी को अधियाचना संख्याः 45, दिनांक 02.06.2011 को जारी की गई थी जिससे बावजूद कार्यकारी अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। सेवा पुस्तिका की छानबीन दौरान यह भी पाया गया कि निम्न दिनों के अवकाष का इन्द्राज सेवा पुस्तिका में नहीं किया गया था फलस्वरूप वेतन का अधिक भुगतान श्री मति निर्मल–1 सफाई सेविका को कर दिया हाजरी पन्जिका में निर्मल–1 अवकाष पर थी इसकी गैरहाजरी विवरणी स्थापना प्रभारी को दी थी परन्तु स्थापना प्रभारी ने अवकाष का इन्द्राज न करके अधिक भुगतान किया। अधिक भुगतान की गणना करके वसूली करनी सुनिष्चित करें।

vof/k	ftru fnu dk vodk'k Fkk
07/04	7
08/04	31
10/04	7
12/04	2
05/05	1
10/05	19
11/05	1
08/08	1
09/08	8
10/08	1
11/08	8
12/09	9
dqy ;kx	95

13-9 lsok iqfLrdkvksa esa vftZr vodk'k dk bUnzkt u djuk ckjs %&

स्थापना शाखा प्रभारी द्वारा नगर परिषद में कार्यरत सफाई सेवकों की सेवा पुस्तिकाओं में वर्ष 2003 से अर्जित अवकाष का इन्द्राज ठीक प्रकार से नहीं किया गया था पिछले अंकेक्षण प्रतिवेदन में सेवा पुस्तिकाओं के प्रस्तुत न करने बारे टिप्पणी की गई थीं इस बावत जब वर्ष 2003 से 03/2010 तक के हाजरी पन्जिका की छानबीन की गई तो पाया गया कि स्थापना प्रभारी द्वारा

हाजरी पन्जिकाओं में अंकित अवकाषों का इन्द्राज सफाई सेवकों की सेवा पन्जिका में नहीं किया था जिसके बारे अधियाचना संख्याः 29, दिनांक 26.04.2011 को जारी की गई थी व साथ ही वर्ष 2003 से 03/2010 तक की हाजरी पन्जिका में पाई गई अर्जित अवकाष/गैर हाजरी की सूचि प्रस्तुत की थी परन्तु उसके बावजूद कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। हाजरी पंजिका के साथ सेवा पुस्तिका के मिलान न करने के फलस्वरूप सफाई कर्मचारियों को वेतन का अधिक भुगतान होने से इन्कार नहीं किया जा सकता। कार्यकारी अधिकारी को परामर्ष दिया जाता है कि 2003 से 03/2010 तक अवधि में जिन–जिन सफाई सेवकों की गैर हाजरी/अर्जित अवकाष की प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में नहीं की गई है, को करके, वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को सूचित करें तथा भविष्य में प्रत्येक कर्मचारी की हाजरी पन्जिका के निरीक्षण के पश्चात ही वेतन बनाया जाए ताकि किसी भी प्रकार की गलती न रह जाए।

13-10 पिछले अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा नम्बर 5(10) में वर्णित आपत्ति में साफ अंकित था कि परिषद के कर्मचारियों के 08/16/24/32 वर्ष के पूर्ण होने पर वेतन वृद्धि क्यों नहीं दी गई। इस बारे अधियाचना 16.07.2001 को कार्यकारी अधिकारी को जारी की थी इसके बावजूद स्थापना प्रभारी के द्वारा अधियाचना की अनुपालना नहीं की गई। कार्यकारी अधिकारी को परामर्ष दिया जाता है कि वह तुरन्त 8/16/24/32 की वेतन वृद्धियों के आदेष निकाले व सभी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं में इन्द्राज करने की और पग उठाएं तथा की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को सूचित करें।

14 jkf’k ₹2]11]807-00 d vufpr Hkxrku ckj %&

परिषद द्वारा राजीव गांधी शॉपिंग कम्पलैक्स में बने तीन शौचाल्य की सफाई व्यवस्था के लिए ठेका सुलभ शौचालय इन्टरनैष्नल चण्डीगढ़ को मासिक ₹1000 पर दिया था जबकि यह कार्य स्थाई सफाई कर्मचारी भी कर सकते थे। इस भुगतान का विवरण निम्न दिया जा रहा है तथा इस भुगतान में पाई गई आपत्ति को भी निम्न दर्षाया जा रहा है :–

okÅpj l[;k	vof/k	jkf’k	vkifÙk
2	09/07	8,807.00	(1) सफाई करवाने हेतु न तो टैण्डर आमन्त्रित किए थे और न ही निविदाएं ली गई थी बिना निविदा/टैण्डर के सफाई व्यवस्था देने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।
2	10/07	7,000.00	
4	11/07	7,000.00	
4	12/07	7,000.00	

5	03/08	7,000.00	(2) सुलभ शौचालय इन्टरनैषनल चण्डीगढ़ द्वारा किस कर्मचारी को सफाई व्यवस्था पर लगाया गया था उसका नाम अंकित नहीं किया गया था बिना कर्मचारी के नाम के भुगतान उचित नहीं जान पड़ता।
1	04/08	7,000.00	
1	05/08	7,000.00	
2	06/08	7,000.00	
1	09/08	14,000.00	
2	09/08	7,000.00	
3	10/08	7,000.00	
1	11/08	7,000.00	(3) सफाई विभाग परिषद द्वारा कर बांछित कम्पलैक्स में लगे कर्मचारी की कोई दैनिक हाजरी भी नहीं लगाई गई थी जिसके अभाव मे अदायगी उचित नहीं जान पड़ती।
1	12/08	7,000.00	
2	01/09	7,000.00	
1	02/09	7,000.00	
3	03/09	7,000.00	
1	04/09	7,000.00	(4) सुलभ शौचालय इन्टरनैषनल के साथ किसी प्रकार का अनुबन्ध भी नहीं किया गया था बिना अनुबन्ध के कार्य आबंटन की स्थिति स्पष्ट की जाए।
2	05/09	7,000.00	
1	06/09	7,000.00	
1	07/09	7,000.00	
1	09/09	14,000.00	
1	10/09	7,000.00	
1	11/09	7,000.00	
1	12/09	7,000.00	
1	01/10	7,000.00	
1	02/10	7,000.00	
1	03/10	7,000.00	

;kx ₹2]11]807-00

14-1 jkf’k ₹10-80 yk[k dk lqyHk 'kkSpky; dks vuqfpr Hkqxrku %&

परिषद के पास शहर की सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सफाई स्टाफ पूर्ण मात्रा मे उपलब्ध था फिर भी परिषद द्वारा चम्बा बस स्टैण्ड चौगान बाजार से लेकर जिला चिकित्सालय तक की सफाई व्यवस्था करने हेतु सुलभ इन्टरनैषनल एस0एस0 संगठन चण्डीगढ़ को ₹30,000.00 प्रति मास की दर से भुगतान किया गया। इस भुगतान में निम्न आपत्तियां पाई गई तथा अधियाचना संख्याः 11, दिनांक 28.02.2011 द्वारा किए गए व्यय के औचित्य बारे पूछा गया था परन्तु कार्यकारी अधिकारी के द्वारा इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। 04/07 से 03/10 तक उक्त फर्म को ₹10,80,000.00 का भुगतान किया गया था।

(क) बस स्टैण्ड/चौगान बाजार से लेकर जोनल चिकित्सालय तक की सफाई के लिए कोई टैण्डर प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी व न ही कोई निविदाएं ली गई थी बिना टैण्डर/निविदा के कार्य आबंटन करवाने का क्या औचित्य था।

(ख) सफाई कार्य करवाने से पूर्व कोई प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था कि एक मास में जिस क्षेत्र में सफाई व्यवस्था करवाई जानी थी उसमें क्या खर्चा आने का अनुमान था।

(ग) सफाई व्यवस्था हेतु कितने सफाई कर्मचारी रखे गए थे की कोई हाजिरी पन्जिका भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई थी बिना हाजिरी के जाँच करनी मुष्किल थी कि वास्तव में सफाई करवाने हेतु कर्मचारी लगवाए गए थी थे या नहीं।

14-2 jkf’k ₹15]000 dk Hkqxrku cktsa %&

परिषद द्वारा ₹15,000.00 का भुगतान श्री बजरो राम, पुत्र श्री होषियार राम, निवासी कुराहां, जिला चम्बा को किया गया। यह भुगतान किस उद्देष्य के लिए किया गया के बारे कार्यकारी अधिकारी द्वारा कोई आदेष नहीं किए थे और न ही परिषद से इस सन्दर्भ में कोई मन्जूरी प्राप्त की थी। बिना परिषद की मन्जूरी के व्यय का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा मास 05/07 से 07/07 तक श्री बजरो राम के द्वारा किए गए कार्य की प्रोग्रैस का इन्द्राज माप पुस्तिका में दिखाया जाए ताकि किए गए भुगतान की पुष्टि की जा सके।

okÅpj l[;k	vof/k	jkf’k
5	05/2007	5,000.00

6	06／07	5,000.00
7	07／07	5,000.00
		dqy ;ksx ₹15]000-00

14-3 jkf'k ₹20]000 dk vufpr Hkxrku %&

सौलिड वेस्ट मैनेजमैन्ट परियोजना अनुदान से वाऊचर संख्याः 10, अवधि 07／07 द्वारा ₹20,000.00 का भुगतान जिलाधीष चम्बा को मिंजर मेला 2007 के लिए अग्रिम दिया गया था। इस राषि का समायोजन 08／2011 तक नहीं किया गया था। इस निधि से किसी भी प्रकार का अग्रिम नहीं दिया जा सकता था। उक्त राषि की तुरन्त जिलाधीष चम्बा (चेयरमैन मिंजर कमेटी) से वसूली करके सम्बन्धित निधि में जमा करवाएं। भविष्य में इस अनुदान से किसी भी प्रकार का अग्रिम देने से परिहार किया जाए।

14-4 jkf'k ₹52]995-00 dk vufpr Hkxrku %&

नगर परिषद के सोलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजना के लेखों की छानबीन के दौरान यह पाया गया कि इस निधि से निम्नलिखित किए गए व्यय उचित प्रभार नहीं था। यह व्यय इस निधि से सक्षम अधिकारी की मन्जूरी से किया जा सकता था। परन्तु कार्यकारी अधिकारी के द्वारा सक्षम अधिकारी की मन्जूरी के बिना ₹52,995 का व्यय कर दिया था जो आपत्तिजनक था। इस व्यय को सक्षम अधिकारी की मन्जूरी के नियमित करवाया जाए अन्यथा व्यय की गई राषि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करनी सुनिष्चित करें।

okÅpj l[;k	vof/k	jkf'k	fooj.k
3	06／07	4,800.00	ब्रजेष्वरी आर्ट, धर्मषाला रोड, कांगड़ा को उद्घाटन पटिका का भुगतान किया गया।
4	06207	1,000.00	अंकुष खन्ना, ठेकेदार चम्बा को उद्घाटन पन्जिका को कांगड़ा से चम्बा तक पहुंचाने का किराया दिया गया।

5	07/07	2,645.00	फोटो खिचवाने का भुगतान प्रिंस फोटो स्टुडियों, चम्बा को किया गया।
4	07/07	1,890.00	श्री करतार सिंह, कार्यकारी अधिकारी को यात्रा भत्ता का भुगतान किया गया।
6	07/07	1,988.00	श्री जे0एस0राणा, नगर अभियन्ता को यात्रा भत्ता बिल का भुगतान किया गया।
7	08/07	894.00	श्री करतार सिंह, कार्यकारी अधिकारी को यात्रा भत्ता बिल का भुगतान किया गया। यात्रा भत्ता बिल रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं था बिना यात्रा भत्ता बिल से अदायगी का औचित्य स्पष्ट किया जाए।
8	08/07	1,080.00	श्री जे0एस0 राणा, नगर अभियन्ता को यात्रा भत्ता बिल का भुगतान किया गया। यात्रा भत्ता बिल रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं था। बिना यात्रा भत्ता बिल से अदायगी का औचित्य स्पष्ट किया जाए।
9	09/07	3,500.00	दिव्य हिमाचल को मिन्ज़र मेला 2007 के लिए विज्ञापन हेतु भुगतान बिना सक्षम अधिकारी के मन्जूरी के किया गया।
1	10/07	16,900	नैयर लाईट एण्ड टैण्ट हाऊस, चम्बा को टैण्ट इत्यादि के प्रयोग हेतु भुगतान किया गया।
1	11/07	2,058.00	श्री करतार सिंह, कार्यकारी अधिकारी को यात्रा भत्ता बिल का भुगतान किया गया।
3	11/07	900.00	श्री विनोद कुमार, टैक्सी चालक को टैक्सी नम्बर HP-01-4748 के प्रयोग हेतु भुगतान किया गया।
3	04/08	1,750.00	श्री विनोद सिंह, टैक्सी चालक टैक्सी नम्बर HP-48-8448 के प्रयोग हेतु भुगतान किया गया।
5	07/08	4,000.00	हमीद खान, रिपोर्टर दिव्य हिमाचल चम्बा को विज्ञापन हेतु भुगतान किया गया। सम्बन्धित बिल रिकॉर्ड में

			उपलब्ध नहीं था।
3	08/08	3,000.00	श्रीमति रेखा देवी, सम्पादक पंजाब केसरी चम्बा को मिन्जर मेला 2008 के विज्ञापन हेतु भुगतान किया गया।
4	08/08	3,000.00	इन लिंकिंग न्यूज़, चम्बा को मिन्जर मेला 2008 के विज्ञापन हेतु भुगतान किया गया।
2	11/08	2,090.00	श्री करतार सिंह, कार्यकारी अधिकारी को यात्रा भत्ता बिल का भुगतान किया गया।
1	02/09	1,500.00	फोटो खिचवाने हेतु प्रिंस फोटो स्टूडियों को भुगतान किया गया।
	;kx	₹52]995-00	

14-5 jkf’k ₹3]12]560-00 dk Hkqxrku ckjs %&

सोलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजना के अर्न्तगत परिषद द्वारा निर्मित प्रोजैक्ट कुराहां, जिला चम्बा में 07/07 से कार्य कर रहा है। इस परियोजना में सैग्रीगेषन कार्य के लिए कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्याः 255–ई0एस0, दिनांक 01.08.2007 द्वारा बजरो राम पुत्र होषयार राम निवासी कुराहां को कार्य का आबंटन ₹21,000.00 पर किया। इस आदेष में कार्यकारी अधिकारी के द्वारा यह नहीं लिखा था कि ₹21,000.00 मासिक कार्य के लिए हैं या वार्षिक कार्य के लिए। इस के बावत सम्बन्धित प्रभारी से पूछा गया तो उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया व परिषद के द्वारा ₹21,000.00 का भुगतान मासिक तौर पर किया जाता रहा। इस भुगतान में निम्न आपत्तियां पाई गई :–

(क) सेग्रीगेषन कार्य के लिए मासिक कितना खर्चा परिषद को वहन करना पड़ना था के बारे अभियन्ता शाखा से कोई प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था बिना प्राक्कलन के कोटेषने मंगवाने का क्या औचित्य था। इस कार्य के लिए प्राक्कलन तैयार करने के उपरान्त टैण्डर मंगवाए जाने चाहिए थे।

(ख) श्री बजरो राम के साथ कोई अनुबन्ध नहीं किया गया था बिना अनुबन्ध के सेग्रीगेषन का कार्य नहीं करवाया जा सकता था अनुबन्ध न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट करें।

(ग) बजरो राम के द्वारा सेग्रीगेषन कार्य के लिए कितने कर्मचारी काम पर लगाए थे व रोजाना उनके द्वारा क्या कार्य किया जाता था की प्रोग्रैस स्वस्थ्य निरीक्षक के द्वारा तैयार नहीं की थी और बजरो राम के कार्य को प्रति दिन कौन हाजरी लगाता था की पंजिका भी अंकेक्षण हेतु प्राप्त नहीं की गई।

okÅpj l[;k	vof/k	jkf'k ¼₹½ esa
5	08／07	21,000.00
1	09／07	21,000.00
2	10／07	21,000.00
2	11／07	21,000.00
2	12／07	21,000.00
3	01／08	21,000.00
3	02／08	21,000.00
1	03／08	21,000.00
4	04／08	21,000.00
1	05／08	21,000.00
2	06／08	21,000.00
1	07／08	21,000.00
7	07／08	19,275.00
1	09／08	21,000.00
5	10／08	20,285.00
	dqy ;ksx	₹3]12]560-00

14-6 <u>jkf'k ₹35]559-00 dk vf/kd Hkqxrku ckjs</u> ¼&

परिषद द्वारा पाठषालाओं के लिए 412 नम्बर डैस्क की खरीद की जानी थी परिषद द्वारा इस सामान की सरकार द्वारा घोषित दर संविदा वाली दुकानों से खरीदा जिनका विवरण निम्न प्रकार है :–

Øe l[;k	QeZ dk uke	Quhpj l[;k	ftruk e lkeku [kjhnk	oSV dk Hkxrku
1	मधुर स्टील उद्योग चम्बा	137 डैस्क	2,15,775.00	23,975.00
2	आर0के0 स्टील इण्डस्ट्री परेल, चम्बा	138 डैस्क	2,17,350.00	24,150.00
3	खन्ना स्टील इण्डस्ट्री चम्बा	137 डैस्क	1,93,478.00	6,288.00

उक्त सारणी अनुसार एक ही प्रकार का सामान खरीदा गया तथा वैट का भुगतान खन्ना स्टील इन्डस्ट्री चम्बा को ₹6,283.00 किया गया जबकि उतने ही सामान का दुसरी फर्मों को ₹23,975.00 व ₹24,150.00 वैट के रूप में भुगतान किया। यदि सामान खन्ना स्टील इण्डस्ट्री से खरीदा जाता तो परिषद को ₹35,559.00 (₹23,975 – 6283 = ₹17,692) (24150 – 6283 = 17867) (17692 + 17867 = 35559) की बचत हो सकती थीं कार्यकारी अधिकारी द्वारा बिलों की जाँच किए बिना भुगतान किया जो गलत था। इस बारे अंकेक्षण अधियाचना 5, दिनांक 02.02.2011 जारी की गई थी जिसका जवाब कार्यकारी अधिकारी के द्वारा नहीं दिया गया। इस खरीद में ₹35,559.00 के वैट के अधिक भुगतान को अंकेक्षण में उचित नहीं माना जा सकता। राषि की वसूली करनी सुनिष्चित करें। इस अधिक भुगतान का उत्तरदायित्व निर्धारित करके राषि की वसूली करें।

14-7 jkf'k ₹33]615-00 dk vufpr Hkxrku %&

नगर परिषद के लेखों की छानबीन दौरान पाया गया कि निम्न व्यय परिषद निधि से उचित प्रभार नहीं था। इस व्यय को सक्षम अधिकारी की मन्जूरी से नियमित करवाया जाए अन्यथा वसूली करे परिषद कोष में जमा करवाएं अनुपालना की पुष्टि आगामी अंकेक्षण में करवाई जाए भविष्य में अनियमित व्यय से परिहार किया जाए।

okÅpj l[;k	vof/k	jkf'k	fooj.k
–	07/07	1,405.00	वीडीयो कवरेज का भुगतान प्रिंस स्टुडियो, चम्बा को किया गया।
–	10/07	5,000.00	दि इनलिकिंग न्यूज पेपर, चम्बा को विज्ञापन हेतु

			भुगतान
—	12/07	3,000.00	सरगम केवल नेटवर्क, चम्बा को केवल पर विज्ञापन हेतु भुगतान किया।
—	01/08	7,100.00	जितेन्द्र सिंह, लिपिक को लोहड़ी मेले हेतु भुगतान किया
—	03/08	6,740.00	पुनीत मल्होत्रा, चम्बा को केवल चैनल पर विज्ञापन हेतु भुगतान किया
—	07/08	1,685.00	पुनीत मल्होत्रा, चम्बा को केवल चैनल पर विज्ञापन हेतु भुगतान किया
—	08/08	1,685.00	पुनीत मल्होत्रा, चम्बा को केवल चैनल पर विज्ञापन हेतु भुगतान किया
—	09/08	500.00	सजय कुमार, प्रधान, चम्बा को रथ पथनी मेला 2008 को मनाने हेतु भुगतान किया
15	03/10	1,500.00	पुनीत मल्होत्रा, चम्बा को केवल चैनल पर विज्ञापन हेतु भुगतान किया
92	03/10	5,000.00	दि इन्टरलिंक न्यूज पेपर, चम्बा को विज्ञापन हेतु भुगतान किया
		;kx ₹33]615-00	

14-8 jkf’k ₹15]000 dk vufpr Hkxrku %&

कार्यकारी अधिकारी के द्वारा औपचारिकताएं पुरी किए बिना बसाकड़ा नाला चम्बा की मलवे की सफाई करवाई और इस कार्य के लिए वाऊचर संख्याः शुन्य अवधि 09/08 द्वारा ₹15,000.00 का भुगतान श्री अविनाष चन्द्र ठेकेदार को किया गया इस भुगतान के औचित्य बारे कार्यकारी अधिकारी को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 6, दिनांक 02.02.2011 द्वारा पूछा गया था परन्तु कार्यकारी अधिकारी द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया इस कार्य का न तो प्राक्कलन तैयार किया था और न ही यह दर्षाया था कि कितना मलवा निकला व कहां फैंका गया। अतः उक्त अभिलेख के आभाव में भुगतान की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः परिषद उक्त अभिलेख के आभाव में भुगतान का औचित्य स्पष्ट करें।

14-9 jkf’k ₹15]000 dk vufpr Hkxrku %&

वाऊचर संख्याः शुन्य अवधि 11/08 द्वारा ₹15,000.00 का भुगतान सुरेन्द्र सिंह ठेकेदार को आई0टी0आई0 चम्बा के समीप नाली की सफाई करवाने हेतु किया गया। कार्यकारी अधिकारी द्वारा बिना औपचारिकता के उक्त करवाया गया था जिसके लिए कार्यकारी अधिकारी को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 7, दिनांक 02.02.11 को जारी की गई थी अधियाचना का जवाब न देने के फलस्वरूप उक्त व्यय उचित नहीं जान पड़ता। इस राषि की वसूली करनी सुनिष्चित करें अन्यथा व्यय को उचित ठहराया जाए।

14-10 परिषद द्वारा वाऊचर संख्याः 11, अवधि 01/10 द्वारा ₹33,511.00 का भुगतान खन्ना स्टील इन्डस्ट्री चम्बा को परिषद के 7 कोटेनरों की मुरम्मत करने हेतु किया गया। इस भुगतान को करने से पूर्व औपचारिक्ता पूरी नहीं की गई थी। इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 10, दिनांक 28.02.11 के द्वारा पूछा गया था परन्तु कार्यकारी अधिकारी के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। परिषद द्वारा प्रति कोटेनर की मुरम्मत ₹4,900.00 दर्षाई है कोटेनरों में किस–किस सामान की मुरम्मत करवाई जानी अपेक्षित थी के बारे में भी स्पष्ट नहीं था तथा न ही मुरम्मत कार्य का प्राक्कलन बनाया गया था। बिना प्राक्कलन कोटेनरों को मुरम्मत से पूर्व व बाद में तोला (Weight) जाना आवष्यक था ताकि पता चलता की वास्तव में मुरम्मत के बाद कितना नया लोहा कोटेनर में लगा है। इसके अभाव में भी भुगतान उचित नहीं जान पड़ता। कोटेनरों को कब मुरम्मत करने को ले जाया गया व कब मुरम्मत को कर आए का भी उल्लेख भण्डार पंजिका में नहीं था। बिना औपचारिकता के व्यय किया जाना संदिग्ध प्रतीत होता है व इसे अंकेक्षण में उचित नहीं माना जा सकता। अतः उपरोक्त अभिलेख के अभाव में भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा राषि की वसूली करने के उपरान्त परिषद निधि में जमा करवाना सुनिष्चित किया जाए।

14-11 jkf’k ₹1]00]000 dh olwyh ckjs %&

परिषद द्वारा वाऊचर संख्याः शून्य अवधि 11/2008 द्वारा ₹1,00,000 का व्यय रैड–क्रॉस मेला मनाने हेतु किया गया था जिससे परिषद द्वारा रैड–क्रॉस मेले के लिए 45 दुकानों का निर्माण किया इस व्यय का बजट में कोई प्रावधान नहीं था और बिना बजट प्रावधान के सक्षम अधिकारी की मन्जूरी लिए बिना व्यय किया गया जो अनियिमत था इन 45 दुकानों से रैड–क्रॉस मेले में जो आय प्राप्त हुई उसका भी लेखा जोखा परिषद के पास नहीं था। रैड–क्रॉस मेले का आयोजन जिलाधीष चम्बा द्वारा करवाया गया था और जिलाधीष चम्बा जो रैड–क्रॉस सोसायटी के चेयरमैन भी हैं के द्वारा व्यय करना आपेक्षित था इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 8, दिनांक 02.02.2011 को जारी की गई परन्तु इस का कार्यकारी अधिकारी के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया जिससे पता चलता है कि रैड–क्रॉस मेले से जो आय प्राप्त हुई व आय को परिषद कोष में जमा करवाया

जाना चाहिए था जो नहीं करवाया गया। इस मेले की आय किसने प्राप्त की का ब्यौरा भी अंकेक्षण में नहीं बताया गया इस ₹1,00,000 की राषि जिलाधीष चम्बा से वसूल करके परिषद कोष में जमा करवाएं अन्यथा इस अवैध भुगतान का उतरदायित्व निर्धारित करके राषि की वसूली करनी सुनिष्चित करें।

14-12 jkf'k ₹65]000 dk vukf/kdr Hkxrku ckj %&

वाऊचर संख्याः 49, अवधि 12/09 द्वारा ₹65,000 का भुगतान श्री राम लाईट एण्ड टैण्ट हाऊस चम्बा को रैड–क्रॉस मेला 2009 में 52 स्टाल बनाने हेतु किया गया। रैड–क्रॉस मेला 2009 का आयोजन चैयर मेन–कम–जिलाधीष चम्बा के द्वारा करवाया गया था। इस भुगतान का प्रावधान बजट 2009 में भी परिषद के द्वारा नहीं किया गया था ₹65,000 का भुगतान परिषद कोष से उचित न मानते हुए समस्त राषि की वसूली जिलाधीष चम्बा से करके परिषद कोष में जमा करवाएं अन्यथा इस व्यय को उत्तरदायित्व निर्धारित करके सम्बन्धित कर्मचारी से वसूली करने की और पग उठाएं।

14-13 jkf'k ₹6]350-00 dk vufpr Hkxrku %&

परिषद ने अपने स्थाई कर्मचारी श्री मोहिन्द्र सफाई सेवक से सफाई करवा करके भुगतान भी कर दिया जबकि परिषद के भवनों की सफाई करना स्थाई/अस्थाई कर्मचारी जो परिषद के द्वारा वेतन पर तैनात किए हैं को परिषद अन्य भुगतान नहीं कर सकती थी श्री मोहिन्द्र सफाई सेवक को आई0डी0एस0एम0टी0 खाते से ₹6,350.00 भुगतान किया था जो अनुचित था। इस भुगतान को अंकेक्षण में उचित नहीं माना जा सकता। इस राषि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से या जिसके द्वारा भुगतान किया था से करके परिषद कोष में जमा करवाएं।

okÅpj l[;k	vof/k	jkf'k	tgk dh lQkbZ djokbZ
–	07/07	500.00	शॉपिंग कम्पलैक्स की सफाई करवाई
–	01/09	5,850.00	जंजधर की सफाई करवाई
	;kx	₹6]350-00	

14-14 jkf'k ₹50]000 dk vufpr 0;; %&

वाऊचर संख्याः शुन्य अवधि 12/08 द्वारा ₹50,000 का भुगतान राम लाईट एण्ड टैण्ट हाऊस चम्बा को रैड–क्रॉस मेला 2007 के विरूद्ध किया गया इसका सम्बन्धित रिकॉर्ड विद्यमान नहीं था व इस रैड–क्रॉस मेला पर परिषद के द्वारा किसी प्रकार का व्यय नहीं किया जा सकता था न ही परिषद के पास इस व्यय के लिए कोई बजट का प्रावधान था। सम्बन्धित रिकॉर्ड लेखाकार द्वारा प्रस्तुत न किए जाने के फलस्वरूप इस व्यय की जाँच न की जा सकी। परिषद ने भी इस व्यय को करने की मन्जूरी प्रदान नहीं की थी इस व्यय को करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

14-15 <u>jkf'k ₹50]000 dk jSM&Øk l esyk 2008 ij vufpr Hkxrku</u> %&

वाऊचर संख्याः शून्य, अवधि 12/08 द्वारा ₹50,000 का भुगतान नैयर लाईट एण्ड टैण्ट हाऊस चम्बा को रैड–क्रॉस मेला 2008 के विरूद्ध किया गया। रैड–क्रॉस मेले का आयोजन व इस पर व्यय करना चेयरमैन रैड–क्रॉस कमेटी चम्बा का कार्य था इस व्यय को परिषद कोष से नहीं किया जा सकता था। यह व्यय परिषद निधि से उचित प्रभार नहीं था। इस राषि की वसूली चेयरमैन रैड–क्रॉस सोसायटी चम्बा से करके नगर परिषद कोष में जमा करवाएं तथा भविष्य में इस प्रकार के व्यय करने से परिहार किया जाए जहां से परिषद को कोई आय प्राप्त न हो।

14-16 वाऊचर संख्याः 12, अवधि 12/09 द्वारा ₹2,000 का भुगतान गाड़ी नम्बर HP-48-407 की कम्पोजीषन फीस के लिए किया गया गाड़ी पासींग 24.10.2008 को होनी निष्चित थी परन्तु कार्यकारी अधिकारी/वाहन प्रभारी की गलती से गाड़ी की पासींग नहीं करवाई गई जिसके फलस्वरूप ₹2,000.00 की कम्पोजीषन फीस देनी पड़ी। इस राषि का उत्तरदायित्व निर्धारित करके उक्त वसूली करके परिषद कोष में जमा करवाएं क्योंकि यह भुगतान परिषद निधि से उचित प्रभार नहीं था।

14-17 <u>jkf'k ₹14]290-00 dk 0;; okÅpjk dk miyC/k u djuk</u> %&

परिषद द्वारा स्वास्थ्य निरीक्षक को लावारिस लाषों के दाह संस्कार करने हेतु राषि ₹14,290 का भुगतान किया गया इस राषि के व्यय के वाऊचर रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं थे। बिना वाऊचर के व्यय को उचित नहीं माना जा सकता आगामी अंकेक्षण में व्यय के वाऊचरों को प्रस्तुत किया जाए।

okÅpj la[;k	vof/k	jkf'k
–	11/07	1,610.00
–	11/07	1,610.00

–	05/08	1,620.00
–	11/08	1,890.00
11	04/09	1,890.00
36	08/09	1,890.00
4	09/09	1,890.00
21	09/09	1,890.00
		₹14]290-00

14-18 <u>fcuk nj lafonk okyh Qe Z ls jkf’k ₹4-14 yk[k ds fctyh ds lkeku dh [kjhn djuk</u> %&

परिषद द्वारा स्ट्रीट लाईट इत्यादि का सामान दर संविदा वाली फर्म से नहीं खरीदा गया। सरकार के दिषा निर्देषों के अनुसार बिजली के सामान का क्रय दर संविदा वाली फर्म से ही क्रय करना था। कार्यकारी अधिकारी स्थिति स्पष्ट करें कि सरकार के द्वारा जारी किए गए दर संविदा वाली फर्म के सामान क्यों नहीं खरीदा गया यदि सामान खुली मार्किट के खरीद करनी थी तो सक्षम अधिकारी से अनापति प्रमाण पत्र क्यों नहीं प्राप्त किया। अतः इस क्रय का नियमितिकरण सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके करें।

okÅpj la[;k	vof/k	jkf’k	fooj.k ftlls lkeku [kjhnk x;k
–	04/07	9,774.00	अरोड़ा इलैक्ट्रीकल एप्लाइन, चम्बा
–	05/07	6,080.00	मीठा राम, पूर्ण चन्द, चम्बा
–	06/07	5,355.00	वालीया एजैंसी, पठानकोट (पंजाब)
–	09/07	10,431.00	वालीया एजैंसी, पठानकोट (पंजाब)
10	10/07	10,745.00	अरोड़ा इलैक्ट्रीकल एप्लाईन, चम्बा
–	11/07	34,195.00	मीठा राम, पूर्ण चन्द, चम्बा
–	12/07	12,115.00	वी0आर0 सूरी, चम्बा
–	03/08	11,084.00	अरोड़ा इलैक्ट्रीकल एप्लाइन, चम्बा

–	03 / 08	12,506.00	मीठा राम, पूर्ण चन्द, चम्बा
–	03 / 08	10,840.00	वी0आर0 सूरी, चम्बा
–	04 / 08	20,908.00	मीठा राम, पूर्ण चन्द, चम्बा
–	06 / 08	6,600.00	मीठा राम, पूर्ण चन्द, चम्बा
–	08 / 08	8,289.00	वालीया एजैंसी, पठानकोट (पंजाब)
–	09 / 08	14,482.00	सुरिन्द्र कुमार, चम्बा
–	09 / 08	7,900.00	सुरिन्द्र कुमार, चम्बा
–	09 / 08	15,783.00	अरोड़ा इलैक्ट्रीकल एप्लाइन, चम्बा
–	10 / 08	3,000.00	मीठा राम, पूर्ण चन्द, चम्बा
–	10 / 08	16,564.00	वालीया एजैंसी, पठानकोट (पंजाब)
–	11 / 08	17,064.00	सुरिन्द्र कुमार, चम्बा
–	01 / 09	20,239.00	अरोड़ा इलैक्ट्रीकल एप्लाइन, चम्बा
–	01 / 09	16,765.00	सुरिन्द्र कुमार, चम्बा
–	03 / 09	16,375.00	सुरिन्द्र कुमार, चम्बा
–	03 / 09	11,235.00	अरोड़ा इलैक्ट्रीकल एप्लाइन, चम्बा
–	08 / 09	20,063.00	अरोड़ा इलैक्ट्रीकल एप्लाइन, चम्बा
–	08 / 09	14,090.00	सुरिन्द्र कुमार, चम्बा
–	09 / 09	10,747.00	वी0आर0 सूरी, चम्बा
–	10 / 09	15,744.00	विषाल सूरी, चम्बा
–	10 / 09	13,150.00	वी0आर0 सूरी, चम्बा
–	12 / 09	33,845.00	मीठा राम, पूर्ण चन्द, चम्बा
35	01 / 10	2,330.00	सेखड़ी सेलज़, चम्बा
36	01 / 10	5,315.00	अरोड़ा इलैक्ट्रीकल एप्लाईन, चम्बा

;kx	₹4]13]613-00

14-19 jkf’k ₹41-93 yk[k dk vufpr Hkxrku ¼&

परिषद के रिकॉर्ड की छानबीन दौरान यह पाया गया कि नगर परिषद द्वारा अवधि 04/07 से 03/10 के मध्य हिमाचल प्रदेष विघुत बोर्ड (लि0) को स्ट्रीट लाईट के बिलों के विरूद्ध ₹41,92,516.00 का भुगतान किया गया । स्ट्रीट लाईट की पन्जिका की छानबीन में पाया गया कि उक्त राषि का भुगतान बिना मीटर लगाए किया गया था बिजली के मीटर को लगाए बिना विद्युत बोर्ड ने अपनी मर्जी से काल्पनिक बिजली की खपत के आधार पर प्रतिमास लगभग ₹एक लाख से उपर का बिल परिषद को दिया जिसकी सूचि इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट ‘‘त’’ में दर्षाया गया है। कार्यकारी अधिकारी स्पष्ट करें कि जब विघुत बोर्ड द्वारा प्रति मास एवरेज़ कन्जम्पषन यूनिट जो 35000 व 40000 थी के आधार पर दिए गए बिलों का भुगतान क्यों किया? क्या परिषद द्वारा इन एवरेज यूनिटों में दर्षाई बिजली खपत को मान लिया था। परिषद द्वारा स्ट्रीट लाईट के प्रयोग के लिए बिजली का मीटर क्यों नहीं लगाया था व मीटर न लगाए जाने के फलस्वरूप बिजली के बिल का अधिक भुगतान तो नहीं किया गया था इसकी छानबीन स्वयं करके अंकेक्षण को वास्तुस्थिति से अवगत करवाना सुनिष्चित करें।

14-20 jkf’k ₹4-60 yk[k dk fctyh dk lkeku fcuk ikôyu cuk, [kjhn djus ckjs ¼&

परिषद द्वारा स्ट्रीट लाईट फिक्चर खूली मार्किट से खरीदे थे। खरीद से पूर्व किसी प्रकार के प्राक्कलन नहीं बनाए गए थे। जब भी परिषद में नए प्वाईंट लगाने होते है या पुराने प्वांइटों को बदल कर नए प्वाइंटों में तबदील करना हो तो उसका प्राक्कलन तैयार करके परिषद की मन्जूरी ली जानी अनिवार्य होती है परन्तु कार्यकारी अधिकारी के द्वारा बिना प्राक्कलन बनाए और परिषद की मन्जूरी लिए बिना स्ट्रीट लाईट फिक्चर खरीद लिए जो अनियमित थे। इन खरीदे गए फिक्चरों को कहां लगाया गया का भी कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। अतः उक्त अभिलेख के अभाव में की गई खरीद का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए। खरीद का विवरण निम्न प्रकार था।

okÅpj l[;k	vof/k	jkf’k	fooj.k
—	05/07	37,161.00	50 नम्बर स्ट्रीट लाईट फिक्चर वी0आर0 सूरी एण्ड सन्ज़, चम्बा से खरीदे गए।
10	10/07	9,000.00	10 फिटिंग का भुगतान वी0आर0 सूरी, चम्बा को किया

–	10 / 07	1,000.00	10 नम्बर स्ट्रीट लाईट फिटिंग यूनिवर्सल स्टोर, चम्बा से खरीदी गई।
–	02 / 08	25,402.00	4 नम्बर स्ट्रीट लाईट फिटिंग का भुगतान ₹2,285.00 प्रति फिटिंग के हिसाब से ₹9,140 वालीया एजैन्सी, पठानकोट को किया गया।
–	03 / 08	15,069.00	6 नम्बर स्ट्रीट लाईट फिटिंग का भुगतान वालीया एजैन्सी, पठानकोट पंजाब को किया गया।
–	05 / 08	77,667.00	110 स्ट्रीट लाईट फिटिंग सुरिन्द्र कुमार, चम्बा से खरीदी गई।
28	02 / 10	2,89,095.00	110 स्ट्रीट लाईट सी0एफ0एल0 फिटींग विषाल सूरी, चम्बा में खरीदी गई।
	;kx	4]60]344-00	

14-21 LVªhV ykbV dk n:i;ksx ckjs ¼&

परिषद द्वारा अनाधिकृत रूप से प्राईवेट क्षेत्र में स्ट्रीट लाईट के प्वाइंटों को लगाया गया था जबकि प्राईवेट क्षेत्र में परिषद स्ट्रीट लाईट प्वाईट नहीं लगा सकती थी। इस बारे कार्यकारी अधिकारी को अधियाचना संख्याः 20, दिनांक 30.03.2011 द्वारा पूछा गया था परन्तु कार्यकारी अधिकारी द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया जिससे पुष्टि हो जाती है कि परिषद द्वारा अनाधिकृत रूप में स्ट्रीट लाईट प्वाईंट लगाए थे के कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं इसके अतिरिक्त यदि कोई अन्य प्राईवेट स्थान पर प्वाईंट लगाए हों तो उन प्वाईंटों को लगाने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए।

LFkku tgka LVªhV ykbV yxkbZ gS	LVªhV ykbV IokbaV dh la[;k
माननीय सैषन जज चम्बा निवास	4
चिकित्सालय कलौनी के अन्दर	4
जिलाधीष निवास के अन्दर	3

एस0डी0ओ0 विद्युत निवास 1

14-22 jkf'k ₹1-00 yk[k dk Hkqxrku ckjs %&

वाऊचर संख्याः 8, अवधि 05/07 द्वारा ₹99,520.00 का भुगतान सहायक अभियन्ता हिमाचल प्रदेष विद्युत परिषद चम्बा को सोलिड वेस्ट मैनेजमैन्ट परियोजना कुराहं चम्बा में बिजली कोनैक्षन आदि के कार्य के लिए किया गया था। इस राषि का हिसाब विद्युत परिषद के द्वारा परिषद को नहीं दिया था जो लिया जाना अपेक्षित था। विद्युत परिषद से उक्त राषि का हिसाब किताब ले कर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए ताकि व्यय को उचित माना जा सके। अन्यथा समस्त राषि की वसूली की जानी सुनिष्चित करें।

14-23 jkf'k ₹29]600 dk Hkqxrku ckjs %&

वाऊचर संख्याः 1 अवधि 06/08 द्वारा ₹29,600.00 का भुगतान खन्ना स्टील इन्डस्ट्री चम्बा को 4 अद्द पोल खरीदने हेतु किया गया था इन पोलों को खरीदने से पूर्व न कोई एस्टीमेट बनाया गया था और न ही टैण्डर किए गए थे बिना प्राक्कलन के खरीद किए जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। पोलों की खरीद के लिए न तो कोई प्रचेज़ कमेटी बनाई थी ओर न ही उक्त खरीद की मन्जूरी परिषद से ली थी। पोलों की क्या स्पेसीफिकेषन होनी थी व कितने बजन का पोल होना चाहिए था ऐसा कहीं अंकित नहीं किया गया था इस खरीद को सक्षम अधिकारी की मन्जूरी से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में खरीद से पूर्व औपचारिक्ता पूरी करने की और पग उठाएं।

14-24 jkf'k ₹2]10]00]000 dk fgeqMk dks /kjkgj jkf'k ls Hkqxrku ckjs %&

नगर परिषद द्वारा राजीव गान्धी शॉपिंग कम्पलैक्स का निर्माण जिसमें 42 दुकानों/बैंक/रैस्टोरैन्ट थे हिमुडा से करवाया था इस बारे रिकॉर्ड अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अधिकारी द्वारा उक्त शॉपिंग कम्पलैकस के लिए एक इष्तिहार कार्यालय से जारी किया इष्तिहार में साफ अंकित था कि 19.04.2007 को दुकानें इत्यादि का ड्रा भाग्य चक्र (LOT) के द्वारा निकाला जाना था परन्तु रिकॉर्ड के अनुसार बिना भाग्य चक्र (LOT) का सहारा लिए तत्कालीन प्रधान/कार्यकारी अधिकारी द्वारा नवनिर्मित दुकानों की निलामी कर दी जिससे पात्र लोगों को दुकानें नहीं मिली क्योंकि उक्त दुकानों का निर्माण आई0डी0एस0एम0टी0 अनुदान से निर्मित की जानी थी व परिषद क्षेत्र के कमजोर वर्ग को दुकानों का अलाटमैन्ट किया जाना अपेक्षित था परन्तु कार्यकारी अधिकारी/प्रधान नगर परिषद ने कमजोर वर्ग के लोगों को दुकानों का वितरण न करके केवल अमीर लोगों को दुकानों का अलाटमैन्ट किया व लोगों से ₹2,16,50,000 वसूल करके

आई0डी0एस0एम0टी0 खाते में जमा करवाया जो दुकानदारों से केवल जमानत राषि के रूप में धन एकत्रित किया माना गया है व इस राषि को परिषद व्यय नहीं कर सकती। परन्तु परिषद ने दुकानदारों की जमानत राषि में से ₹2,10,00,000 का भुगतान हिमुडा को 04/2007 में कर दिया हिमुडा ने उक्त शॉपिंग कम्पलैक्स कितनी राषि से तैयार किया का लेखा जोखा लिए बिना राषि का भुगतान उचित प्रतीत नहीं होता। अतः परिषद राषि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत_करना सुनिष्चित करें।

14-25 पिछले अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा नम्बर 2(4)(4) में उठाई गई आपत्ति के अनुसार जब सम्बन्धित रोकड़ बही की प्रविष्टियों की सरासर जाँच की तो पाया कि जो राषि अनुदान के रूप में नगर परिषद अभियन्ता को प्राप्त हुई थी को नगर परिषद खाते में जमा नहीं करवाया गया था जबकि नियमाधीन किसी भी विभाग/संस्थान से नगर परिषद के नाम से प्राप्त राषि परिषद खाते में जमा करवाई जानी चाहिए थी परन्तु सम्बन्धित परिषद अभियन्ता ने राषि को नगर परिषद कोष में जमा न करवा कर पंजाब नैषनल बैंक में अपने नाम का खाता नम्बर 4451 में जमा की गई जो अनियमित ही नहीं बल्कि गलत था। नगर अभियन्ता द्वारा बिना प्रधान/कार्यकारी अधिकारी व परिषद की मन्जूरी के खाता खुलवाना उचित नहीं था। रिकॉर्ड में कोई इस प्रकार पत्र/आदेष भी प्राप्त नहीं हुए जिसमें खाता खुलवाने बारे कोई टिप्पणी की हो। नगर परिषद के कर्मचारी होते हुए समान्तर रोकड़ बही का चलन करना व खर्च करना लेखा नियमों के प्रावधान के प्रतिकूल था। नगर अभियन्ता ने जो भी व्यय इस खाते से किए हैं उसको कार्यकारी अधिकारी या नगर परिषद से भी पास नहीं करवाया है व व्यय को स्वयं एकाधिकार का प्रयोग करते हुए किया जो एक गम्भीर अनियमितता थी।

खाता नम्बर 4451 वर्ष 1990 से खुलवाया गया था इस खाते का 04/2001 से पूर्व का कोई लेखा परीक्षण नहीं किया गया था जबकि जिलाधीष से प्राप्त अनुदान राषि का लेखा परीक्षण किया जाना अपेक्षित था। बिना सक्षम अधिकारी के आदेष के खाता खुलवाना व राषि के व्यय करने का औचित्य कार्यकारी अधिकारी चम्बा स्पष्ट करें। उक्त खाते की रोकड़ बही नगर परिषद कर्मचारी जितेन्द्र सिंह, जरम सिंह व अन्य कर्मचारियों के द्वारा इन्द्राज किया जाता रहा था जिससे साफ प्रतीत होता है कि नगर अभियन्ता द्वारा जब नगर परिषद कर्मचारियों से उस रोकड़ बही के अदान प्रदान का कार्य लेते रहे तो उस राषि को नगर परिषद खाते में जमा क्यों नहीं करवा सके।

खाता नम्बर 4451 में वर्ष 04/96 से 03/07 तक लगभग ₹3 करोड़ से उपर की राषि की प्राप्ति हुई थी व उस राषि में वर्ष 03/07 में ₹15,92,061.44 की राषि शेष थी जिसे बाद में जे0एस0 राणा, सहायक अभियन्ता (एम0ई0) द्वारा नगर परिषद खाते में जमा करवाया गया।

04/96 से 03/07 अवधि की रोकड़ बही में पाया गया कि नगर अभियन्ता द्वारा ₹1,50,63,520.00 का अग्रिम विभिन्न ठेकेदारों/कर्मचारियों को दिया था जिसका उल्लेख इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट ''न'' में दिया गया है। क्या यह राषि नगर अभियन्ता द्वारा समायोजित की गई थी या नहीं इसके बारे जब परिषद लेखाकार से पूछा गया तो वह अंकेक्षण को सन्तुष्ट नहीं कर सके। परिषद अभियन्ता को अग्रिम देने/सामायोजन करने व दूसरे कार्यों पर किए गए व्यय को करने का अधिकारी था तो नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी नियम के अधीन स्थिति स्पष्ट करें तथा अपने अधीनस्थ कर्मचारी के द्वारा चलाई जा रही रोकड़ बही जिसमें लगभग ₹3.00 करोड़ का अदान प्रदान हुआ व अग्रिम के रूप में ₹1,50,63,520.00 की राषि को दिए जाने बारे लिखित है। ₹1,50,63,520 के समायोजन सम्बन्धि अभिलेख अंकेक्षण को आगामी अंकेक्षण के समय उपलब्ध करवाना सुनिष्चित किया जाए।

14-26 jkf’k ₹3]000 dk vuqfpr Hkqxrku %&

वाऊचर संख्याः 1, अवधि 06/07 द्वारा ₹3,000.00 का भुगतान आकाष इन्फोसिस करीयां चम्बा को कम्पयूटर की मुरम्मत के लिए किया गया यह भुगतान एस0जे0एस0आर0वाई0 की अनुदान राषि से किया गया था यह व्यय इस निधि से उचित प्रभार नहीं था। इस व्यय को सक्षम अधिकारी की मन्जूरी से नियमित करवाया जाए अन्यिाा समस्त राषि की वसूली करनी सुनिष्चित करें।

14-27 jkf’k ₹4]404-00 dk vuqfpr Hkqxrku %&

एस0जे0एस0आर0वाई0 निधि से वाऊचर संख्याः 1, अवधि 05/08 द्वारा ₹4,404.00 का भुगतान श्री करतार सिंह कार्यकारी अधिकारी को षिमला में 28.04.2008 से 04.05.2008 की शहरी विकास में बैठक में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ता के रूप में की गई। यात्रा भत्ता का भुगतान परिषद निधि से किया जाना अपेक्षित था। एस0जे0एस0आर0वाई0 निधि से यह व्यय उचित प्रभार नहीं था। इस राषि को परिषद निधि से वसूल करके एस0जे0एस0आर0वाई0 निधि में जमा करवाएं अन्यथा सम्बन्धित अधिकारी से राषि की वसूली करनी सुनिष्चित करें।

14-28 jkf’k ₹17]230-00 dk vuqfpr Hkqxrku %&

एस0जे0एस0आर0वाई निधि से कुछ सामान की खरीद की गई दर्षाई थी जो इस निधि से उचित प्रभार नहीं था। इस खरीद को सक्षम अधिकारी की मन्जूरी से नियमित करवाया जाए अन्यथा इस व्यय को उचित प्रभार न मानते हुए समस्त राषि ₹17,230.00 जिसका उल्लेख निम्न

प्रकार है, सम्बन्धित कर्मचारी से करके सम्बन्धित निधि में जमा करवाए भविष्य में इस प्रकार के अनियमित व्यय से परिहार किया जाए।

okÅpj l|[;k	vof/k	jkf'k	fooj.k
2	05/08	180.00	12 फोटो प्रिंस स्टूडियों चम्बा से खिचवा कर भुगतान किया।
5	06/08	6,700.00	पठानीया इलैक्ट्रोनिक्स चम्बा से एस0पी0 1018 नम्बर प्रिन्टर, कम्पयूटर के लिए खरीदा गया।
6	06/08	7,200.00	पठानीय इलैक्ट्रोनिक्स चम्बा से राजीव गान्धी कम्पलैक्स चम्बा के लिए एक फैक्स मशीन खरीदी गई।
1	09/08	2,400.00	राजीव गान्धी कम्पलैक्स चम्बा के लिए एक कम्पयूटर टेवल खरीदा गया।
2	11/08	750.00	इमेज कम्पयूटर चम्बा को कम्पयूटर में डाटा फिडिंग करने का भुगतान किया गया।
	;kx	₹17]230-00	

14-29 jkf'k ₹52]688-00 dk vu|fpr Hk|xrku ¼&

परिषद के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि कार्यकारी अधिकारी द्वारा कार्यों के एस्टीमेट बनाने हेतु ₹52,688.00 का भुगतान एस्टीमेंट बनाने वालों को किया गया था जबकि एस्टीमेट कनिष्ट अभियन्ता द्वारा बनाए जाने आपेक्षित थे व बाहर के किसी फर्म/आर्टिटैक्ट से कार्यों के एस्टीमेट नहीं बनाए जा सकते थे और यह भुगतान इस निधि से उचित प्रभार नहीं था। इस भुगतान को सक्षम अधिकारी की मंजूरी से नियमित करवाया जाए अन्यथा समस्त राषि का उत्तरदायित्व निर्धारित करके वसूली करनी सुनिष्चित करें।

okÅpj l|[;k	vof/k	jkf'k	fooj.k
15	02/08	2,500.00	शषि कान्त आर्टिटैक्ट, निवासी भ्रदम चम्बा को भुगतान किया गया।
4	08/08	6,500.00	शषी कान्त आटिटैक्ट, निवासी भ्रदम चम्बा को भुगतान

			किया गया।
3	12/08	15,000.00	विषाल सूरी, चम्बा को भुगतान किया गया।
7	01/09	11,426.00	विषाल सूरी, चम्बा को भुगतान किया गया।
31	02/09	17,262.00	विषाल सूरी, चम्बा को भुगतान किया गया।
	;ksx	₹52]688-00	

14-30 jkf'k ₹942-00 dk ikofr;ka ds fcuk Hkqxrku djuk %&

एस0जे0एस0आर0वाई0 निधि की जाँच दौरान यह पाया गया कि मास 06/09 में कम्पयूटर सिखने वाले ट्रेनी को भुगतान किया गया दर्षाया था जिसमें निम्न ट्रेनी को भुगतान करते समय पावति (APR) नहीं ली गई थी जो राषि ₹942.00 थी। रोकड़ बही में राषि का भुगतान किया दर्षाया गया था जो अन्यिमित था। इन ट्रेनी छात्रों की वास्तविक पावति आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करें अन्यथा राषि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके एस0ज0एस0आर0वाई0 निधि में जमा करवाए। यह भी स्पष्ट करें कि भुगतान न दिए जाने के बावजूद राषि का व्यय कैसे दिखाया गया।

jksdM+ cgh dh Øe la[;k	ekl	ftl Hkqxrku fd;k	jkf'k ¼₹½ esa
3	06/09	किरण कुमारी	363.00
8	06/09	सुषमा	129.00
19	06/09	रेखा	285.00
21	06/09	अजय प्रीत सिंह	69.00
22	06/09	हिमानी	96.00
		;ksx	₹942-00

14-31 jkf'k ₹68]300-00 dk vuqfpr Hkqxrku %&

एस0जे0एस0आर0वाई0 निधि से वाऊचर संख्याः 1, अवधि 02/10 द्वारा ₹68,300.00 का भुगतान एच0के0इन्डस्ट्री चम्बा को परिषद गैस्ट हाऊस के लिए सामान खरीदने हेतु किया गया था

इस निधि से की गई खरीद उचित नहीं थी इसका व्यय परिषद निधि से किया जाना चाहिए था। इस खरीद का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

lc okÅpj l[;k	jkf'k ¼₹½ e	fooj.k	fo'k"k dFku
1	25,388.70	50.10 मी^{2} पी0वी0सी0 फ्लोरिंग 1.5 एम0एम0 मोटी की खरीद की गई।	1. बिना प्राक्कलन बनाए सामान की खरीद की गई थी। 2. सामान खरीद की मन्जूरी परिषद से नहीं ली थी।
2	11,509.60	59.60 मीटर पर्दे की खरीद की गई थी	
3	19,096.87	2 नम्बर कोडर मैट्रस	5360.00
		1 नम्बर मैट्रस 4’ x 6’	3640.00
		3 नम्बर कम्बल	3675.00
		4 नम्बर बैडक्वर	2300.00
		2 नम्बर बैड शीट	760.00
		6 नबर पीलो क्वर	270.00
		2 नम्बर मैट्रस क्वर 3’ x 6’	380.00
		1 नम्बर मैट्रस क्वर 4’ x 6’	240.00
		2 नम्बर प्लासटिक बाल्टी	650.00
		टैक्स	2121.87
		;kx	₹19]096-81
4	12,305.25	2 नम्बर मग	10.00
		2 नम्बर जग	320.00
		6 गिलास येरा	108.00

2 चकला स्पेषल	1160.00
1 शीषा	150.00
3 टेबल क्लाथ	150.00
1 तोलीया	150.00
4 फुट मेट 2' x 3'	3120.00
1 फुट मेट 3' x 3'	1170.00
1 फुट मेट 2' x 4'	1140.00
6 सिराहने	1650.00
2 रजाई क्वर के साथ	1850.00
टैक्स	1367.25
;kx	₹12]305-25

14-32 jkf'k ₹36]053-00 dk vuqfpr O;; ¼&

वाऊचर संख्याः शुन्य, मास 07/07 द्वारा ₹36,053.00 का भुगतान गुरवकष लाल एण्ड ब्रर्द्रज़ चम्बा को मैट्रेस, बैड शीट, पर्दे इत्यादि की खरीद के लिए किया गया। यह सामान जिसका विवरण नीचे दिया गया है नगर अभियन्ता के निवास के लिए खरीदा गया था तथा नगर अभियन्ता के निवास में किया गया। इस व्यय को उचित नहीं माना जा सकता और समस्त राषि की वसूली ततकालीन नगर अभियन्ता से करके नगर परिषद कोष में जमा करवाए। अनुपालना की पुष्टि आगामी अंकेक्षण में करवाई जाए। समस्त राषि के सक्षम अधिकारी की मन्जूरी से नियमित करवाया जाए।

fcy la[;k	frfFk	lkeku fooj.k	jkf'k ¼₹½esa
1714	18.05.2007	फ्लोर ड्रीम मैट्रैस	5500.00
		60 मी^{2} फ्लोर मैट	15,000.00
		60 मी^{2} फ्लोर मैट	2400.00
		3 फुट मैट	450.00

		टैक्स	2919.00
1715	18.05.07	डबल बैट शीट	500.00
		सिराहने 2 नम्बर	450.00
		टैक्स	38.00
1716	18.05.07	146.6 मीटर पर्दा	8796.00
		;kx	₹36]053-00

14-33 <u>jkf'k ₹19]140-00 dk vuqfpr Hkqxrku</u> %&

वाऊचर संख्याः शुन्य, माह 03/08 द्वारा ₹19,140.00 का भुगतान धीमान फर्नीचर हाऊस करीयां चम्बा को बिल संख्याः 2065, दिनांक 15.05.2005 के विरूद्ध किया गया। ₹19,140.00 का फर्नीचर नगर अभियन्ता के निवास के लिए खरीदा गया था व सारा सामान जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है को नगर अभियन्ता के निवास के प्रयोग के लिए दर्षाया गया था यह भुगतान इस निधि से उचित प्रभार नहीं था इस समान का व्यय परिषद अभियन्ता द्वारा स्वयं वहन करना था इस राषि को नगर अभियन्ता से वूसल कर नगर परिषद में अभिलेख जमा करवाया जाए तथा कार्यकारी अधिकारी यह स्थिति स्पष्ट करें कि प्राईवेट निवास के लिए परिषद के निधि का दुरूपयोग क्यों किया गया। समस्त राषि को सक्षम अधिकारी की मन्जूरी से नियमित करवाया जाए।

lkeku	dher
1 डब्ल बैड	8000.00
1 सैन्टर टेबल	1800.00
2 इजी चेयर	3000.00
1 ड्रैसिंग टेबल	4500.00
1 स्टूल	500.00
	17]800-00
टैक्स	2250.00

dqy ;ksx	₹20]050-00

14-34 jkf'k ₹2]590-00 dk vuqfpr Hkqxrku %&

वाऊचर संख्याः 18, अवधि 10/07 द्वारा ₹2,590.00 का भुगतान शान्तनु एजैन्सी, चम्बा को विकास निधि से नगर अभियन्ता निवास के लिए खरीदे गए सामान के विरूद्ध किया गया। यह भुगतान इस निधि से उचित प्रभार नहीं था इस सामान का भुगतान नगर अभियन्ता को स्वयं करना चाहिए था व इस खरीदे गए सामान का विवरण निम्न प्रकार है।

lkeku	dher
1 बाल्टी	140.00
1 मग	15.00
1 जग	65.00
1 पटड़ा	145.00
6 चम्मच	50.00
12 पानी गिलास	150.00
1 गिलास	40.00
1 टूथ पीक	20.00
1 डस्टबीन	145.00
1 ऐष ट्रे	75.00
1 फलास्क	125.00
1 वाटर फिल्टर	1080.00
6 फुल प्लेट	540.00
dqy ;ksx	₹2]590-00

उक्त खरीद को इस निधि से उचित प्रभार न मानते हुए समस्त राषि की वसूली तत्कालीन नगर अभियन्ता से करके परिषद विकास निधि में जमा करवाएं व अनुपालना की पुष्टि आगामी अंकेक्षण में करवाई जाए।

14-35 jkf'k ₹10]078-00 dh jkf'k dk nq:Ik;kx %&

वाऊचर संख्याः 26, अवधि 06/09 द्वारा ₹10,078.00 का भुगतान रैहन बसेरा के लिए सामान खरीदने हेतु किया गया था। रिकॉर्ड की छानबीन दौरान पाया गया कि रैहन बसेरा के लिए बर्तन इत्यादि की खरीद रसोई के लिए निम्न फर्मों से की, वास्तव में रैहन बसेरा मे केवल यात्रीयों को ठहरने के लिए ही एक हॉल का निर्माण किया गया है इस हाल के इलावा कोई कमरा का निर्माण नहीं किया गया है जहां रसोई का प्रयोग होना था। इस रैहन बसेरा में कोई रसोई नहीं थी व न ही किसी प्रकार के खाने का इन्तजाम था। कार्यकारी अधिकारी स्पष्ट करें कि निम्न सामान का प्रयोग कहां किया गया था व सामान की खरीद की मन्जूरी क्या परिषद से प्राप्त की थी तथा वर्तमान में सामान कहां है। यह भी स्पष्ट करें कि रैहन बसेरा में जब रसोई नहीं थी तो सामान खरीदने की क्या आवष्यकता पड़ी इस सामान के दुरूपयोग से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। यह खरीद इस निधि से उचित प्रभार नहीं था।

Qe dk uke	frfFk	jkf'k ¼₹½e
ग्राण्ड ओवराय, चम्बा	30.03.2009	250.00
ग्राण्ड ओवराय, चम्बा	02.04.2009	1180.00
ग्राण्ड ओवराय, चम्बा	02.04.2009	455.00
जसवाल बर्तन भण्डार, चम्बा	04.06.09	686.00
जसवाल बर्तन भण्डार, चम्बा	04.06.09	988.00
जसवाल बर्तन भण्डार, चम्बा	04.06.09	956.00
जसवाल बर्तन भण्डार, चम्बा	05.06.09	988.00
जसवाल बर्तन भण्डार, चम्बा	06.06.09	868.00
जसवाल बर्तन भण्डार, चम्बा	04.06.09	962.00
कालीया हार्डवेयर, चम्बा	05.06.09	945.00

हर्ष चन्द ओहरी, चम्बा	05.06.09	1800.00
	;kx	₹10]078-00

14-36 jkf'k ₹10]000 dk ifj"kn fuf/k ls vufpr Hkxrku %&

वाऊचर संख्याः 25, अवधि 09/09 द्वारा ₹10,000.00 का भुगतान सीमा स्टील इन्डस्ट्री सुलतानपुर चम्बा को 3' x 4' साईन बोर्ड बनाए इसका भुगतान परिषद द्वारा न करके जिलाधीष के द्वारा किया जाना चाहिए था। इस भुगतान के लिए परिषद ने भी मन्जूरी नहीं दी थी इस राषि की वसूली जिलाधीष चम्बा से करके परिषद निधि में जमा करवाएं।

14-37 jkf'k ₹4]500-00 ds vufpr Hkxrku ckjs %&

परिषद द्वारा वाऊचर संख्याः शुन्य, अवधि 09/08 द्वारा ₹4,500.00 का भुगतान मणी महेष यात्रा दौरान सफाई व्यवस्था के लिए 5 सफाई सेवकों को दिनांक 03.09.08 से 11.09.08 तक की अवधि में सफाई कार्य करने हेतु किया गया। इन सफाई सेवकों के द्वारा किस–किस क्षेत्र की सफाई की गई का कोई भी रिकॉर्ड आवष्यक जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में यह जांचना मुष्किल था। इस व्यय को सक्षम अधिकारी की मन्जूरी से नियमित करवाया जाए अन्यथा समस्त राषि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी से करके परिषद कोष में जमा करवाएं।

14-38 ifj"kn dh eUtjh ds fcuk odhyksa dh Qhl jkf'k ₹88]459-00 dk Hkxrku %&

निरीक्षण के दौरान पाया गया परिषद द्वारा न्यायालयों में चल रहे केसों के विरूद्ध जो फीस वकीलों को अदा की गई थी वकीलों के लिए प्रति केस की क्या फीस तय की गई थी यह परिषद के रिकॉर्ड में विधमान नहीं था। बिना फीस तय किए वकीलों को भुगतान नहीं किया जा सकता था। वकीलों को केस की फीस भुगतान करने से पूर्व परिषद की मन्जूरी भी नहीं ली गई थी। कार्यकारी अधिकारी स्थिति स्पष्ट करें कि फीस किस तरीके से तय की थी ताकि भुगतान को उचित माना जा सके तथा भविष्य में केसों की फीस परिषद के द्वारा तय करके वकीलो को फीस का भुगतान किया जाए।

okÅpj la[;k	vof/k	jkf'k	ftl odhy dks Hkxrku fd;k
–	07/07	16,200.00	सुरेन्द्र सिंह, एडवोकेट, चम्बा

–	03 / 09	5,500.00	देवेन्द्र सिंह, एडवोकेट, चम्बा
–	03 / 09	7,900.00	सुरेन्द्र सिंह, एडवोकेट, चम्बा
18	12 / 09	15,000.00	आदर्ष कुमार, एडवोकेट, षिमला
20	12 / 09	7,250.00	सुरिन्द्र सिंह, एडवोकेट, चम्बा
26	02 / 10	11,000.00	सुरिन्द्र सिंह, एडवोकेट, चम्बा
–	02 / 08	6,909.00	वी0के0 गुप्ता, एडवोकेट, चम्बा
–	02 / 08	18,700.00	सुरिन्द्र सिंह जसरोटीया, एडवोकेट चम्बा
	;kx	₹88]459-00	

14-39 jkf'k ₹85]500-00 dh okLrfod jlhn ikIr u djus ckjs%&

एस0जे0एस0आर0वाई0 निधि से शहर के कमजोर वर्ग के लोगों को व्यापार आदि आरम्भ करने के लिए 25% सबसिडी देने का प्रावधान था जो बैक केस बना कर बैंकों को भुगतान किया जाता था अभिलेख की जाँच दौरान यह पाया गया कि बैंक को जिस राषि का भुगतान उक्त निधि से किया गया था उसकी वास्तविक रसीदें परिषद को प्राप्त नहीं हुई थी बैंक द्वारा पावति, परिषद को दी जानी चाहिए थी। सम्बन्धित रसीदें बैंक से प्राप्त की जाए तथा आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाए ताकि यह पता चल सके कि राषि बैंक ने प्राप्त की है ओर लाभार्थी को भुगतान किया गया था।

okÅpj la[;k	jkf'k	ekg	ftl ds uke ls dsl Fkk	cSad dk uke
1	3,000.00	4 / 07	अष्वनी कुमार, चम्बा	स्टेट बैंक पटियाला
1	7,500.00	02 / 08	धर्मेन्द्र, चम्बा	स्टेट बैंक पटियाला
2	7,500.00	02 / 08	रविन्द्र सिंह चम्बा	स्टेट बैंक पटियाला
1	7,500.00	04 / 08	कुलदीप सिंह	स्टेट बैंक पटियाला
1	7,500.00	06 / 08	नाजर बेग, चम्बा	स्टेट बैंक पटियाला
2	7,500.00	06 / 08	राज कुमार, चम्बा	स्टेट बैंक पटियाला
3	7,500.00	06 / 08	राकेष कुमार, चम्बा	स्टेट बैंक पटियाला

4	7,500.00	06/08	दलीप कुमार, चम्बा	स्टेट बैंक पटियाला
1	7,500.00	07/08	नरसींग, चम्बा	स्टेट बैंक पटियाला
1	7,500.00	08/08	बजरो	स्टेट बैंक पटियाला
1	7,500.00	11/08	रचना, चम्बा	सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया
1	7,500.00	01/09	सन्नी, चम्बा	पी0एन0बी0
;kx	₹85]500-00			

14-40 jkf'k ₹4]031-00 dh ikofr dk u ik;s tkus ckjs %&

वाऊचर संख्या शून्य, माह 09/08 द्वारा ₹4,031.00 का भुगतान सीता राम नम्बरदार चम्बा को तहसीलदार चम्बा के पत्र संख्याः 525, दिनांक 30.08.2008 के विरूद्ध माल गुजारी हेतु किया गया इसकी वास्तविक रसीद अभिलेख में मौजूद नहीं थी। वास्तविक रसीद आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करें या राषि की वसूली करनी सुनिष्चित करें।

14-41 ;k=k HkÙkk nkos dh jkf'k ₹2]260-00 dk vf/kd Hkqxrku %&

वाऊचर संख्याः शून्य, माह 04/07 द्वारा ₹3,288.00 का भुगतान जोगिन्द्र सिंह राणा परिषद अभियन्ता को चम्बा से सोलन प्रवास हेतु किया गया अभियन्ता द्वारा चम्बा से सोलन का किराया ₹2,900.00 प्राप्त किया था जबकि वास्तविक किराया ₹640.00 बनता था जो ₹2,260.00 अधिक था। ₹2,260.00 की वसूली तुरन्त परिषद अभियन्ता से करके परिषद कोष में जमा करवाएं और की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को सूचित करें।

14-42 jkf'k ₹2]720-00 dk vuqfpr Hkqxrku %&

वाऊचर संख्याः शून्य, माह 05/07 द्वारा ₹4,000.00 का भुगतान जोगिन्द्र सिंह राणा परिषद अभियन्ता को उनके टी0टी0ए0 हेतु किया गया था इस राषि में ₹2,100.00 को घरेलू सामान के कैरियज़ हेतु दिया गया था इस सामान की कोई प्रिंटिंग रसीद रिकॉर्ड में नहीं पाई गई बिना रसीद के भुगतान का कोई औचित्य नहीं था तथा धर्मषाला से चम्बा का बस का किराया ₹80.00 था जबकि परिषद अभियन्ता द्वारा किराये के विरूद्ध ₹720.00 की राषि प्राप्त की थी जो ₹620.00

अधिक थी। परिषद अभियन्ता द्वारा सामान के कैरियज़ व किराए की प्राप्त राषि (2100 + 620) ₹2,720.00 की वसूली तुरन्त करके नगर परिषद कोष में जमा करवाएं तथा की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14-43 कार्यकारी अधिकारी को छोटे–मोटे खर्चे हेतु इम्प्रैस्ट दिया गया था उसके समायोजन वाऊचरों की छानबीन दौरान पाया गया कि कार्यकारी अधिकारी के द्वारा इम्प्रेस्ट राषि से टंकण कार्य/टाईप के कार्य पर ₹2,730.00 व्यय किया था जबकि कार्यालय में टाईपिस्ट थे व टाईप का कार्य कार्यालय में करवाया जाना चाहिए था व टाईप का कार्य कार्यालय के बाहर नहीं करवाया जा सकता था किसी आपात स्थिति में ही कार्य करवाया जाना था तो उसका कारण बताया जाना चाहिए था। ताकि व्यय को उचित माना जा सकता परन्तु कार्यकारी अधिकारी के द्वारा कोई भी कारण नहीं बताया गया था जिसके अभाव में टाईप का कार्य बाहर करवाना उचित नहीं जान पड़ता। ₹2,730.00 की राषि जो इम्प्रेस्ट से व्यय की है को कार्यकारी से वसूला जाए अन्यथा व्यय को सक्षम अधिकारी की मन्जूरी से नियमित करवाया जाए।

okÅpj l[;k	jkf'k	vof/k	Vkbi ij 0;;	ftl Hkqxrku fd;k
—	1830.00	11/07	100.00	स्टेफी साइबर मेजिक, चम्बा
—	5250.00	03/08	1730.00	स्टेफी साइबर मेजिक, चम्बा
—	1784.00	07/07	360.00	स्टेफी साइबर मेजिक, चम्बा
—	1467.00	09/07	180.00	स्टेफी साइबर मेजिक, चम्बा
—	1370.00	10/07	360.00	स्टेफी साइबर मेजिक, चम्बा
		;kx	₹2]730-00	

14-44 jkf'k ₹33]839-00 dh olwyh ckjs %&

कार्यकारी अधिकारी द्वारा दिए गए इम्प्रेस्ट के समायोजन में कुछ आपत्तियां पाई गई जिसमें कार्यकारी अधिकारी द्वारा इम्प्रेस्ट से कुछ ऐसा सामान की खरीद की गई जो या परिषद निधि से उचित प्रभार नहीं था या खरीदे गए सामान का भण्डार इन्द्राज नहीं किया गया था जिसके अभाव

में व्यय को उचित नहीं माना जा सकता था 04/07 से 03/10 के मध्य प्रस्तुत किए गए समायोजन बिलों में ₹33,839.00 के बिलों को अवैध पाया गया जिसकी आपत्ति वाऊचर भुगतान के सामने दर्षाई गई है। इसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट ''भ'' में दिया गया है। ₹33,839.00 की वसूली कार्यकारी अधिकारी से करके राषि परिषद कोष में जमा करवाएं तथा भविष्य में इम्प्रेस्ट से केवल वही क्रय किया जाना सुनिष्चित करें जो अतिआवष्यक हो और नियमाधीन उचित हो।

14-45 jkf'k ₹16]959-00 dk fpfdRlk fcyk d vf/kd Hkqxrku ckjs %&

नगर परिषद कर्मचारियों के चिकित्सा पूर्ति दावे के भुगतान करते समय अधिक राषि का भुगतान किया था अधिक किए गए भुगतान राषि ₹16,959.00 की वसूली की जानी अपेक्षित है। ₹16,959.00 की वसूली करके परिषद कोष में जमा करवाएं तथा की गई कार्यवाही से इस विभाग को सूचित करें।

okÅpj la[;k	vof/k	jkf'k	ftlds Hkqxrku fd;k	fooj.k
—	12/07	3,441.00	रूप कुमार एस0आई0	(₹2,636.00 की दवाई खरीद की चिकित्सा पर्ची रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं थी जिसके अभाव में दवाई खरीद को उचित नहीं माना जा सकता।)
—	01/08	6,643.00	वीना, सफाई सेविका	(₹247.00 का भुगतान अधिक किया गया था।)
—	03/08	5,074.00	लाखो, सफाई सेविका	(₹703.00 का भुगतान अधिक किया गया।)
—	03/08	5,249.00	रूप कुमार, एस0आई	(₹134.00 का भुगतान अधिक किया

				गया।)
–	07/08	874.00	नन्द किषोर चौकीदार	(₹320.00 का भुगतान अधिक किया गया।)
–	08/08	8,040.00	रूप कुमार एस0आई	(चिकित्सा पर्ची में जो दवाईयां लिखी थी उसमें ₹2,202 कीमत की दवाईयां चिकित्सालय में मौजूद थी फिर ₹2,202 की दवाईयां बाहर से नहीं खरीदी जा सकती थी।)
–	10/08	1,362.00	रेखा पत्नी सुरेष सफाई सेवक	(₹630.00 का भुगतान अधिक किया गया।)
–	01/09	1,429.00	मुखरो पत्नी कैलाषो बेलदार	(₹450.00 का भुगतान अधिक किया गया।)
26	08/09	22,524.00	निर्मला पत्नी सुरेष सफाई सेविका	(C.Scane के स्थान पर C.T. Heart के बिल का ₹1000 का भुगतान किया गया जो अनियमित था।)
			कमला पत्नी मोहिन्द्र सफाई सेवक	(₹1477 के प्रेसक्रीपषन चिट पी0सी0 रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं थी। जिसके बिना भुगतान अनियमित था।)
26	01/10	20,567.00	रूप कुमार एस0आई	1. ₹450 बावत कनसलटेषन फीस के रूप में भुगतान किए गए जो उचित नहीं था। 2. ₹2300 का भुगतान टैस्ट पर किया गया था सरकारी दर से अधिक किए गए भुगतान की वसूली की जाए।

धर्मपाल सफाई सेवक	मास 05/09 का चिकित्सा बिल ₹4,410 का भुगतान किया जो कलातिक हो चुका था।

14-46 jkf'k ₹6]000-00 dh olwyh ckjs %&

जिलाधीष चम्बा के पत्र संख्याः सी0वी0ए0–6–13(20)2008–09–24620–45, दिनांक 24. 07.08 द्वारा दिनांक 25.07.2008 से 05.08.08 तक 12 दिनों के लिए परिषद रैहन बसेरा मिंजर मेला के लिए बुक करवाया था जिसका किराया ₹500.00 प्रति दिन के दर से ₹6,000.00 बनता था। जिलाधीष द्वारा ₹6,000.00 का भुगतान परिषद को नहीं किया गया था और न ही परिषद ने उक्त अवधि का किराया जिलाधीष महोदय से लिए जाने बारे कोई पग उठाया जिसके फलस्वरूप परिषद को ₹6,000.00 की आय की हानि हुई। ₹6,000.00 की वसूली जिलाधीष चम्बा से करके परिषद कोष में जमा करवाएं तथा की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को सूचित करें।

14-47 jkf'k ₹26]446-00 bEizsLV jkf'k dk lek;kstu u djus ckjs %&

विकास निधि की छानबीन दौरान यह पाया गया कि श्री जितेन्द्र सिंह लिपिक को विकास निधि से छुट–पुट खरीद हेतु प्रति मास इम्प्रेस्ट राषि दी गई। अंकेक्षण के दौरान जब इम्प्रेस्ट का लेखा जोखा मांगा गया तो सम्बन्धित कर्मचारी के द्वारा समायोजन हेतु रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे इम्प्रेस्ट राषि के व्यय की जाँच नहीं की जा सकी सम्बन्धित कर्मचारी ने 04/07 से 03/10 तक ₹26,446.00 छुट–पुट खरीद हेतु परिषद से प्राप्त किए थे परन्तु उसका समायोजन न किए जाने से राषि के दुरूपयोग किए जाने से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। आगामी अंकेक्षण में सम्बन्धित राषि का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाए अन्यथा ₹26,446.00 की वसूली करनी सुनिष्चित करें की गई कार्यवाही से इस विभाग को सूचित करें।

okÅpj la[;k	vof/k	jkf'k ¼₹½ esa
6	07/07	1,305.00
13	10/07	2,300.00
6	11/07	1,820.00
9	02/08	2,575.00
5	05/08	2,020.00
6	08/08	2,030.00

16	09/08	2,430.00
6	01/09	2,228.00
8	04/09	2,000.00
2	07/09	2,000.00
2	10/09	2,000.00
8	12/09	2,000.0
8	02/10	1,738.00
	;kx	₹26]446-00

15 fcuk ikôyu r;kj fd, jkf'k ₹53-64 yk[k d Hkxrku ckj %&

विभिन्न निर्माण कार्यों का निष्पादन बिना प्राक्कलन तैयार किए किया गया। प्राक्कलन के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करवाया जा सकता था। बिना प्राक्कलन के निर्माण कार्य का करवाया जाना और वितरण एवं आहरण अधिकारी के द्वारा राषि का भुगतान किया जाना आष्चर्य व्यक्त करता है। इस राषि के भुगतान समय परिषद प्रस्ताव का हवाला भी नहीं दिया गया था जिसके द्वारा राषि को परिषद की बैठक में पास करवाया गया था। जाँच परीक्षण में पाए गए कुछ निर्माण कार्यों का ब्यैरा निम्न प्रकार से है जिसमें ₹53,63,895 की राषि का भुगतान बिना प्राक्कलन तैयार किए किसी कार्य को न तो प्रारम्भ किया जा सकता था और न ही किसी प्रकार के टैण्डर इत्यादि करवाए जा सकते थे इस समस्त भुगतानों का प्राक्कलन तैयार करके सक्षम अधिकारी से व्यय को नियमित करवाएं अन्यथा समस्त राषि की वसूली करनी सुनिष्चित करें तथा भविष्य में बिना औपचारिक्ता के कार्य करने से परिहार किया जाए।

okÅpj l[;k	vof/k	jkf'k	fooj.k
–	04/07	46,235.00	दषनामी अखाड़ा के समीप पार्क का मैन्टिनैंस कार्य का भुगतान विनोद कुमार ठेकेदार को किया।
–	04/07	20,548.00	राममूर्ति हाऊस के समीप टोई–वाल के निर्माण कार्य का भुगतान जालम सिंह ठेकेदार को किया।
–	04/07	40,027.00	हरदास पुरा में नाली व सड़क के निर्माण कार्य का भुगतान रजिन्द्र सिंह ठेकेदार को किया।

8	04 / 07	41,000.00	प्राथमिक पाठषाला जनसाली में सड़क व बाऊंडरी वाल के निर्माण कार्य का भुगतान प्रताप सिंह ठेकेदार को किया गया।
11	05 / 07	76,953.00	कसाकड़ा में हाल का निर्माण कार्य का भुगतान अजय मोहन ठेकेदार को किया गया।
12	05 / 07	98,140.00	सामुदायिक भवन मंगोटू के निर्माण कार्य का भुगतान मनमोहन सिंह ठेकेदार को किया गया।
16	05 / 07	55,935.00	आगनबाड़ी का निर्माण कार्य का भुगतान जितेन्द्र किषोर ठेकेदार को किया।
7	06 / 07	9,500.00	परिषद सड़क के निर्माण कार्य का भुगतान संजय पूंगा ठेकेदार को किया।
11	06 / 07	13,235.00	रैहन बसेरा में बिजली की मुरम्मत का कार्य मेहता जनरल स्टोर चम्बा को भुगतान किया।
13	06 / 07	41,088.00	जनसाली में आंगनबाड़ी के निर्माण कार्य का भुगतान जितेन्द्र सिंह ठेकेदार को किया।
–	07 / 07	26,093.00	नगर परिषद कार्यालय के समीप नाली के मुरम्मत कार्य का भुगतान जालम सिंह ठेकेदार को किया।
–	07207	47,111.00	जुलाहकड़ी में नाली / सड़क के निर्माण कार्य का भुगतान जलाम सिंह ठेकेदार को किया गया।
–	07 / 07	42,115.00	माई का बाग में नाली / सड़क की मुरम्मत कार्य का भुगतान पूर्ण चन्द ठेकेदार को किया।
4	07 / 07	19,343.00	वंगोटू में नाली / सड़क के मुरम्मत कार्य का भुगतान पूनू राम ठेकेदार को किया।
11	07 / 07	9,390.00	शहर में मलवा हटाने का भुगतान लोकेन्द्र कुमार ठेकेदार को किया गया।
–	08 / 07	21,848.00	जुलाहकड़ी में नाली / सड़क के निर्माण कार्य का भुगतान जालम सिंह ठेकेदार को किया।

–	08/07	17,510.00	जुलाखड़ी में सुरजीत के घर के समीप सड़के की मुरम्मत कार्य का भुगतान सुरिन्द्र सिंह ठेकेदार को किया।
–	08/07	15,636.00	पक्का टाला में प्रोटेक्षन कार्य का भुगतान जालम सिंह ठेकेदार को किया।
2	08/07	41,243.00	कसाकड़ा में सैंपटीक टैंक के निर्माण कार्य का भुगतान जालम सिंह ठेकेदार को किया।
7	08/07	10,534.00	मुगला मे नाली/सड़क के निर्माण कार्य का भुगतान लोकेन्द्र ठेकेदार को किया।
5	09/07	1,47,246.00	माई का बाग में आंगनवाडी का निर्माण कार्य का भुगतान पूनू राम ठेकेदार को किया।
–	10/07	1,67,036.00	पषु वध गृह के मुरम्मत कार्य का भुगतान संजय पूंगा को किया गया।
2	10/07	37,819.00	हरदासपूरा से मट्ट तक सड़क निर्माण कार्य का भुगतान जालम सिंह ठेकेदार को किया गया।
3	10/07	46,372.00	जुलाहवाड़ी में सड़क/नाली के निर्माण कार्य का भुगतान जालम सिंह ठेकेदार को किया गया।
4	10/07	33,257.00	हटनाला में नाली/सड़क निर्माण कार्य का भुगतान पूनू राम ठेकेदार को किया।
7	10/07	32,657.00	रैहन बसेरा के निर्माण कार्य का भुगतान आर0के0 स्टील परेल चम्बा को किया गया।
–	10/07	16,086.00	कसाकड़ा में नाली/सड़क का मुरम्मत कार्य का भुगतान अविनाष चन्द ठेकेदार को किया गया।
–	10/07	78,861.00	नगर परिषद कार्यालय के रैनोवेषन कार्य का भुगतान जालम सिह ठेकेदार को किया गया।
11	11/07	58,539.00	हाण्डा के घर के पास ब्रेस्ट वाल निर्माण कार्य का

			भुगतान मुनीष वैध ठेकेदार को किया।
2	11/07	44,074.00	गुरमीत के घर के पास प्रोटैक्षन कार्य का भुगतान वनीत विज़ को किया गया।
3	11/07	52,517.00	हटनाला में नाली/सड़क के निर्माण कार्य का भुगतान पूनू राम ठेकेदार को किया।
4	11/07	47,747.00	प्राथमिक पाठषाला जुलाहकड़ी में खेल का मैदान/टायलेट के निर्माण कार्य का भुगतान जालम सिंह ठेकेदार को किया।
5	11/07	2,08,761.00	पक्का टाला में सड़क/नाली के निर्माण कार्य का भुगतान देस राज ठेकेदार को किया गया।
8	11/07	29,848.00	घड़ोग में नाली के निर्माण कार्य का भुगतान आर0के0 स्टील परेल चम्बा को किया गया।
–	12/07	40,622.00	कसाकड़ा में सड़क के प्रोटेक्षन/मैन्टिनेंस कार्य का भुगतान सूरत राम ठेकेदार को किया गया।
–	12/07	15,670.00	अप्पर घड़ोग में सड़क/नाली का मुरम्मत कार्य का भुगतान अविनाष कुमार ठेकेदार को किया।
–	12/07	20,691.00	कसाकड़ा में पक्की सडक का निर्माण कार्य का भुगतान सूरत राम ठेकेदार को किया गया।
–	12/07	27,855.00	षिव मन्दिर के समीप टायलेट के निर्माण कार्य का भुगतान मुनीष वैद्य ठेकेदार को किया ।
4	12/07	19,886.00	सीता राम मन्दिर के समीप सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य का भुगतान मोहिन्द्र सिंह ठेकेदार को किया।
–	01/08	32,060.00	एम0एस0 ग्रिल लगाने का भुगतान जालम सिह ठेकेदार को किया गया।
–	01/08	21,992.00	सपड़ी मुहल्ला में नाली के निर्माण कार्य का भुगतान पूनू

			राम ठेकेदार को किया गया।
3	01/08	27,717.00	सैनिक विश्राम गृह के मुरम्मत कार्य का भुगतान जालम सिह ठेकेदार को किया।
4	01/08	1,05,804.00	गुरूद्वारा के पास प्रोटेक्षन कार्य का भुगतान पूनू राम ठेकेदार को किया गया।
–	02/08	14,942.00	नाली व ग्रेटिंग के फिक्सींग कार्य का भुगतान अविनाष ठेकेदार को किया गया।
–	02/08	16,262.00	मुहल्ला घड़ोग में नाली/सड़क की मुरम्मत कार्य का भुगतान मोहिन्द्र हाण्डा ठेकेदार को किया गया।
–	02/08	58,617.00	चोगान नम्बर 1 में ब्रिक वर्क कार्य का भुगतान पंकज महाजन को किया गया।
–	02/08	55,766.00	चोगान नम्बर 3 में दुकानों के निर्माण कार्य का भुगतान अंकुष खन्ना को किया गया।
11	02/08	19,528.00	पनीहार के निर्माण कार्य का भुगतान जालम सिह ठेकेदार को किया गया।
12	02/08	32,093.00	टिकख में सड़क निर्माण कार्य का भुगतान अविनाष चन्द ठेकेदार को किया।
–	03/08	22,076.00	पुरानी रैलिंग के मुरम्मत कार्य का भुगतान आर0के0 स्टील परेल चम्बा को किया गया।
–	03/08	39,117.00	हरदास पूरा में प्रोटेक्षन वर्क का भुगतान मनीष वैघ ठेकेदार को किया।
–	03/08	11,000.00	घरोड़ में नाले की सफाई के कार्य का भुगतान अविनाष कुमार ठेकेदार को की गई।
–	03/08	42,935.00	शीतला मन्दिर के समीप कसाकड़ा नाले की मुरम्मत कार्य का भुगतान सूरत राम ठेकेदार को किया।
–	03/08	32,043.00	डी0आर0ओ0 कार्यालय के समीप सड़क/नाली के

			निर्माण कार्य का भुगतान शोकत अली ठेकेदार को किया।
7	03 / 08	29,513.00	भगोण्टू में नाली के मुरम्मत कार्य का भुगतान राजेष सिंह ठेकेदार को किया।
8	03 / 08	20,961.00	ओवड़ीर में प्रोटेक्षन वर्क का भुगतान जालम सिंह ठेकेदार को किया।
10	03 / 08	20,063.00	विभिन्न वार्डों में नाले की सफाई कार्य का भुगतान पूनू राम ठेकेदार को किया।
—	04 / 08	34,349.00	गान्धी गेट चौगान में इन्टरलिंक चैन लगाने का भुगतान आर0के0 स्टील को किया गया।
—	05 / 08	58,930.00	बेदी के मकान के समीप पवलिक सड़क के निर्माण कार्य का भुगतान पूनू राम ठेकेदार को किया।
—	05 / 08	36,782.00	हाण्डा के घर के पास प्रोटैक्षन वर्क का भुगतान मनीष वैद्य ठेकेदार को किया।
—	05 / 08	24,018.00	कसाकड़ा में सड़क की मुरम्मत कार्य का भुगतान जालम सिंह ठेकेदार को किया गया।
—	05 / 08	20,398.00	दोवरी मुहल्ला में सड़क / नाली के निर्माण कार्य का भुगतान देवेन्द्र शर्मा को किया गया।
—	05 / 08	21,432.00	भगोंटू मुहल्ला में सड़क / नाली के निर्माण कार्य का भुगतान देवेन्द्र शर्मा को किया गया।
6	05 / 08	25,000.00	डी0आर0ओ0 कार्यालय के निर्माण कार्य का भुगतान पूनू राम ठेकेदार को किया गया।
13	05 / 08	15,010.00	सैनिक विश्राम गृह के निर्माण कार्य का भुगतान जालम सिंह ठेकेदार को किया गया।
—	06 / 08	69,205.00	सब्जी मण्डी के पास शौचाल्य के रैनोवेषन का कार्य का

			भुगतान दीपक शर्मा को किया गया।
3	06/08	79,720.00	जिलाधीष चम्बा के कार्यालय के सामने पार्क के निर्माण कार्य का भुगतान जालम सिंह ठेकेदार को किया।
–	07/08	72,271.00	सुराड़ा में पाईप रेलिंग लाईन की प्रोवाडिग/फिक्सिंग का भुगतान अविनाष कुमार ठेकेदार को किया।
8	07/08	36,240.00	हरदासपूरा मिण्डा सड़क की मुरम्मत कार्य का भुगतान आर0के0 स्टील परेल चम्बा को की गई।
9	07/08	26,800.00	डी0आर0ओ0 कार्यालय की मुरम्मत कार्य का भुगतान आर0के0 स्टील परेल चम्बा को किया गया।
10	07/08	19,082.00	षिव मन्दिर की मुरम्मत कार्य का भुगतान अविनाष कुमार ठेकेदार को किया गया।
–	08/08	20,455.00	काली माता मन्दिर सड़क में टोई वाल निर्माण कार्य का भुगतान देवेन्द्र षर्मा को किया गया।
–	08/08	9,975.00	नगर परिशद कार्यालय का रेनोवेषन कार्य का भुगतान देवेन्द्र षर्मा को किया गया।
2	08/08	12,875.00	रैहन बसेरा की मुरम्मत हेतु भुगतान पुनू राम ठेकेदार को किया गया।
–	09/08	22,302.00	कसाकड़ा में नाली के निर्माण कार्य का भुगतान सूरत राम ठेकेदार को किया गया।
–	10/08	51,820.00	पक्का टाला से षमषानघाट की सड़क निर्माण कार्य का भुगतान संजय पूंगा ठेकेदार को किया गया।
–	10/08	6,756.00	वार्ड नम्बर 5 में बिजली की फिटिंग के कार्य का भुगतान मेहता जनरल स्टोर करीयां को किया।
3	10/08	28,439.00	डी0आर0ओ0 कार्यालय की मुरम्मत का कार्य का भुगतान पुनू राम ठेकेदार को किया।
6	10/08	99,100.00	प्राथमिक पाठषाला जुलाहकड़ी भवन के निर्माण कार्य का

			भुगतान दीपक षर्मा ठेकेदार को किया।
7	10/08	54,655.00	अम्बेदकर भवन का निर्माण कार्य का भुगतान अंकुष खन्ना को किया गया।
–	10/08	15,051.00	माईं का बाग में नाली/सड़क निर्माण कार्य का भुगतान हरीष कुमार ठेकेदार को किया।
–	10/08	25,086.00	नगर परिशद कार्यालय के रेनोवेषन कार्य का भुगतान हंस राज मेहता ठेकेदार को किया।
–	12/08	69,262.00	सपड़ी में परिशद सड़क के निर्माण कार्य का भुगतान संजय पूंगा को किया गया।
1	12/08	82,760.00	अम्बेदकर भवन के निर्माण कार्य का भुगतान अंकुष खन्ना को किया गया।
2	12/08	49,920.00	वी0डी0ओ0 कार्यालय में नाली/सड़क के निर्माण कार्य का भुगतान योगेष ठाकुर ठेकेदार को किया गया।
6	12/08	30,405.00	डी0आर0ओ0 कार्यालय में बिजली फिटिंग के कार्य का भुगतान हंसराज मेहता को किया गया।
7	12/08	57,283.00	लोहाड़ी में रैलिंग की मुरम्मत कार्य का भुगतान सुरिन्द्र सिंह ठेकेदार को किया गया।
8	12/08	49,951.00	लोहाड़ी क्षेत्र में सड़क की मुरम्मत कार्य का भुगतान राजेन्द्र सिंह ठेकेदार को किया गया।
9	12/08	71,104.00	हाण्डा निवास आई0टी0आई0 के समीप प्रोटैक्षन कार्य का भुगतान मनीष वैघ को किया गया।
–	01/09	16,782.00	डम्पिंग साईट कुरांह व परिशद कार्यालय में बिजली की फिटिंग कार्य का भुगतान मेहता जनरल स्टोर करीयां चम्बा को किया गया।
–	01/09	19,800.00	मलवा/मिट्टी उठाने का भुगतान पुनू राम ठेकेदार को किया गया।

8	01/09	87,790.00	डी0आर0ओ0 कार्यालय में बिजली फिटिंग कार्य का भुगतान हंस राज मेहता ठेकेदार को किया।
9	01/09	93,296.00	आई0टी0आई0 के पास प्रोटैक्षन वर्क का भुगतान मनीष वैघ को किया गया।
4	02/09	59,887.00	जुलाहकड़ी में नाग मन्दिर की मुरम्मत हेतु भुगतान राजेन्द्र सिंह ठेकेदार को किया।
9	02/09	18,912.00	हाण्डा निवास के पास ब्रेस्ट वाल के निर्माण कार्य का भुगतान अंकुष खन्ना ठेकेदार को किया।
10	02/09	46,931.00	सुराड़ा में मनमोहन सिंह निवास के पास प्रोवाइडिंग लाईंग कार्य का भुगतान संजय पूंगा को किया गया।
32	02/09	7,326.00	कच्ची सड़क से रावी नदी तक सड़क निर्माण का भुगतान।
54	02/09	17,110.00	घड़ोग वार्ड में मलवा उठाने का भुगतान परषोतम ठेकेदार को किया गया।
4	03/09	50,029.00	सैनिक विश्राम गृह के निर्माण कार्य का भुगतान जालम सिंह ठेकेदार को किया गया।
9	03/09	20,849.00	सुलतानपुर में नाली/सड़क की मुरम्मत कार्य का भुगतान अविनाष चन्द ठेकेदार को किया गया।
–	03/09	19,939.00	अमरजीत निवास से प्रकाष के घर तक नाली निर्माण कार्य का भुगतान संजय पूंगा ठेकेदार को किया गया।
–	04/09	24,262.00	कोहली के घर से शमषानघाट तक सी0सी0 रोड़ का निर्माण कार्य का भुगतान पंकज सरीन ठेकेदार को किया।
–	04/09	32,970.00	मेन सड़क से शमषानघाट की सड़क व दुकानों की मुरम्मत का भुगतान पंकज विज ठेकेदार को किया गया।

1	07/09	24,184.00	एन0जी0ओ0 भवन के निर्माण कार्य का भुगतान राजेष सिंह ठेकेदार को किया गया।
6	08/09	2,20,061.00	अम्बेदकर भवन के निर्माण कार्य का भुगतान अंकुष खन्ना को किया गया।
9	08/09	35,548.00	आई0टी0आई के पास प्रोटैक्षन वर्क का भुगतान।
–	09/09	29,909.00	नगर परिषद गैस्ट हाऊस में बिजली फिटिंग पंखे इत्यादि लगाने का भुगतान मेहता जनरल स्टोर करीयां चम्बा को किया गया।
14	09/09	23,776.00	कष्मीरी हाऊस से सागर हाऊस तक पक्की सड़क निर्माण कार्य का भुगतान जालम सिंह ठेकेदार को किया।
4	10/09	20,400.00	एन0जी0ओ0 भवन के निर्माण कार्य का भुगतान नरेन्द्र पूरी को किया गया।
7	11/09	19,850.00	मलवा उठाने का भुगतान अयज कुमार को किया गया।
60	11/09	68,991.00	माध्यमिक पाठषाला करीयां के सामने सड़क निर्माण कार्य का भुगतान सुरत राम ठेकेदार को किया।
61	11/09	67,635.00	पाठषालाओं के समीप प्रसड़ कंकरीट ब्लाक के निर्माण कार्य का भुगतान योगेष चन्द ठेकेदार को किया।
62	11/09	65,088.00	पाठषाला के समीप प्रेसड़ कंकरीट ब्लाक के निर्माण कार्य का भुगतान प्रिया रंजन ठेकेदार को किया।
63	11/09	65,853.00	पाठषाला के समीप प्रेसड़ कंकरीट ब्लाक के निर्माण कार्य का भुगतान मनीष मेहता ठेकेदार को किया।
2	11/09	1,29,025.00	पक्का टाला में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य का भुगतान सुधीर शुभ ठेकेदार को किया।
1	12/09	13,418.00	ततवानी में समुदायिक भवन के निर्माण कार्य के भवन के निर्माण कार्य का भुगतान हरमीत सिंह जसरोटिया ठेकेदार को किया।

39	01/10	2,14,380.00	कुरांह में गरवेज यूनिट के लिए रिटेनिंग वाल के निर्माण कार्य का भुगतान नरेन्द्र पूरी को किया।
4	02/10	54,349.00	सैनिक विश्राम गृह में टायलेट के निर्माण कार्य का भुगतान जालम सिंह ठेकेदार को किया।
31	02/10	28,848.00	प्राथमिक पाठषाला जुलाहकड़ी में टायलेट ब्लाक की मुरम्मत करने का भुगतान अतर सिंह ठेकेदार को किया गया।
31	03/10	48,797.00	वरिष्ठ माध्यमिक पाठषाला (छात्रा) चम्बा की टायलेट की मुरम्मत करने का भुगतान रूमाल सिंह ठेकेदार को किया।

15-1 l{ke vf/kdkjh vuqefr fcuk jkf'k ₹1]12]990 dk dk;Z dk fu"iknu o Hkqxrku djuk %&

विभिन्न निर्माण कार्यों का निष्पादन करते समय आबन्टित कार्य मे जितनी मात्रा का कार्य किया जाना अपेक्षित था से अधिक मात्रा का कार्य करवाया गया था अधिक किए गए कार्य मात्रा की मन्जूरी सक्षम अधिकारी से नहीं ली गई थी सक्षम अधिकारी की मन्जूरी के बिना किसी भी कार्य की आबंटित मात्रा से अधिक मात्रा का कार्य किया जाना आपत्तिजनक था किन कारणों से आबंटित मद से अधिक का कार्य करना पड़ा के बारे में भी अभियन्ता शाखा ने कोई कार्य प्रक्रिया नहीं अपनाई थी इस अतिरिक्त किए गए कार्य से राषि ₹1,12,990 का अतिरिक्त भुगतान विभिन्न ठेकेदारों को किया गया था जिसका उल्लेख इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट ''त्र'' में दिया गया है। इस किए गए अतिरिक्त कार्य की मन्जूरी सक्षम अधिकारी से लेकर नियिमत करवाएं अन्यथा किए गए अतिरिक्त भुगतान की वूसली का उत्तरदायित्व निर्धारित करके करें। भविष्य में इस प्रकार के अतिरिक्त कार्य को सक्षम अधिकारी की मन्जूरी उपरान्त किया जाए।

ifjf'k"V ^=**

ok0 l0	vof/k	jkf'k	en	tks dk;Z fd;k	tks dk;Z gkuk Fkk	vUrj	nj	jkf'k	fooj.k
—	11/07	151496	मिल्ड स्टील फोरम वर्क	110 kg	78.35 kg	31.65	20.20	640.00	
				28-40 m^2	6.81	21.59	171.00	3692.00	आई0टी0आई0 के पास दिवार निर्माण कार्य का भुगतान मुनीष वैघ को किया
								4332.00	
							60% उपर	2599.00	
								6931.00	
38	02/09	63305	ब्रिक वर्क 1:6	3.59 m^3	1.37	2.22	2800.00	6216.00	आई0टी0आई0 के पास ग्रेव यार्ड में रैलिंग का प्रोवाइडिंग/फिक्सिग कार्य
			20एम0एम0 थिक वर्क प्लास्टर	50.38 m^2	23.92	26.46	100.00	2646.00	
			स्टील वर्क	8.17	6.78	1.39	6500.00	9035.00	
								17897.00	
—	03/09	60380	एक्जाकवेषन अर्थ वर्क	14.42 m^3	9.64	4.78	190.00	191.00	आई0टी0आई0 के पास ग्रेव यार्ड में चक्र टायल का निर्माण कार्य
			स्टोन सोलिंग प्रोपरली	14.42 m^3	9.64	4.78	590.00	2820.00	
								3011.00	
14	04/09	35706	आर0आर0 मेसनरी	6.45 m^3	2.16	4.29	1850.00	7936.00	घड़ोग में ओम प्रकाष के घर से भजन के घर तक चक्र टायल का प्रोवाईडिंग फिक्सिंग कार्य
								7936.00	

15	04/09	30106	सी0सी0 1:6:12	7.31m^2	3.85	3.46	982.10	3398.00	घड़ोग में ओम प्रकाष के घर से अरण्य पाल के घर तक नाले का निर्माण कार्य
			फोरम वर्क	27.20m^3	25.20	2	146.10	292.00	
			20एम0एम0 थिक प्लास्टर	44.20 m^2	42.00	2.20	57.00	125.00	
								3815.00	
28	04/09	87555	फोरम वर्क	84.98 m^3	44.74	40.24	146.10	5879.00	ततवानी षिव मन्दिर में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य
			सी0सी0 1:2:4	8.87 m^3	6.86	2.01	1751.50	3521.00	
			टोर स्टील	999.381q	720.30	279.00	20.70	5778.00	
								15178.00	
34	07/09	51065	सी0सी0 1:6:12	1.50 m^2	0.94	0.56	1620.00	907.00	गुरूद्वारा से शमषान घाट कसाकड़ा में सीमेन्ट टायल की प्रोवाइडिंग /लाईंग कार्य
			आर0आर0 स्टोन मेसनरी	17.89 m^3	13.68	4.21	1960.00	8252.00	
								9159.00	
35	07/09	37237	सी0सी0 1:6:12	1.50 m^3	0.94	0.56	1620.00	907.00	नसीब चन्द निवास के समीप रिटेनिंग वॉल का निर्माण कार्य
			आर0आर0 मैसनरी	17.89 m^3	13.68	4.21	18.75.00	7894.00	
								8801.00	
2	09/09	106880	पी0एल0 मार्बल वर्क	44.78 m^2	35.88	8.9	1780.00	15842.00	जुलाहकड़ी मे ज्वाला माता मन्दिर का निर्माण कार्य
			20एम0एम0 1.3						
			एल्यूमिनियम शटर	11.29 m^2	10.8	0.49	1250.00	613.00	
								16455.00	

55	10/09	82164	ब्रिक वर्क 2nd day 1.6	11.14 m^3	7.59	3.55	3300.00	11715.00	माध्यमिक पाठषाला कसाकड़ा में वाऊण्डरी वाल फेसिंग का निर्माण कार्य
			15mm thick Plaster	89.88 m^2	76.12	13.76	100.00	1376.00	
								13091.00	
68	01/10	49458	स्टोन सोलिंग	8.98 m^3	6.435	2.545	481.00	1224.00	हरदासपुरा में पनीहार का मुरम्मत कार्य
			पी0एल0सी0सी0 1:2:4	3.52 m^3	2.145	1.375	2889.75	3973.00	
								5197.00	
69	01/10	29286	स्टोन सौलिंग	18.70 m^3	8.48	10.22	540.00	5519.00	शनि मन्दिर से भगवान दास गृह तक सड़क/नाली का निर्माण कार्य
								5519.00	

15-2 jkf'k ₹62966-00 dk fcuk vkSipkfjdrk dk Hkqxrku ckjs %&

वाऊचर संख्याः शून्य, अवधि 12/07 द्वारा ₹62,966.00 का भुगतान मेहता जनरल स्टोर चम्बा को परिषद द्वारा निर्मित 18 नम्बर दुकानों में बिजली फिटिंग हेतु किया गया इस भुगतान में निम्न आपत्तियां पाई गई :–

(क) नगर अभियन्ता द्वारा उक्त कार्य करने हेतु कार्यालय पत्र संख्याः 252, दिनांक 20.07.2007 द्वारा वर्क आर्डर दिया जिसमें शीघ्र काम करने बारे कहा गया था।

(ख) कार्य का कोई प्राक्कलन कनिष्ट/नगर अभियन्ता द्वारा नहीं बनाया गया था और न ही कोई प्राक्कलन अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया बिना प्राक्कलन के वर्क आर्डर जारी करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(ग) माप पुस्तिका संख्याः 28 के पृष्ठ 42–43 में कार्य प्रारम्भ करने व समाप्त करने का कोई इन्द्राज नहीं किया था। बिना इन्द्राज के अदायगी करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

15-3 jkf'k ₹21]992-00 dk vfu;fer Hkqxrku %&

वाऊचर संख्याः शुन्य, अवधि 01/08 द्वारा ₹21,992.00 का भुगतान श्री पून्नू राम ठेकेदार चम्बा को सपड़ी मुहल्ला में नाली की मुरम्मत हेतु किया गया था। सम्बन्धित कार्य का प्राक्कलन तैयार किए बिना कार्यकारी अधिकारी द्वारा श्री पून्नू राम ठेकेदार को कार्यालय आदेष संख्याः 310, दिनांक 02.01.2008 द्वारा उक्त कार्य करने का ऑर्डर जारी किया गया। रिकॉर्ड की छानबीन दौरान यह पाया गया कि उक्त कार्य के लिए केवल एक कोटेषन श्री पूनू राम ठेकेदार की प्राप्त हुई थी व उसी एक कोटेषन के आधार पर ही वर्क आर्डर जारी कर दिया जबकि उक्त कार्य टैण्डर के आधार पर किया जाना चाहिए था। परन्तु परिषद द्वारा टैण्डर प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाना भी अनियमित था। इस भुगतान में निम्न आपत्तियाँ पाई गई :–

(क) प्राक्कलन के बिना कोटेषन किस पत्र के द्वारा मंगवाई गई थी का उल्लेख नहीं किया गया था।

(ख) क्या–क्या कार्य किया जाना अपेक्षित था का उल्लेख वर्क ऑर्डर में नहीं किया गया व बिना वर्णित कार्य के वर्क आर्डर देने का क्या औचित्य था।

(ग) कार्य का साईड प्लान भी तैयार नहीं किया गया था।

(घ) कार्य ठेकेदार के द्वारा कब शुरू किया गया व कब पूर्ण किया गया का इन्द्राज माप पुस्तिका में नहीं किया गया है।

15-4 <u>jkf'k ₹32]060-00 dk vuqfpr Hkqxrku</u> %&

वाऊचर संख्याः शुन्य, अवधि 01/08 द्वारा ₹32,060.00 का भुगतान श्री जालम सिंह ठेकेदार को मुहल्ला सुराड़ा में रैलींग फिटिंग करने हेतु किया गया था। इस कार्य का कोई प्राक्कलन कनिष्ट/नगर अभियन्ता के द्वारा तैयार नहीं किया गया था बिना प्राक्कलन तैयार किए नगर अभियन्ता के द्वारा पत्र संख्याः 203–05, दिनांक 30.04.2007 को उक्त कार्य के लिए कोटेषन आमन्त्रित की जिसे 04.05.2007 को 3 बजे खोला जाना था। कार्याकारी अधिकारी द्वारा 30.04.2007 को ही कोटेषनें मंगवा कर खोल दी और उसी दिन तुलनात्मक विवरणी बना कर उक्त कार्य के लिए कार्यालय आदेष संख्याः 211, दिनांक 18.05.2007 वर्क आर्डर जारी किया गया। परिषद अभियन्ता द्वारा जब कोटेषन खोलने हेतु 04.05.2007 की तिथि नियत की थी तो कार्याकारी अधिकारी के द्वारा 30.04.2007 को कोटेषने किस आधार पर मंगवाई व किस आधार पर कोटेषने खोली। इस भुगतान में निम्न आपत्तियां पाई गई :–

(क) सम्बन्धित कार्य एक मास के भीतर पूरा किया जाना अपेक्षित था परन्तु ठेकदार ने कार्य 31.12.2007 को कार्य अवार्ड होने के 7 महीने के बाद पूरा किया।

(ख) अनुबन्ध के अनुसार कार्य यदि एक मास में पूरा न किया जाए तो 1 प्रतिषत प्रति दिन की दर से अधिकतम राषि ₹5000 की पैनेलटी देने का प्रावधन था बिल कनिष्ट अभियन्ता द्वारा 01.01.2008 को एम0बी0 नम्बर 28 के पृष्ठ 47 में दर्ज किया जिसमें पैन्लटी नहीं लगाई थी जब कि कार्य सात मास देरी से किया गया था व पैन्लटी ₹5000 ली जानी अनिवार्य थी कनिष्ट अभियन्ता/परिषद अभियन्ता द्वारा मैकसीमम पैनलटी न काट कर ठेकेदार को ₹5000 का अधिक भुगतान किया। इसकी वसूली कनिष्ट/नगर अभियन्ता से करके परिषद कोष में जमा करवाएं।

(ग) बिल में वांछित 10 प्रतिषत घरोहर राषि (Security) भी नहीं काटी गई थी इस बारे स्थिति स्पष्ट करें कि सिक्योरटी क्यों नहीं काटी थी।

15-5 ikôyu r;kj fd, fcuk jkf’k ₹33-87 yk[k d Hkxrku ckj %&

लेखों के निरीक्षण दौरान यह पाया गया कि परिषद द्वारा परिषद कार्य के लिए खुली मार्किट से सामान की खरीद की थी जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा हैं। यह समस्त खरीद परिषद द्वारा प्राक्कलन तैयार किए बिना अभियन्ता शाखा व परिषद की मन्जूरी लिए बिना की गई थी बिना प्राक्कलन के सामान की खरीद की जानी अनियमित थी।

okÅpj l[;k	vof/k	jkf’k	ftl fuf/k l lkeku [kjhnk	fooj.k
—	05/07	55120.00	परिषद निधि	200 नम्बर पाईप जी0डी0 हयूम पाईप चेतडू कांगड़ा से खरीदी गई।
9	04/07	8240.00	विकास निधि	16 नम्बर पाईप जी0डी0 हयूम पाईप चैतडू कांगड़ा से खरीदी गई
13	04/07	20637.00	विकास निधि	आयरन ग्रिल व साईन बोर्ड आर0के स्टील इन्डस्ट्री परेल चम्बा से खरीदे गए।
—	07/07	24981.00	परिषद निधि	757 कि0ग्रा0 आयरन ड्रेन कवर एम0एस0 एंगल आर0के0 स्टील इन्डस्ट्री से खरीदे गए।
—	10/07	58702.00	परिषद निधि	आयरन ग्रेटिंग/ऐंगल क्रेट खन्ना स्टील इन्डस्ट्री चम्बा से खरीदे गए
—	10/07	80841.00	परिषद निधि	रैलिंग/ड्रेन कवर आर0के0 स्टील इन्डस्ट्री परेल चम्बा से खरीदे गए
—	12/07	188390.00	परिषद निधि	एंगल ग्रिल/ड्रेन कवर का भुगतान खन्ना स्टील इन्डस्ट्री चम्बा को की गई।
5	10/07	68340.00	विकास निधि	आयरन एंगल क्रेट खन्ना स्टील इन्डस्ट्री चम्बा से खरीदे।

6	10/07	97310.00	विकास निधि	आयरन रैलिंग खन्ना स्टील इन्डस्ट्री चम्बा से खरीदी गई।
8	11/07	29848.00	विकास निधि	656 कि0ग्रा0 ड्रेन कवर आर0के0 स्टील चम्बा से खरीदे।
–	12/07	4595.00	परिषद निधि	101 कि0ग्रा0 ड्रेन कवर आर0के0 स्टील इन्डस्ट्री चम्बा से खरीदे गए
–	01/08	92774.00	परिषद निधि	2039 कि0ग्रा0 ड्रेन कवर आर0के0 स्टील इन्डस्ट्री परेल चम्बा से खरीदे
–	01/08	88130.00	परिषद निधि	एंगल फ्लैट/ग्रेटिंग खन्ना स्टील इन्डस्ट्री चम्बा से खरीदे।
–	01/08	118184.00	परिषद निधि	2597 कि0ग्रा0 आयरन ग्रेटिंग खन्ना स्टील इन्डस्ट्री चम्बा से खरीदी गई।
–	03/08	107705.00	परिषद निधि	200 नम्बर पाईप, जी0डी0 हयूम पाईप चैतडू कांगड़ा से खरीदी गई।
–	03/08	49290.00	परिषद निधि	163 पाईपें, जी0डी0 हयूम पाईप चैतडू कांगड़ा से खरीदी गई।
–	04/08	72111.00	परिषद निधि	1625 कि0ग्रा0 ग्रेटिंग खन्ना स्टील इन्डस्ट्री चम्बा से खरीदी गई।
–	06/08	10032.00	परिषद निधि	220.5 कि0ग्रा0 ग्रेटिंग खन्ना स्टील इन्डस्ट्री चम्बा से खरीदी गई।
–	08/08	12256.00	परिषद निधि	आयरन ग्रेटिंग खन्ना स्टील इन्डस्ट्री चम्बा से खरीदी गई।

—	08/08	117318	परिषद निधि	1886 कि0ग्रा0 आयरन ड्रेन कवर आर0के0 स्टील इन्डस्ट्री परेल चम्बा से खरीदे गए।
—	08/08	108548.00	परिषद निधि	1745 कि0ग्रा0 आयरन ग्रेटिंग खन्ना स्टील इन्डस्ट्री चम्बा से खरीदी गई।
—	10/08	153823.00	परिषद निधि	2368 कि0ग्रा0 आयरन ग्रेटिंग/पोस्ट खन्ना स्टील इन्डस्ट्री चम्बा से खरीदी गई।
—	10/08	24348.00	परिषद निधि	363.4 कि0ग्रा0 ड्रेन कवर आर0के0 स्टील इन्डस्ट्री परेल चम्बा से खरीदे।
—	10/08	102864.00	परिषद निधि	1619.63 कि0ग्रा0 ड्रेन कवर आर0के0 स्टील इन्डस्ट्री परेल चम्बा से खरीदे
—	11/08	77867.00	परिषद निधि	एम0एस0 एंगल/डस्टबीन आर0के0 स्टील इन्डस्ट्री परेल चम्बा से खरीदे।
8	02/09	145807.00	परिषद निधि	2544 कि0ग्रा0 आयरन ग्रेटिंग खन्ना स्टील इन्डस्ट्री चम्बा से खरीदे
10	03/09	283845.00	परिषद निधि	2090 कि0ग्रा0 आयरन ग्रेटिंग/ड्रेन कवर बैंच खरीदे गए।
11	03/09	6645.00	परिषद निधि	105 कि0ग्रा0 ड्रेन कवर आर0के0 स्टील इन्डस्ट्री परेल चम्बा से खरीदे।

48	03/09	350143.00	परिषद निधि	1020 पाईपें जी0डी0 हयूम पाईप चैतडू कांगड़ा से खरीदी गई।
51	05/09	39373.00	परिषद निधि	620 कि0ग्रा0 आयरन ग्रेटिंग खन्ना स्टील इन्डस्ट्री चम्बा से खरीदी।
65	07/09	107261.00	परिषद निधि	2125.5 कि0ग्रा0 आयरन ग्रेटिंग खन्ना स्टील इन्डस्ट्री चम्बा से खरीदे।
13	08/09	43494.00	परिषद निधि	एम0एस0 एंगल/इन्टरलीक चैन/ड्रेन कवर आर0के0 स्टील इन्डस्ट्री परेल चम्बा से खरीदे गए।
–	10/09	61486.00	परिषद निधि	1286 कि0ग्रा0 एंगल आयरन सीमा स्टील एण्ड वुडन इन्डस्ट्री चम्बा से खरीदे।
45	12/09	57981.00	परिषद निधि	1238 कि0ग्रा0 ड्रेन कवर सीमा स्टील एण्ड बुडन इन्डस्ट्री चम्बा से खरीदे।
57	12/09	88712.00	परिषद निधि	1125 कि0ग्रा0 इन्टरलीक चैन ए0के0 स्टील इन्डस्ट्री चम्बा से खरीदी।
11	02/10	93775.00	परिषद निधि	1152 कि0ग्रा0 इन्टरलीक चैन ए0के0 स्टील इन्डस्ट्री चम्बा से खरीदी।
30	02/10	157414.00	परिषद निधि	200 पाईपें, जी0डी0 हयूम पाईप चेतडू कांगड़ा से खरीदी
16	03/10	100021.00	परिषद निधि	626 कि0ग्रा0 एंगल आयरन सीमा स्टील एण्ड वुडन इन्डस्ट्री चम्बा से खरीदे।

23	02／10	78707.00	परिषद निधि	200 नम्बर पाईपें जी0डी0 हयूम पाईप चेतडू कांगड़ा से खरीदी।

dqy ;ksx ₹33]86]968-00

15-6 jkf'k ₹40]337-00 dk vfu;fer Hkqxrku %&

आई0डी0एस0एम0टी0 निधि से वाऊचर संख्याः शून्य, अवधि 04／07 द्वारा ₹40,337.00 का भुगतान आर0के0 स्टील इन्डस्ट्री परेल चम्बा को प्रोटैक्षन वर्क हिल स्लोप कसाकड़ा में 112 नम्बर ऐंगल पोस्ट लगाने हेतु किया गया। यह भुगतान इस निधि से उचित प्रभार नहीं था। इसका भुगतान परिषद निधि के अर्न्तगत किया जाना अपेक्षित था इस कार्य का प्राक्कलन भी तैयार नहीं किया गया था बिना प्राक्कलन के कार्य नहीं किया जा सकता था आई0डी0एस0एम0टी0 निधि में इस प्रकार के व्यय करने का प्रावधान नहीं था। अतः राषि की वसूली परिषद निधि से करके आई0डी0एस0एम0टी0 निधि में जाम करवाएं तथा भविष्य में नियमाधीन व्यय करने की प्रवृति बनाएं।

15-7 jkf'k ₹2]02]626-00 dk vfu;fer Hkqxrku %&

आई0डी0एस0एम0टी0 लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि निम्न व्यय प्राक्कलन बनाए बिना किया गया था। किसी भी कार्य को करने से पूर्व कार्य का प्राक्कलन तैयार करके ही कार्य को प्रारम्भ करना अपेक्षित था परन्तु कार्यकारी अधिकारी／नगर अभियन्ता द्वारा बिना प्राक्कलन तैयार किए कार्य करवाए व कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व परिषद की मन्जूरी भी नहीं ली गई थी जो ली जानी चाहिए थी। इन व्ययों को सक्षम अधिकारी की मन्जूरी लेकर नियमित करवाएं अन्यथा राषि की वसूली करनी सुनिष्चित करें।

okÅpj la[;k	vof/k	jkf'k	fooj.k	fo'ks"k dFku
1	10／07	29,730.00	शमषान घाट सड़क में मलवा व स्लीप हटाने के लिए भुगतान सुरिन्द्र सिंह ठेकेदार को किया गया।	यह भुगतान इस निधि से उचित प्रभार नहीं था।
1	11／07	29,995.00	नरसीग मन्दिर से पी0डब्लयू0डी0 रोड़ में गिरे मलवे को हटाने के लिए भुगतान हंस राज ठेकेदार को किया	यह भुगतान इस निधि से उचित प्रभार नहीं था।

			गया।
1	12/07	11,861.00	चौगान के समीप परिषद नाली की मुरम्मत का भुगतान जालम सिंह ठेकेदार को किया गया।
2	12/07	34,985.00	काली माता सड़क के समीप सड़क का मुरम्मत कार्य का भुगतान सुरिन्द्र सिंह ठेकेदार को किया गया।
3	12/07	26,323.00	जुलाहकड़ी में सड़क/नाली
1	06/08	28,625.00	चम्बा शहर से मलवा हटाने का भुगतान पूनू राम ठेकेदार को किया गया।
1	03/09	41,107.00	राजीव गांन्धी कम्पलैक्स में बिजली वायरिंग करने का भुगतान मेहता जनरल स्टोर चम्बा को किया गया।
	;kx	₹2]02]626-00	

15-8 आई0डी0एस0एम0टी0 लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि इस खाते में 31.03.2007 केवल ₹8,699.00 शेष था व आई0डी0एस0एम0टी0 के रोकड़ बही में कहीं भी टिप्पणी नहीं की गई थी कि कोई राषि किसी फर्म/ठेकेदार व अन्य को देनी शेष थी। आई0डी0एस0एम0टी0 निधि से बारात घर का निर्माण कार्य किया जाना था जो वर्ष 2002 में प्रारम्भ किया गया था व 03/2007 से पूर्व कार्य को पूरा किया दर्षाया गया था व बारात घर निर्माण पर हुए ₹5,25,942.00 का खर्चा विकास निधि से किया गया था जबकि इस निधि से बारात घर के निर्माण कार्य का भुगतान नहीं किया जा सकता था उक्त राषि की छानबीन दौरान भुगतान में निम्न आपत्तियाँ पाई गई आई0डी0एस0एम0टी0 निधि से वाऊचर संख्याः 1, अवधि 05/07 में ₹9,73,242.00 को विकास निधि में हस्तांतरण (Transfer) किया गया था जिस निधि से आई0डी0एस0एम0टी0 निधि के अर्न्तगत बारात घर के निर्माण कार्य पर ₹5,25,942.00 का व्यय शामिल था जिसका ब्यौरा निम्न है तथा ₹4,27,080.00 का भुगतान चौगान के समीप स्लोप साईड निर्माण पर व्यय किया था।

15-8-1 राषि ₹52,287.00 का भुगतान देस राज ठेकेदार, करीयां चम्बा को बारात घर निर्माण कार्य का बकाया भुगतान किया दर्षाया था इस बिल की छानबीन दौरान पाया गया कि बिल में ₹17,50,000.00 की अग्रिम राषि दिए जाने का जिक्र किया गया था जबकि अनुबन्ध पत्र में अग्रिम दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं था जब अग्रिम देने का कोई प्रावधान नहीं था तो ₹17,50,000 अग्रिम क्यों दिया गया अग्रिम दिए जाने के प्रपत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। अग्रिम दिए जाने के फलस्वरूप जो परिषद को ब्याज हानि का सामना करना पड़ा है की गणना करके ठेकेदार से वसूल किया जाए अन्यथा ब्याज राषि का उत्तरदायित्व निर्धारित करके सम्बन्धित कर्मचारी से वसूला जाए तथा इस कार्य को देरी से कम्पलीषन किए जाने बारे भी स्थिति स्पष्ट करें कि क्या कार्य को देरी से किए जाने बारे जुर्माना राषि वसूल की है या नहीं। यदि जुर्माना राषि की वसूली नहीं की हो तो स्थिति स्पष्ट करें कि जुर्माना क्यों नहीं लिया गया।

15-8-2 राषि ₹4,72,955.00 का भुगतान अष्वनी चन्द ठेकेदार चम्बा को बारात घर में सैनीटेषन फिटिंग कार्य करने के लिए किया गया था। इससे सम्बन्धित एक्टीमेन्ट/टैण्डर व अवार्ड पत्र इत्यादि रिकॉर्ड में मौजूद नहीं थे बिना प्रपत्र के भुगतान किए जाने का क्या औचित्य था। रिकॉर्ड प्रस्तुत न करने के फलस्वरूप इसकी जाँच नहीं की जा सकी। आगामी अंकेक्षण में सम्बन्धित रिकॉर्ड जाँच हेतु प्रस्तुत किए जाएं ताकि भुगतान की सही पुष्टि की जा सके।

15-8-3 राषि ₹4,27,080.00 का भुगतान श्री चन्द्रषेखर ठेकेदार चम्बा को प्रोटेक्षन वाल सलोप साईड समीप चौगान के निर्माण कार्य हेतु किया गया। आई0डी0एस0एम0टी0 निधि से इस कार्य के लिए भुगतान नहीं किया जा सकता था और यह व्यय उचित प्रभार नहीं था इस व्यय को परिषद निधि से किया जाना चाहिए था। उक्त राषि को परिषद निधि से लेकर आई0डी0एस0एम0टी0 निधि मे जमा करवाएं तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में बताई जाए।

15-9 <u>jkf'k ₹5]45]633-00 dk fjdkMZ d: fcuk Hkqxrku ckj:</u> %&

सोलिड वेस्ट मैनेजमैन्ट परियोजना के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि इस परियोजना में कुछ कार्यों के टैण्डर करते समय टैण्डर फार्म के साथ कार्य की मद सारणी नहीं लगाई गई थी बिना मद सारणी के टैण्डर को कैसे मन्जूर किया गया इस बारे परिषद अभियन्ता/कार्यकारी अधिकारी की कोई टिप्पणी रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं थी। बिना मद सारणी के टैण्डर नहीं किए जा सकते थे व टैण्डर करवाने की प्रक्रिया गलत थी। बिना रिकॉर्ड के इन वाऊचरों का निरीक्षण नहीं किया जा सका आगामी अंकेक्षण में सम्बन्धित रिकॉर्ड प्रस्तुत किया जाए तथा बिना मद सारणी के टैण्डर नहीं किए जा सकते थे व टैण्डर करवाने की प्रक्रिया गलत थी।

बिना रिकॉर्ड के इन वाऊचरों का निरीक्षण नहीं किया जा सका आगामी अंकेक्षण में सम्बन्धित रिकॉर्ड प्रस्तुत किया जाए तथा बिना मद सारणी के टैण्डर करने बारे स्थिति स्पष्ट करे अन्यथा किए गए भुगतान की वसूली करनी सुनिष्चित करें।

okÅpj l[;k	vof/k	jkf'k	fooj.k
3	06／08	1,98,885.00	बैटरी फेवरीकेषन कार्य का भुगतान अंकुष खन्ना ठेकेदार चम्बा को किया गया।
4	06／08	97,381.00	बैटरी के गिर्द आयरन ग्रेटिंग कार्य की प्रोवाइडिंग／फिक्सिंग करवाने का भुगतान अंकुष खन्ना ठेकेदार चम्बा को किया गया।
6	07／08	59,989.00	बैटरी फेवरीकेषन का निर्माण कार्य का भुगतान अंकुष खन्ना को किया गया।
1	08／08	59,032.00	बैटरी शैड में स्ट्रीट लाईट प्वांइट व वायरिंग करवाने का प्रोवाइडिंग／फिक्सिंग कार्य का भुगतान किया गया।
2	09／08	1,30,346.00	बाऊंडरी वाल प्लेटफार्म निर्माण कार्य का भुगतान अंकुष खन्ना को किया गया।
	;kx	₹5]45]633-00	

15-10 <u>jkf'k ₹1]96]589-00 dk vuqfpr Hkqxrku</u> %&

वाऊचर संख्याः 1, अवधि 08／07 द्वारा ₹2,68,589.00 का भुगतान आर0के0 स्टील इन्डस्ट्री परेल जिला चम्बा को वाऊचर संख्याः 1, अवधि 08／07 द्वारा केट एण्ड बैटरीज़ के निर्माण हेतु सोलिड वेस्ट मनेजमैंट परियोजना के अर्न्तगत किया गया। इस कार्य के लिए परिषद द्वारा टैण्डर में राषि ₹1,00,000 भरी थी व आर0के0 स्टील इन्डस्ट्री परेल जिला चम्बा द्वारा टैण्डर फर्म पर इस कार्य को 72% पर करने हेतु अपना रेट भरा था। इस फर्म के द्वारा टैण्डर राषि में दर भरते समय न तो प्रतिषत उपर और न ही प्रतिषत नीचे लिखा था जिसका मतलब साफ था कि सम्बन्धित फर्म इस कार्य को 72% यानी कि ₹एक लाख पर केवल ₹72,000 पर करने को तैयार था परन्तु जब इस कार्य का बिल कनिष्ट अभियन्ता के द्वारा बनाया गया तो वह बिल ₹2,68,589.00 का था व

कनिष्ट अभियन्ता द्वारा कार्य पर 72% उपर की दर करके बिल बनाया जबकि फर्म ने कार्य के लिए शडयूल रेट से उपर कार्य करने को नहीं लिखा था इस कार्य में केवल ₹72,000 का भुगतान किया जाना था न कि ₹2,68,589.00 का भुगतान किया जाना था। सम्बन्धित फर्म को ₹1,96,589.00 का अधिक भुगतान किया गया इस अधिक भुगतान को अंकेक्षण में उचित नहीं माना जा सकता तथा ₹1,96,589.00 की वसूली करके परिषद कोष में जमा करवाएं की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को सूचित करें।

15-11 <u>jkf'k ₹63]800-00 dk vufpr Hkqxrku</u> %&

परिषद के लेखों के निरीक्षण दौरान यह पाया गया कि कार्यकारी अधिकारी द्वारा शहर में नाली व सैपटिक टैंक के सफाई करने हेतु विकास निधि से ₹63,800.00 का भुगतान किया गया था इस कार्य को करवाने से पूर्व कनिष्ट अभियन्ता से किसी प्रकार का प्राक्कलन नहीं बनाया गया था बिना प्राक्कलन के कार्य को किया जाना उचित नहीं था व यह जाँचना भी मुष्किल था कि वास्तव में कार्य करवाया जाना भी अपेक्षित था या नहीं। सम्बन्धित वाऊचरों की छानबीन दौरान यह पाया कि उक्त राषि में से ₹57,300 का भुगतान नाली व सैपटीक टैंकों की सफाई के लिए श्री मोहिन्द्र निवासी पक्का टाला को किया गया था जो कि नगर परिषद चम्बा का स्थाई कर्मचारी था। स्थाई कर्मचारी को ठेके का काम किस आधार पर दिया गया व किस आधार पर श्री मोहिन्द्र निवासी पक्का टाला चम्बा को ठेकेदार बनाया गया के बारे कार्यकारी अधिकारी द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया परिषद के स्थाई कर्मचारी को ठेकेदार नहीं बनाया जा सकता था व कार्यकारी अधिकारी द्वारा उसे ठेकेदारी कार्य दिए जाने व भुगतान किया जाना उचित नहीं माना जा सकता क्योंकि श्री मोहिन्द्र परिषद सफाई कर्मचारी इस कार्य को बिना ठेकेदारी के कर सकता था तब ₹63,800 का जो भुगतान उसे किया गया था व परिषद के द्वारा व्यय न करना पड़ता। बिना प्राक्कलन के कार्य करवाना व परिषद के ही सफाई कर्मचारी से कार्य लिया जाना और उसे ठेकेदार बनाया जाना उचित नहीं ठहराया जा सकता। ₹57,300 का भुगतान जो श्री मोहिन्द्र सफाई कर्मचारी को किया है की वसूली का उत्तरदायित्व निर्धारित कर राषि की वसूल करके परिषद कोष में जमा करवाएं।

okÅpj la[;k	vof/k	jkf'k	ftls Hkqxrku fd;k	fooj.k	fo'ks"k dFku
1	10/07	8,000.00	मोहिन्द्र, सफाई सेवक	पक्का टाला में नाली की सफाई करवाने हेतु	

				भुगतान	
19	02/08	6,500.00	रविन्द्र सिंह	रैहन बसेरा के सैपटीक टैंक की सफाई करवाने हेतु भुगतान	
5	04/08	20,000.00	मोहिन्द्र, सफाई सेवक	हरदासपूरा में सैपटीक टैंक की सफाई करवाने हेतु भुगतान	
2	05/08	22,300.00	मोहिन्द्र, सफाई सेवक	रेवन्यू कौलोनी हरदासपूरा में सेपटिक टैंक की सफाई करवाने का भुगतान	इसका रखरखाव पी0 डब्लयू0डी0 के पास है तथा इसका कार्य पी0 डब्लयूडी0 से करवाया जाना चाहिए था यह भुगतान उचित नहीं था।
2	11/08	7,000.00	मोहिन्द्र, सफाई सेवक	आफिसर कौलोनी के सैपटिक टैंक की सफाई करवाने हेतु	1. इसका रखरखाव पी0 डब्लयू0डी0 के पास है तथा इसका कार्य पी0 डब्लयूडी0 से करवाया जाना चाहिए था 2. इसका भुगतान इस निधि से उचित प्रभार नहीं था।
	;kx	₹63]800			

15-12 jkf'k ₹90]366-00 dh okbMt@jk;YVh dh olwyh ckj ¼&

परिषद के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि परिषद द्वारा पत्थर, बजरी, रेत की खरीद का भुगतान करते समय न तो रायल्टी शुल्क काटी गई थी और न ही वाईडज़ की राषि काटी गई थी। पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि के बिलों के भुगतान करते समय रायल्टी/वाइडज़ न काटे जाने के फलस्वरूप रायल्टी की ₹36,089.00 व वाईडज़ की ₹54,279.00 का अधिक भुगतान

किया गया जिसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट–''ट'' में दिया गया है। ₹90,366.00 की वसूली करके वाईडज़ राषि को परिषद कोष में व रायलटी शुल्क को सरकार को भेजने की कृपा करे की गई कार्यवाही से इस विभाग को सूचित करें।

15-13 jkf'k ₹6-54 yk[k dk vufpr Hkxrku %&

विभिन्न निर्माण कार्यों का निष्पादन तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए बिना ही किया गया था जो कि अनुचित अनियमित एवं बहुत ही आपत्तिजनक था जाँच परीक्षण में पाए गए कुछ निर्माण कार्यों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है जिसमें ₹6,54,452.00 की राषि का व्यय व भुगतान बिना तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए ही निर्माण कार्य का निष्पादन के लिए किया गया था। अतः इस अनियमितता की मन्जूरी सक्षम अधिकारी से ले कर व्यय को नियमित करवाया जाए अन्यथा जिस अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा राषि का भुगतान बिना मन्जूरी के किया है से वसूली करनी सुनिष्चित करें तथा की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जा सके।

okÅpj l[;k	vof/k	eLVjjksy uEcj	jkf'k	fooj.k
	04/07	722(ए)	9,062.00	हटनाला में नाली/सड़क की मुरम्मत
	04/07	723	8,363.00	सुराड़ा में ब्यूटिफिकेषन का कार्य
	04/07	724	22,425.00	चम्बा शहर में मलवा साफ करने हेतु भुगतान
3	04/07	725	8,101.00	चम्बा शहर में नाली/सड़क की मुरम्मत बारे
	05/07	731	17,449.00	सूही मन्दिर के रेवोनेषन कार्य का भुगतान
	05/07	732	17,700.00	सूही मन्दिर के रेवोनेषन कार्य का भुगतान
	06/07	739	14,735.00	
	06/07	740	9,567.00	
	06/07	741	6,860.00	
	06/07	742	23,925.00	

07/07	748	9,171.00	सुराड़ा में ब्यूटिफिकेषन कार्य
07/07	749	9,819.00	सुराड़ा में ब्यूटिफिकेषन कार्य
07/07	750	18,150.00	डेवरीज/मलवा उठाने का कार्य
07/07	751	14,019.00	अनाधिकृत निर्माण को गिराने हेतु कार्य का भुगतान
08/07	757	6,990.00	पक्काटाला में शमषानघाट का निर्माण कार्य
08/07	758	8,708.00	सुराड़ा में सडक/नाली का निर्माण कार्य
09/07	766	16,275.00	चम्बा चौगान में डेवरीज़ की सफाई का भुगतान
09/07	767	17,000.00	चम्बा में मैटलींग/टायरींग का कार्य
09/07	768	9,148.00	पक्का टाला में मैटलिंग/टायरिंग का कार्य
09/07	969	5,128.00	सुराड़ा में व्यूटिफिकेषन का कार्य
11/07	779	12,628.00	चम्बा में मैटलिंग/टायरिंग का कार्य
11/07	780	11,325.00	चम्बा में मैटलिंग/टायरिंग का कार्य
11/07	781	3,260.00	चम्बा में सड़क/नाली का मुरम्मत कार्य का भुगतान
10/07	775	9,069.00	रामगढ़ चम्बा में मैटलिंग/टायरिंग कार्य
10/07	773	14,633.00	चम्बा फेस–1 मे मैटलिंग/टायरिंग कार्य
10/07	774	7,725.00	चम्बा फेस–2 में मैटलिंग/टायरिंग कार्य
12/07	783	11,449.00	चम्बा शहर में नाली/सड़क का मुरम्मत कार्य
12/07	784	12374.00	चम्बा शहर में नाली/सड़क का मुरम्मत कार्य

	01/08	790	17,622.00	कसाकड़ा मे नाली का निर्माण व सुराड़ा में ब्यूटिफिकेषन कार्य
	01/08	789	6,894.00	मस्टर रोल में कोई कार्य नहीं लिखा गया था
	01/08	792	1,725.00	मस्टर रोल में कोई कार्य नहीं लिखा गया था
1	01/08	791	6,150.00	हरदासपूरा में सड़क मुरम्मत कार्य
	02/08	795	14,487.00	सपड़ी चौगान में नाली/सड़क की मुरम्मत कार्य
	02/08	793	18,029.00	सरकट हाऊस के समीप नाले का निर्माण कार्य
	02/08	794	5,900.00	परिषद सड़क का मुरम्मत कार्य
	03/08	800	8,000.00	चम्बा में नाली का निर्माण कार्य
	03/08	799	13,613.00	कसाकड़ा में हिल स्लोप क्षेत्र में प्रोटैक्षन वर्क हेतु भुगतान
	03/08	801	10,648.00	चम्बा शहर में सड़क निर्माण कार्य
	04/08	804	16,337.00	चम्बा में सड़क/नाली का निर्माण कार्य
	04/08	805	11,700.00	चम्बा में सड़क/नाली का निर्माण कार्य
	04/08	806	15,610.00	शमषान घाट सड़क का निर्माण कार्य
	05/08	809	17,556.00	
	05/08	810	8,900.00	
	05/08	811	14,629.00	
	06/08	814	15,227.00	हरदासपुरा मुहल्ला में नाली का निर्माण कार्य
	06/08	815	7,100.00	सुराड़ा मुहल्ला में मुरम्मत कार्य

06/08	813	18,427.00	चम्बा शहर में नाली/सड़क का निर्माण कार्य
07/08	819	11,296.00	सपड़ी मुहल्ला में मैंटलिंग/टायरिंग कार्य
07/08	820	15,406.00	कसाकड़ा मुहल्ला में मैटलिंग/टायरिंग कार्य
08/08	823	12,966.00	कसाकड़ा मुहल्ला में मैटलिंग/टायरिंग कार्य
08/08	824	14,900.00	चम्बा शहर में मैटलिंग/टायरिंग कार्य
08/08	825	10,900.00	मजरी गार्डन चम्बा मे मैन्टेनैंस कार्य
09/08	829	4,700.00	चम्बा शहर में सड़क मुरम्मत कार्य
09/08	830	9,885.00	चम्बा शहर में सड़क मुरम्मत कार्य
09/08	831	10,737.00	चम्बा शहर मे मैटलिंग/टायरिंग कार्य

15-14 <u>jkf'k ₹2]14]380-00 dk vo/k Hkxrku</u> %&

वाऊचर संख्याः 39, अवधि 01/10 द्वारा ₹2,14,380.00 का भुगतान गारवेज़ यूनिट कुरांह के लिए रिटेनिंग वाल के निर्माण कार्य हेतु नरेन्द्र पुरी ठेकेदार चम्बा को की गई। यह भुगतान बी0आर0जी0एफ0 निधि के विरूद्ध किया गया था। सौलिड वेस्ट मनेजमैंट परियोजना कुराहं का डी0पी0आर0 में ₹2,30,000.00 का प्रावधान डस्टबीन की खरीद/मैनेजमैन्ट वर्क के लिए रखा गया था। कार्यकारी अधिकारी द्वारा इस राषि का प्रयोग डस्टबीन खरीद न करके रिटेनिंग वर्क का कार्य करवाया गया जो आपत्तिजनक ही नहीं गम्भीर मामला भी था। सरकार के द्वारा जिस कार्य के लिए राषि परिषद को भेजी थी उसका कार्य न करवा कर अन्य मद में व्यय क्यों किया गया इसकी स्थिति को स्पष्ट करें यदि ₹2,30,000.00 का प्रयोग नहीं किया जाना था तो इस राषि को वापिस सरकार को क्यों नहीं भेजा गया इसका उत्तरदायितव निर्धारित किया जाए तथा स्थिति स्पष्ट करें कि बी0आर0जी0एफ0 की राषि सौलिड़ वेसट मैनेजमैंट परियोजना में क्यों व्यय की जबकि ₹2,14,380.00 का भुगतान सोलिड़ वेस्ट मैनेजमैन्ट परियोजना की अनुदान राषि से ही व्यय किया जाना अपेक्षित था। ₹2,14,380.00 की वसूली सम्बन्धि निधि से करके बी0आर0जी0एफ0 में जमा

करवाने की और पग उठाएं तथा भविष्य में जिस कार्य के लिए अनुदान राषि प्राप्त हो उसी से व्यय किया जाना चाहिए।

15-15 नगर परिषद के लेखों की छानबीन दौरान पाया गया कि परिषद द्वारा ठेकेदारों की प्रतिभूति कार्य समाप्त होने के बाद भी लौटाई नहीं गई थी जबकि कार्य के समाप्ति के छः मास के बाद लौटाई जा सकती थी परन्तु ठेकेदारों ने या तो प्रतिभूति की मांग नहीं की गई था परिषद के द्वारा लौटाई नहीं गई जिसके फलस्वरूप 31.03.2010 को परिषद के खाते में ठेकेदारों के कार्य से काटी गई प्रतिभूति ₹47,52,914.00 थी परिषद द्वारा अलग से प्रतिभूति का खाता नहीं खोला गया था व सारी प्रतिभूति राषि परिषद खाते में ही शेष पड़ी थीं जिसका विवरण इस प्रतिवेदन के परिषिष्ट ''ड'' में दिया गया है।

16 okgu

jkf'k ₹3]51]631-00 dh fcuk vkSipkfjdrk ds vufpr 0;; ckjs %&

परिषद द्वारा अपनी गाड़ीयों की मुरम्मत करवाई गई थी उसमें कुछ आपत्तियाँ पाई गई जो निम्न प्रकार थी :–

(क) लॉग बुक की छानबीन दौरान पाया गया कि जिस दिन गाड़ी की मुरम्मत करवाई दर्षाई गई थी उस दिन गाड़ी ने परिषद का कुड़ा कर्कट ढोने का कार्य किया है व कब गाड़ी की मुरम्मत करवाई गई यह लॉग बुक में इन्द्राज नहीं किया गया था।

(ख) गाडी का वर्कषॅाप में तो जाया जाना व गाड़ी की मुरम्मत करवाने के उपरान्त गाड़ी को वर्कषाप से वापसी का कोई जिक्र लॉग बुक में नहीं किया गया था जिसके अभाव में गाड़ी का वर्कषाप में मुरम्मत करवाना संदिग्ध प्रतीत होता है।

(ग) गाड़ी की खराबी की रिपोर्ट किसी मकैनिक से नहीं ली गई थी। मकैनिक की रिपोर्ट के बिना गाड़ी की मुरम्मत करवाए जाने का कोई औचित्य नहीं था।

(घ) गाड़ी के मुरम्मत के कोई लिखित आदेष अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए।

गाड़ी मुरम्मत बारे कार्यकारी अधिकारी को उदाहरण स्वरूप एक अधियाचना भी जारी की गई थी जो इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट ''य'' में दर्षाई है। इसका जवाब भी कार्यकारी अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया था।

okÅpj la[;k	vof/k	jkf'k	fooj.k ¼xkMh uEcj½	ftl s Hkqxrku fd;k x;k
–	04/07	18,385.00	HP-48-2422	महाजन आटो स्पेयर सुलतानपुर चम्बा का गाड़ी की 14.04.2007 के बिल का भुगतान किया।
–	10/07	15,876.00	HP-48-2798	वी0के0 इन्जीनीयरिंग वर्कस चम्बा
–	10/07	21,543.00	HP-48-2798	महाजन ओटो स्पेयर सुलतानपुर चम्बा
–	10/07	5,278.00	HP-48-4222	महाजन ओटो स्पेयर सुलतानपुर चम्बा
–	12/07	37,500.00	HP-48-0407	
–	03/08	39,475.00	HP-48-2798	महाजन ओटो स्पेयर सुलतानपुर चम्बा
–	07/08	79,615.00	HP-48-4222	महाजन ओटो स्पेयर सुलतानपुर चम्बा
–	10/08	46,367.00	HP-48-2422	वी0के0 इन्जीनियरिंग वर्कस चम्बा
–	10/08	11,316.00	HP-48-4222	वी0के0 इन्जीनियरिंग वर्कस चम्बा
–	12/08	35,128.00	HP-48-2798	वी0के0 इन्जीनियरिंग वर्कस चम्बा
–	12/08	20,728.00	HP-48-2798	महाजन ओटो स्पेयर सुलतानपुर चम्बा
49	03/09	20,420.00	HP-48-0407	महाजन ओटो स्पेयर सुलतानपुर चम्बा
	;ksx	₹3]51]631-00		

16-1 <u>fcuk ehVj jhfMax ds 5870 fdyksehVj xkMh dks pykus ckjs</u> %&

परिषद के वाहन नम्बर HP-48-2798 की लॉग बुक की छानबीन दौरान पाया गया कि उक्त गाड़ी का स्पीडोमीटर 04/07 से पूर्व से खराब चला आ रहा था। सम्बन्धित चालक द्वारा बिना सपीडोमीटर को ठीक करवाए गाड़ी चलाई व कार्यकारी अधिकारी/वाहन प्रभारी ने भी गाड़ी के खराब सपीडोमीटर को ठीक करवाना उचित नहीं समझा गाड़ी को चलाया गया ऐसा दर्षाया गया था। बिना स्पीडोमीटर के यह जांचना मुष्किल था कि वास्तव में गाड़ी का प्रयोग हुआ भी था या खड़ी गाड़ी की मीटर रीडिंग दर्षाई गई। नियमाधीन गाड़ी का यदि मीटर खराब हो तो गाड़ी

को चलाना उचित नहीं था व अनियमित था। 04/07 से 10/07 तक वाहन नम्बर HP-48-2798 को 5870 किलोमीटर चलाया गया दर्षाया था लॉग बुक में केवल प्रतिदिन गाड़ी की रिडिंग दर्षाई थी जबकि वास्तव में बिना मीटर रिडिंग के उक्त 5870 किलोमीटर को उचित नहीं माना जा सकता। अंकेक्षण में इस प्रयोग की गई रिडिंग को ठीक नहीं माना गया तथा इस गाड़ी में 04/07 से 03/10 तक जितना डीजल इत्यादि का प्रयोग किया है की वसूली सम्बन्धित चालक से करें अन्यथा स्थिति स्पष्ट करें कि बिना मीटर रीडिंग के गाड़ी का प्रयोग किसके आदेष से किया गया।

ekl	ftruh xkM+h pykbZ xbZ ¼fd0eh0½
04/07	795
05/07	846
06/07	786
07/07	1193
08/07	989
09/07	973
10/07	288
	;ksx 5870

17 vfxze %&

नगर परिषद के अग्रिम पन्जिका आर–12 की छानबीन दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा अपने कर्मचारियों को अग्रिम तो दिया गया था परन्तु उस अग्रिम के समायोजन के बिल अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके अभाव में इस समय समायोजन हेतु ₹1,88,52,463.00 अग्रिम लम्बित पड़ी थी जो कि बहुत अधिक है व अनियमित एवं आपत्तिजनक है क्योंकि इतनी अधिक राषि तथा लम्बें समय से समायोजन हेतु लम्बित रहना आष्चर्यजनक है वर्तमान अंकेखण के दौरान कुछ अग्रिमों को समायोजित किया गया था। अतः कार्यकारी अधिकारी को परामर्ष दिया जाता है कि परिषद आय से दिए गए अग्रिमों का समायोजन शीघ्र करवाया जाए यदि समायोजन के दस्तावेज अग्रिम धारक प्रस्तुत नहीं करता है तो ब्याज सहित राषि की वसूली करनी सुनिष्चित करें तथा भविष्य में अग्रिम देने से परिहार किया जाए।

17-1 jkf'k ₹23]902-00 dk vfxze dk lek;kstu u djus ckjs %&

नगर परिषद के लेखों की जाँच दौरान यह पाया गया कि सौलिड वेस्ट मैनेजमैन्ट परियोजना से निम्न कर्मचारियों को अग्रिम का भुगतान किया गया था। जिसका समायोजन 08/11 तक भी नहीं करवाया गया जो एक गम्भीर अनियमितता थी इस निधि से अग्रिम देने का कोई प्रावधान नहीं था। ₹23,902.00 की अग्रिम के समायोजन न करवाए जाने की स्थिति को स्पष्ट करते हुए यह बताएं कि जब अग्रिम का कोई प्रयोग ही नहीं करना था तो अग्रिम क्यों दिया गया। कार्यकारी अधिकारी को परामर्ष दिया जाता है कि इन अग्रिमों के अभिलेखों को सम्बन्धित कर्मचारियों से प्राप्त करें अन्यथा राषि की ब्याज सहित वसूली करके सम्बन्धित निधि में जमा करवाएं।

okÅpj l[;k	vof/k	jkf'k	ftl s Hkqxrku fd;k
7	05/07	2,130.00	जितेन्द्र सिंह, लिपिक
1	06/07	15,000.00	अनिल कुमार, कनिष्ट अभियन्ता
11	07/07	3,000.00	रूप कुमार, स्वास्थ्य निरीक्षक
5	08/08	3,072.00	जितेन्द्र सिंह, लिपिक
1	11/08	700.00	विक्टर, लिपिक
	;kx	₹23]902-00	

17-2 vfxze d lek;ktu d fcuk vUukifr iek.k i= tkjh dju ckj %&

रिकॉर्ड की छानबीन दौरान यह पाया गया कि कार्यकारी अधिकारी द्वारा श्री जितेन्द्र पाल सिंह, लिपिक की सेवा निवृति के बाद दिनांक 02.02.2011 को अन्नापति प्रमाण पत्र जारी किया गया था कि श्री जितेन्द्र पाल सिंह, लिपिक के पास परिषद का कोई लेन दने नहीं था परन्तु श्री जितेन्द्र पाल सिंह लिपिक के नाम ₹5.00 लाख अग्रिम बिना समायोजन के बकाया था अंकेक्षण के समय उक्त लिपिक के अग्रिम का कोई समायोजन प्रस्तुत नहीं कियाग या जिसके अभाव में लगभग ₹5.00 लाख के ऊपर की राषि अभी तक बिना समायोजन के पड़ी है। जब अग्रिम का समायोजन को निरीक्षण हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया तो राषि के समायोजन बिना अन्नापति प्रमाण पत्र जारी किस प्रकार किया गया। अन्नापति प्रमाण पत्र जारी किस प्रकार किया गया। अन्नापत्ति प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न हैं कार्यकारी अधिकारी द्वारा अंकेक्षण में अग्रिम का समायोजन अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था परन्तु कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में अग्रिम के समायोजन को उचित नहीं माना जा सकता व अन्नापति प्रमाण पत्र जारी नहीं

किया जा सकता था। कार्यकारी अधिकारी स्थिति स्पष्ट करें कि अन्नापति प्रमाण पत्र किस आधार पर जारी किया गया।

17-3 jkf’k ₹6]875-00 dh vfxze lek;ktu u dju ls olyh ckj %&

वाऊचर संख्याः 47, अवधि 03/09 द्वारा ₹5,000.00 अग्रिम के रूप में श्री विलियम लिपिक को पषुओं के चारा खरीदने हेतु दिया गया था। विलियम के द्वारा 27.08.2011 तक उक्त अग्रिम का कोई समायोजन नहीं किया गया था न ही भण्डार पंजिका मे 03/09 से 08/11 तक कोई चारा खरीद का इन्द्राज नहीं पाया गया जिसके अभाव में ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त राषि का दुरूपयोग किया गया हैं 03/09 से 08/11 तक ₹5,000.00 का ब्याज 15% की वार्षिक दर से ₹1,875.00 बनता है। श्री विलियम लिपिक से ₹6,875.00 की वसूली करके राषि को नगर परिषद कोष में जमा करवाएं इस बावत अधियाचना संख्याः 51, दिनांक 10.07.2011 भी जारी की गई थी जिसका जवाब कार्यकारी अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया।

17-4 jkf’k ₹25]000-00 vfxze d lek;ktu u dju ckj %&

श्री अनिल कुमार गौतम कनिष्ठ अभियन्ता को वाऊचर संख्याः 4, अवधि 06/08 में ₹25,000.00 का अग्रिम जिलाधीष चम्बा के कार्यालय के सामने बने पार्क निर्माण हेतु दिया गया था उक्त राषि का समायोजन श्री अनिल गौतम द्वारा 08/2011 तक नहीं किया था जबकि राषि का समायोजन कार्य करने के तुरन्त बाद कर देना चाहिए था जिस कार्य के लिए अग्रिम दिया गया था उस कार्य के सम्बन्धित प्रपत्र भी अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके अभाव में ऐसा प्रतीत होता है कि अग्रिम को व्यय ही नहीं किया गया था इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना दिनांक 05.04.2011 को जारी की गई थी जिसका कोई जवाब कार्यकारी अधिकारी के द्वारा नहीं दिया गया था इस के सम्बन्धित में प्रपत्र आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करें अन्यथा उक्त राषि ब्याज सहित वसूल करके नगर परिषद कोष में जमा करवाएं।

18 y/k vkifÙk foojf.kdk %&

नगर परिषद चम्बा में वर्ष 04/07 से 03/10 अवधि के दौरान पाई गई आपत्तियों की अंकेक्षण अधियाचना जारी की गई थी उसके जवाब न मिलने के कारण अधियाचनाओं का समायोजन नहीं किया जा सका।

19 fu"d"k %& नगर परिषद के लेखों के रख–रखाव में नितान्त सुधार की आवष्यकता है।

संयुक्त निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष, षिमला–9

पृष्ठांकन संख्याः V(39)2010–फिन(एल0ए0)खण्ड–2 दिनांक, षिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

(1) निदेषक, शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेष षिमला–171002

iftdr %& (2) कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेष को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर प्रतिवेदन जारी होने के एक मास के भीतर–भीतर प्रेषित करें।

संयुक्त निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष, षिमला–9

¼vuwi dqekj ?kk :½

uxj ifj"kn pEck] ftyk pEck] fgekpy izns'k ds y[kkvksa vof/k 04@2007 ls 03@2010 rd ds vkd{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu ds vfu.khZr iSjksa dh fLFkfr

Ø0 l0	vof/k	iSjk uEcj	fooj.k
1	upto 31-03-1957		इस अवधि के पैरों पर कोई कार्यवाई नहीं की गई।
	04/59 से 03/60	Examiner Inspection Note	अनिर्णीत
	04/60 से 09/61	Examiner Inspection Note	अनिर्णीत
1	10/61 से 06/63	Examiner Inspection Note	अनिर्णीत
1	07/63 से 06/65	Examiner Inspection Note	अनिर्णीत
1	07/65 से 10/66	Examiner Inspection Note	अनिर्णीत
1	12/67 से 11/68	2(1)	अनिर्णीत
2		2(2)	अनिर्णीत
3		6	अनिर्णीत
1	12/68 से 03/70	1	अनिर्णीत
2		2	अनिर्णीत
3		4	अनिर्णीत
4		5	अनिर्णीत
5		7	अनिर्णीत
6		8	अनिर्णीत
7		9	अनिर्णीत
8		10	अनिर्णीत
9		11	अनिर्णीत
10		12	अनिर्णीत
1	09/70 से 01/73	4	अनिर्णीत
2		8	अनिर्णीत

3		9	
1	1971—1972 और 1972—1973	1	अनिर्णीत
2		2	अनिर्णीत
3		3	अनिर्णीत
4		4	अनिर्णीत
5		5	अनिर्णीत
1	02/73 से 03/75	8(ए)	अनिर्णीत
2		9(ए)	अनिर्णीत
3		9(बी)	अनिर्णीत
4		9(सी)	अनिर्णीत
5		9(डी)	अनिर्णीत
6		9(ई)	अनिर्णीत
7		9(एफ)	अनिर्णीत
8		9(जी)	अनिर्णीत
9		9(एच) वार्षिक रिपोर्ट	अनिर्णीत
10		10(2)	अनिर्णीत
11		10(3)	अनिर्णीत
12		10(4)	अनिर्णीत
13		10(5)	अनिर्णीत
14		10(6)	अनिर्णीत
15		12(8)(सी)(2)	अनिर्णीत
16		12(8)(सी)(3)	अनिर्णीत
17		12(8)(सी)(4)	अनिर्णीत

18	12(8)(सी)(5)	अनिर्णीत
19	12(8)(सी)(6)	अनिर्णीत
20	12(8)(सी)(7)	अनिर्णीत
21	12(8)(सी)(8)	अनिर्णीत
22	12(8)(सी)(9)	अनिर्णीत
23	12(8)(सी)(10)	अनिर्णीत
24	12(8)(सी)(11)	अनिर्णीत
25	12(8)(सी)(12)	अनिर्णीत
26	12(8)(सी)(13)	अनिर्णीत
27	12(8)(सी)(14)	अनिर्णीत
28	12(8)(सी)(15)	अनिर्णीत
29	12(8)(सी)(16)	अनिर्णीत
30	12(8)(सी)(17)	अनिर्णीत
31	12(8)(सी)(18)	अनिर्णीत
32	12(8)(सी)(19)	अनिर्णीत
33	12(डी)(2)(3)	अनिर्णीत
34	12(ई)(5)	अनिर्णीत
35	12(ई)(7)	अनिर्णीत
36	12(ई)(9)	अनिर्णीत
37	12(ई)(11)	अनिर्णीत
38	12(ई)(12)	अनिर्णीत
39	12(ई)(14)	अनिर्णीत
40	12(ई)(15)	अनिर्णीत

41	12(ई)(16)	अनिर्णीत
42	12(ई)(17)	निर्णीत
43	12(ई)(18)	अनिर्णीत
44	12(ई)(19)	अनिर्णीत
45	12(ई)(20)	अनिर्णीत
46	12(एफ)(1)	अनिर्णीत
47	12(एफ)(2)	अनिर्णीत
48	12(एफ)(3)	अनिर्णीत
49	12(एफ)(4)	अनिर्णीत
50	12(एफ)(5)	अनिर्णीत
51	12(एफ)(6)	अनिर्णीत
52	12(एफ)(7)	अनिर्णीत
53	12(एफ)(8)	अनिर्णीत
54	12(एफ)(9)	अनिर्णीत
55	12(एफ)(10)	अनिर्णीत
56	12(एफ)(13)	अनिर्णीत
57	12(एफ)(14)	अनिर्णीत
58	12(जी)(2)	अनिर्णीत
59	13(जी)(3)	अनिर्णीत
60	13(जी)(4)	अनिर्णीत
61	13(जी)(5)	अनिर्णीत
62	13(जी)(6)	अनिर्णीत
63	13(जी)(7)	अनिर्णीत

64		17	अनिर्णीत
65		18(बी)(8) वार्षिक रिपोर्ट	अनिर्णीत
66		18(सी)(2)	अनिर्णीत
1	04/75 से 03/81	7(ए)(1 से 7) वार्षिक रिपोर्ट	अनिर्णीत
2		7(बी) वार्षिक रिपोर्ट पैरा	अनिर्णीत
3		7(सी)	अनिर्णीत
4		8(1) वार्षिक रिपोर्ट पैरा	अनिर्णीत
5		8(2) वार्षिक रिपोर्ट पैरा	अनिर्णीत
6		8(बी) वार्षिक रिपोर्ट पैरा	अनिर्णीत
7		8(4) वार्षिक रिपोर्ट पैरा	अनिर्णीत
8		8(6)	अनिर्णीत
9		8(8)	अनिर्णीत
10		8(10)	अनिर्णीत
11		8(14)	अनिर्णीत
12		8(20)(1) वार्षिक रिपोर्ट पैरा	अनिर्णीत
13		8(20)(2) वार्षिक रिपोर्ट पैरा	अनिर्णीत
14		8(26)	अनिर्णीत
15		8(28) वार्षिक रिपोर्ट पैरा	अनिर्णीत
16		8(29) वार्षिक रिपोर्ट पैरा	अनिर्णीत
17		8(31) वार्षिक रिपोर्ट पैरा	अनिर्णीत
18		9(10)(2)	अनिर्णीत
19		9(10)(3)	अनिर्णीत
20		9(10)(4)	अनिर्णीत

21		10(6)	अनिर्णीत
22		10(7)	अनिर्णीत
23		10(8)	अनिर्णीत
24		10(16)	अनिर्णीत
25		10(22)	अनिर्णीत
26		10(23)	अनिर्णीत
27		10(24)	अनिर्णीत
28		10(25)	अनिर्णीत
29		10(31)	अनिर्णीत
30		10(32)	अनिर्णीत
31		11(6) वार्षिक रिपोर्ट पैरा	अनिर्णीत
32		11(7) वार्षिक रिपोर्ट पैरा	अनिर्णीत
33		12(1)	अनिर्णीत
34		12(2)	अनिर्णीत
35		12(3)	अनिर्णीत
36		15(2)	अनिर्णीत
37		20	अनिर्णीत
1	04/81 से 03/82	3(बी)	अनिर्णीत
2		9	अनिर्णीत
3		10	अनिर्णीत
4		11	अनिर्णीत
5		12(ए)	अनिर्णीत
6		12(जी)	अनिर्णीत

7		12(एच)	अनिर्णीत
8		17	अनिर्णीत
9		19(ए)	अनिर्णीत
10		22(डी)	अनिर्णीत
11		22(ई)	अनिर्णीत
1	04／82 से 03／83	6(बी)	अनिर्णीत
2		6(सी)	अनिर्णीत
3		6(जी)	अनिर्णीत
4		17(ए)	अनिर्णीत
5		17(बी)	अनिर्णीत
6		18(ए)	अनिर्णीत
7		18(बी)	अनिर्णीत
8		18(सी)	अनिर्णीत
9		19(ए)	अनिर्णीत
10		19(बी)	अनिर्णीत
11		19(सी)	अनिर्णीत
12		19(ई)	अनिर्णीत
13		19(एफ)	अनिर्णीत
14		19(के)	अनिर्णीत
15		19(एल)	अनिर्णीत
16		21	अनिर्णीत
17		23(2)	अनिर्णीत
18		23(3)	अनिर्णीत

19	23(6)	अनिर्णीत
20	23(7)	अनिर्णीत
21	23(8)	अनिर्णीत
22	23(9)	अनिर्णीत
23	23(10)	अनिर्णीत
24	23(11)	अनिर्णीत
25	23(12)	अनिर्णीत
26	23(13)	अनिर्णीत
27	23(14)	अनिर्णीत
28	23(15)	अनिर्णीत
29	23(16)	अनिर्णीत
30	23(17)	अनिर्णीत
31	23(18)	अनिर्णीत
32	23(19)	अनिर्णीत
33	23(20)	अनिर्णीत
34	23(21)	अनिर्णीत
35	23(22)	अनिर्णीत
36	23(23)	अनिर्णीत
37	23(24)	अनिर्णीत
38	23(25)	अनिर्णीत
39	23(26)	अनिर्णीत
40	23(27)	अनिर्णीत
41	23(28)	अनिर्णीत

42	23(29)	अनिर्णीत
43	23(30)	अनिर्णीत
44	23(31)	अनिर्णीत
45	23(32)	अनिर्णीत
46	23(33)	अनिर्णीत
47	23(34)	अनिर्णीत
48	23(35)	अनिर्णीत
49	23(36)	अनिर्णीत
50	23(37)	अनिर्णीत
51	23(38)	अनिर्णीत
52	23(39)	अनिर्णीत
53	23(40)	अनिर्णीत
54	23(41)	अनिर्णीत
55	23(42)	अनिर्णीत
56	23(43)	अनिर्णीत
57	23(44)	अनिर्णीत
58	23(47)	अनिर्णीत
59	23(49)	अनिर्णीत
60	23(50)	अनिर्णीत
61	23(51)	अनिर्णीत
62	23(52)	अनिर्णीत
63	26(डी)	अनिर्णीत
64	26(के)	अनिर्णीत

65		26(ओ)	अनिर्णीत
66		26(आर)	अनिर्णीत
67		26(टी)	अनिर्णीत
68		26(यू)	अनिर्णीत
1	04/83 से 03/85	12	अनिर्णीत
2		13(जी)	अनिर्णीत
3		13(एच)(5)	अनिर्णीत
4		13(एच)(6)	अनिर्णीत
5		13(एच)(7)	अनिर्णीत
6		13(एच)(8)	अनिर्णीत
7		13(एच)(9)	अनिर्णीत
8		13(एच)(10)	अनिर्णीत
9		13(के)	अनिर्णीत
10		13(आई)	अनिर्णीत
11		13(क्यू)	अनिर्णीत
12		13(आर)	अनिर्णीत
13		13(एस)	अनिर्णीत
14		13(टी)	अनिर्णीत
15		13(यू)	अनिर्णीत
16		13(वी)	अनिर्णीत
17		13(डब्ल्यू)	अनिर्णीत
18		13(वाय)	अनिर्णीत
19		15(सी)	अनिर्णीत

20		16(एल)	अनिर्णीत
1	04/85 से 03/86	9	अनिर्णीत
1	Examiner Inspection note	2(ए)	अनिर्णीत
2		2(बी)	अनिर्णीत
3		2(सी)	अनिर्णीत
4		2(डी)	अनिर्णीत
5		2(ई)	अनिर्णीत
1	04/86 से 03/88	3(सी)	अनिर्णीत
2		7	अनिर्णीत
3		20	अनिर्णीत
1	04/88 से 03/91	3(2)	अनिर्णीत
2		3(3)	अनिर्णीत
3		8(घ)	अनिर्णीत
4		13(ख)	अनिर्णीत
5		13(घ)	अनिर्णीत
6		13(य)	अनिर्णीत
7		13(ङ)	अनिर्णीत
8		13(च)	अनिर्णीत
9		13(छ)	अनिर्णीत
10		14(ख)	अनिर्णीत
11		14(ख)(1)	अनिर्णीत
12		14(ख)(3)	अनिर्णीत
13		14(ग)(2)	अनिर्णीत

14		14(ज)	अनिर्णीत
15		14(ञ)	अनिर्णीत
16		14(5)(ग)	अनिर्णीत
17		15(ण)	अनिर्णीत
18		16(द)	अनिर्णीत
19		16(ण)	अनिर्णीत
20		17(2)(3)	अनिर्णीत
21		18(3)	अनिर्णीत
22		18(4)	अनिर्णीत
23		18(10)(बी)	अनिर्णीत
1	04/91 से 03/99	8	अनिर्णीत
2		9(1)	अनिर्णीत
3		10	अनिर्णीत
4		13(क)	अनिर्णीत
5		13(ख)	अनिर्णीत
6		13(ग)	अनिर्णीत
7		14(16)	अनिर्णीत
8		14(17)	अनिर्णीत
9		14(18)	अनिर्णीत
10		15(7)	अनिर्णीत
11		15(8)	अनिर्णीत
12		15(9)	अनिर्णीत
13		15(10)	अनिर्णीत

14		15(11)	अनिर्णीत
15		17	अनिर्णीत
16		18(4)	अनिर्णीत
17		18(5)	अनिर्णीत
18		18(6)	अनिर्णीत
19		19(1)	अनिर्णीत
20		19(2)	अनिर्णीत
1	04/99 से 03/2007	2(1)	अनिर्णीत
2		2(2)	अनिर्णीत
3		2(3)	अनिर्णीत
4		2(4)	अनिर्णीत
5		2(5)	अनिर्णीत
6		3(1)	अनिर्णीत
7		3(2)	अनिर्णीत
8		3(3)	अनिर्णीत
9		3(4)(1)	अनिर्णीत
10		3(4)(2)	अनिर्णीत
11		3(4)(3)	अनिर्णीत
12		3(4)(4)	अनिर्णीत
13		3(4)(5)	अनिर्णीत
14		3(4)(6)	अनिर्णीत
15		3(4)(7)	अनिर्णीत
16		3(4)(8)	अनिर्णीत

17	3(4)(9)	अनिर्णीत
18	3(4)(10)	अनिर्णीत
19	3(5)(1)	अनिर्णीत
20	3(5)(2)	अनिर्णीत
21	3(5)(3)	अनिर्णीत
22	3(6)	अनिर्णीत
23	3(6)(1)	अनिर्णीत
24	3(6)(2)	अनिर्णीत
25	3(6)(3)	अनिर्णीत
26	4(1)	अनिर्णीत
27	4(2)	अनिर्णीत
28	4(3)	अनिर्णीत
29	4(4)	अनिर्णीत
30	4(5)	अनिर्णीत
31	4(6)	अनिर्णीत
32	4(7)	अनिर्णीत
33	4(8)	अनिर्णीत
34	4(9)	अनिर्णीत
35	4(10)	अनिर्णीत
36	4(11)	अनिर्णीत
37	4(12)	अनिर्णीत
38	4(13)	अनिर्णीत
39	4(14)	अनिर्णीत

40	4(15)	अनिर्णीत
41	4(16)	अनिर्णीत
42	4(17)	अनिर्णीत
43	4(18)	अनिर्णीत
44	4(19)	अनिर्णीत
45	4(20)	अनिर्णीत
46	4(21)	अनिर्णीत
47	4(22)	अनिर्णीत
48	4(23)	अनिर्णीत
49	4(24)	अनिर्णीत
50	4(25)	अनिर्णीत
51	4(26)	अनिर्णीत
52	4(27)	अनिर्णीत
53	5(1)	अनिर्णीत
54	5(2)	अनिर्णीत
55	5(3)	अनिर्णीत
56	5(4)	अनिर्णीत
57	5(5)	अनिर्णीत
58	5(6)	अनिर्णीत
59	5(7)	अनिर्णीत
60	5(8)	अनिर्णीत
61	5(9)	अनिर्णीत
62	5(10)	अनिर्णीत

63	5(11)	अनिर्णीत
64	5(12)	अनिर्णीत
65	6(1)	अनिर्णीत
66	6(2)	अनिर्णीत
67	6(3)	अनिर्णीत
68	6(4)	अनिर्णीत
69	6(5)	अनिर्णीत
70	6(6)	अनिर्णीत
71	6(7)	अनिर्णीत
72	6(8)	अनिर्णीत
73	6(9)	अनिर्णीत
74	6(10)	अनिर्णीत
75	6(11)	अनिर्णीत
76	6(12)	अनिर्णीत
77	6(13)	अनिर्णीत
78	6(14)	अनिर्णीत
79	6(15)	अनिर्णीत
80	7(1)	अनिर्णीत
81	7(2)	अनिर्णीत
82	7(3)	अनिर्णीत
83	7(4)	अनिर्णीत
84	7(5)	अनिर्णीत
85	7(6)	अनिर्णीत

86	7(7)	अनिर्णीत
87	7(8)	अनिर्णीत
88	7(9)	अनिर्णीत
89	7(10)	अनिर्णीत
90	7(11)	अनिर्णीत
91	7(12)	अनिर्णीत
92	7(13)	अनिर्णीत
93	8(1)	अनिर्णीत
94	8(2)	अनिर्णीत
95	8(3)	अनिर्णीत
96	8(4)	अनिर्णीत
97	8(5)	अनिर्णीत
98	9	अनिर्णीत
99	10(1)(1)	अनिर्णीत
100	10(1)(2)	अनिर्णीत
101	10(1)(3)	अनिर्णीत
102	10(1)(4)	अनिर्णीत
103	10(1)(5)	अनिर्णीत
104	10(1)(6)	अनिर्णीत
105	10(1)(7)	अनिर्णीत
106	10(1)(8)	अनिर्णीत
107	10(1)(9)	अनिर्णीत
108	10(1)(10)	अनिर्णीत

109	10(1)(11)	अनिर्णीत
110	10(1)(12)	अनिर्णीत
111	10(2)	अनिर्णीत
112	10(3)	अनिर्णीत
113	11	अनिर्णीत